

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2011-12

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित
Serving the Nation since 24th June, 1908

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਗਿਗੁਰੂ ਨੀ ਕੀ ਫੁਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life



निदेशक मंडल/ Board of Directors



श्री बी.पी. कानूनगो
Sh. B P KANUNGO



श्री करनपाल सिंह सेखौन
Sh. Karanpal Singh Sekhon



श्री ए. भट्टाचार्या
Sh. A. Bhattacharya



श्री राजेंद्र नारायणन
Sh. Rajendran Narayanan



श्री एस.पी. विरक
Sh. S P S Virk



श्री संजीव कुमार अरोरा
Sh. Sanjiv Kumar Arora



श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta



श्री सुरेश ठाकुर
Sh. Suresh Thakur



विषय-सूची/Contents

	पृष्ठ संख्या/Page No.
उल्लेखनीय तथ्य/Highlights	2
निदेशक मंडल/Board of Directors	3
नोटिस/Notice	4-15
निदेशक रिपोर्ट/Director's Report	16-45
बेसल-II के अंतर्गत प्रकटीकरण/Disclosure under Basel II	46-69
निगमित शासन की रिपोर्ट/Corporate Governance	70-124
वित्तीय विवरण/Financial Statements	125-179
तुलन-पत्र/Balance Sheet	126
लाभ-हानि खाता/Profit & Loss Account	127-128
अनुसूचियाँ/Schedules	129-179
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र/Cash Flow Statements	180-181
लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन/Auditors' Reports	182-185
उपस्थिति पर्ची/Attendance Slip	186-187
ईसीएस अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म /ECS Mandate Form/Bank Account Details	188-189
प्रॉक्सी फार्म/Proxy Form	190-193



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में/Rupees. in lacs
यथा/as on 31.03.2012

शुद्ध लाभ Net Profit	45128
जमा Deposits	6312793
सकल अग्रिम Gross Advances	4636863
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1305238
सकल निवेश Gross Investments	2015745
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.65
शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	1.19
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	12.81
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	13.26

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित
Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय : "बैंक हाउस", 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
Head Office : "Bank House", 21 Rajendra Place, New Delhi-110008



निदेशक मंडल / Board of Directors

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Mg. Director**

श्री डी.पी. सिंह, आई.ए.एस
Shri D.P.Singh, I.A.S

**कार्यकारी निदेशक
Executive Director**

श्री पी. के. आनन्द
Shri P.K.Anand

**निदेशक
Directors**

श्री ए. भट्टाचार्या
Sh. A. Bhattacharya

श्री बी.पी. कानूनगो
Sh. B.P. Kanungo

श्री करनपाल सिंह सेखों
Sh. Karanpal Singh Sekhon

श्री एस.पी.बबूता
Sh. S.P.Babuta

श्री आर. नारायणन
Sh. R. Narayanan

श्री सुरेश ठाकुर
Sh. Suresh Thakur

श्री एस.के. अरोड़ा
Sh. S.K.Arora

श्री एस.पी.एस विर्क
Sh. S.P.S.Virk

महाप्रबंधक / General Managers

श्री पी.एस. घावरी
Sh. P.S. Ghawri

श्री जी.एस. बिंद्रा
Sh. G.S. Bindra

श्री विजय श्रीवास्तव
Sh. Vijay Srivastav

श्री जी.एस. सचदेवा
Sh. G.S. Sachdeva

श्री आर. गोसाईं
Sh. R. Gossain

श्री जी.एस. सेठी
Sh. G.S. Sethi

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री इकबाल सिंह भाटिया
Sh. Iqbal Singh Bhatia

श्री एच.एस. मक्कड़
Sh. H.S. Makkar

श्री डी.डी. नाग
Sh. D.D. Nag

श्री आई.पी. सिंह
Sh. I.P. Singh

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

श्री एस.पी.एस. कोहली
Sh. S.P.S. Kohli

लेखा परीक्षक/ Auditors

भाटिया एण्ड भाटिया
Bhatia & Bhatia

एस. बी.जी.एण्ड कं.
S.B.G. & Co.

अल्का एण्ड सुनील
Alka & Sunil

ओ.पी. तुलसियां एण्ड कं.
O.P. Tulsyan & Co.

जी.एस. गोयल एण्ड कं.
G.S. Goel & Co.

आर. एम. लाल एण्ड कं.
R.M. Lall & Co.



सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की द्वितीय वार्षिक आम बैठक एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली – 110010 में शनिवार, 23 जून, 2012 को प्रातः 9.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

1. बैंक का 31 मार्च, 2012 के तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा,, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण।
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश का अनुमोदन एवं घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते निदेशक मंडल

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09 मई, 2012

(डी.पी.सिंह) ,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



NOTICE

Notice is hereby given that the Second Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on **Saturday, the 23rd June, 2012 at 9.00 A.M.**, at **Air Force Auditorium**, Subroto Park, New Delhi-110010 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2012, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare dividend on Equity Shares for the financial year 2011-12.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date: 9th May 2012

[D.P.Singh]
Chairman & Managing Director



पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने के अधिकार के अतिरिक्त यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो, को वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस देने और सभी या अन्य कोई मामला जो हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियमन 61. आम बैठक में मतदान:

- i. किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।
- ii. जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।
- iii. उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी हो, बैठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र के प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर सहमति सर्वसम्मति से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्ध अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- iv. किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर सहमति देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर, जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो, जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार का पांचवां हिस्सा रखता हो की मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।
- v. जो व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो, वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते हैं।
- vi. स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार किये जाएंगे।
- vii. मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग को मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- viii. किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

- i. उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर क मत देने का अधिकार होगा।
- ii. उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन से प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (प) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के द्वारा मत देने का अधिकारी होगा। स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए, कंपनी से अभिप्राय: है कोई भी निगमित निकाय।
- iii. सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

- i. At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii. Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii. Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv. Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v. The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi. A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii. The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

- i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i). Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.
- iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.



विनियम 69 विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i. केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केंद्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की और से उन्ही अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह बैंक का, कल शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/व्यक्तियों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित रहेगा या मतदान नहीं करेगा जब तक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती।

कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की किसी भी मीटिंग में न तो उपस्थित होगा न ही वोट करेगा जब तक कि एक मसौदा जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो उसी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा मसौदे की सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए।

विनियम 70 प्रतिनिधि

- i. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में, वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उस की एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।
बशर्ते कि प्रतिनिधि का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढंग से हस्ताक्षरित हो, जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
- ii. कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास रजिस्टर्ड हो।
- iii. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह फार्म "बी" में हो।
- iv. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रतिसहरणीय होगा।
- v. यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- vi. इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र का गारंटीकर्ता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।
- vii. कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।



Regulation 69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Punjab & Sind Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Punjab & Sind Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70. Proxies:

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing; Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Punjab & Sind Bank .
- iii. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv. An instrument of proxy deposited with Punjab & Sind Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



सूचना

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने का पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70 (अप) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिससे वह लिखित संबंध रखता है।

प्रॉक्सी प्रारूप तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा के अंतर्गत शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली . 110008 में वार्षिक सामान्य बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 18.06.2012 को सांय 5 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति या उससे पूर्व जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और ना ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, बैठक की तारीख से 4 दिन पहले अर्थात् 18.06.2012 को सांय 5.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को न मिल जाए।

कृपया नोट करें कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों तथा बैठकों) अधिनियम, 2008 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

3. पंजीकरण एवं उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु पंजीकरण प्रक्रिया दिनांक 23.06.2012 को प्रातः 8 बजे बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश-पास संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्ची भरकर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथोस्थिति प्रॉक्सीश्या प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, संबंधित होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

4. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में है, से पंजीकृत पते में हुए परिवर्तनों की बैंक के शेयर अंतरण एजेन्टों को निम्न पते पर सूचना देने का अनुरोध है:

लिक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड

इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

ए-40, दूसरा तल,

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र,

फेज-111 बत्रा बैंकेट के पास,

नई दिल्ली-110028



NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of the Punjab & Sind Bank.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 18.06.2012 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 18.06.2012.

Please note that any employee or officer of the Bank can not be appointed as authorized representative as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

3. REGISTRATION AND ATTENDANCE SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.00 a.m. on 23.06.2012, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.**

4. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

A-40, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-II,

Near Batra Banquets,

NEW DELHI-110 028



शेयरधारकों जिनके पास शेयर अभौतिक स्थिति में हैं, उक्त परिवर्तनों को अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित करें।

5. रजिस्टर का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 16.06.2012 से 23.06.2012 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक एवं (ख) बैंक द्वारा घोषित लाभांश भुगतान करने हेतु बंद रहेंगे।

6. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 05.05.2012 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्रत्येक रु. 10/- के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु. 2/- (रूपए दो) की दर से लाभांश संस्तुत किया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा प्रथम सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

क दिनांक 15.06.2012 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख दिनांक 15.06.2012 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटार्इम इंडिया प्रा. लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग द्वितीय वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

7. लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तन:

क इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते के पेटे पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मंडेट से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटार्इम इंडिया प्रा. लि. को दें। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

ग सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियों नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य ही उल्लेख करें।

8. अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो अदावाकृत/अप्रदत्त में बकाया लाभांश खाते में अंतरित कर दें तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित कर दें।

अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित राशि और अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि हेतु बचे अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य तथा रूप में किया जाएगा और उसके पश्चात् इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या फंड को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।



Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

5. CLOSURE OF BOOKS

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 16.06.2012 to 23.06.2012 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) payment of the dividend, declared by the Bank.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 05.05.2012 has recommended a dividend of Rs. 2.00 (Rupees Two only) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2011-12. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the Second Annual General Meeting will be paid as under:

- To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 15.06.2012, i.e., previous day of start of book closure.
- To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., M/s Link Intime India Pvt Ltd on or before the close of business hours on 15.06.2012, i.e., previous day of start of book closure.
- The dividends will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of Second Annual General Meeting.

7. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

8. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Educa-



9. फोलियों का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर है, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों हेतु लेजर फोलियों की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों को शेयर प्रमाण-पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे।

10. सदस्यों से अनुरोध:

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आए।

11. शेयरधारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयरों, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का 1 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार देने का पात्र होगा।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय(शेयर कक्ष)
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
21-राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008
टेलीफोन-011-25782926, 011-25817353

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़े सुरक्षा कारणों से, ऑडिटरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में सहभागिता करने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09 मई, 2012

(डी.पी.सिंह) ,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



tion and Protection Fund established under sub-section (l) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Link Intime India Pvt. Ltd., the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. REQUEST TO MEMBERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Second Annual General Meeting.

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008
Telephone : 011-25782926, 25817353

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date: 9th May 2012

**[D.P.Singh]
Chairman & Managing Director**



निदेशक मंडल की रिपोर्ट— 2011-12

निदेशक मंडल 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए वर्ष का अनुभव करता है।

आर्थिक परिदृश्य

इस समय भारतवर्ष एक चुनौतीपूर्ण सूक्ष्म आर्थिक दौर से गुजर रहा है। यद्यपि यूरो क्षेत्रों के वित्तीय बाजारों द्वारा वैश्विक और स्थानीय दोनों प्रकार के आर्थिक प्रतिष्ठानों को ईसीबी द्वारा पुनर्वित्त प्रचालनों के माध्यम एक खरब तक यूरो खपा कर उसे उपर उठाने का प्रयास किया गया। फिर भी यूरो क्षेत्र के ऋणों की समस्या हेतु कोई स्थाई उपाय सामने नहीं आया है, जिस कारण आर्थिक सुधारों, ऋण परिस्थितियों में गिरावट जारी रही। परिणामस्वरूप, नई तथा विकासशील अर्थ-व्यवस्था के विकास में कमी आई है जिसके कारण मौद्रिक जकड़न और वैश्विक विकास में मंदी के संयुक्त प्रभाव सामने आए।

घरेलू स्तर पर अर्थ-व्यवस्था की स्थिति बढ़ती चिंता की बात है। यद्यपि मुद्रास्फीति की दर पिछले कुछ समय से नियंत्रण में रही है, फिर भी यह स्थिर तथा छूट के स्तर से उपर रही है जिससे उल्लेखनीय रूप से विकास की दर धीमी रही। अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान जीडीपी नीचे गिर कर 6.9 प्रतिशत तक आ गई जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 8.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2012 के आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि का प्रभाव भौगोलिक-राजनैतिक संस्थाओं तथा वैश्विक तरलता पर पड़ा।

समग्र थोक सूचकांक मुद्रास्फीति जो अप्रैल-नवंबर 2011 में 9 प्रतिशत से अधिक रही, मार्च 2012 के अंत में 6.9 प्रतिशत तक रही जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत के सूचक प्रक्षेपण के अनुरूप रही। वित्तीय वर्ष 2011-12 के आरंभ में मुद्रा आपूर्ति विकास 17 प्रतिशत रही जो सावधि जमाओं में मजबूत वृद्धि दर्शाती है। मार्च 2012 के अंत तक यह 13 प्रतिशत पर बनी रही। वर्ष 2011-12 के दौरान प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा-दरों में 45 बेसिस प्वाइंट तथा उनकी मॉडल बेस दरों में 125बीपीएस की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 में व्यापारित निर्यात यूएसडी 303.7 बिलियन तक पहुँच गया। जिसमें वर्ष 2010-11 की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयात यूएसडी 488.6 बिलियन रहा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में यूएसडी 369.8 बिलियन की तुलना में 32.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयात में इस उच्चतम वृद्धि से 184.9 बिलियन यूएसडी से व्यापार में कमी आई और ऐसी आशा है कि चालू खाता घाटा बढ़ कर जीडीपी के 4 प्रतिशत तक हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद तथा सोने के आयात में बढ़ोतरी के कारण व्यापार घाटे में अत्याधिक वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान मानसून के सामान्य रहने की आशा की जाती है जिससे कृषि-विकास पूर्वानुमान के करीब रहने की संभावना है। आईआईपी में चौमुखी वृद्धि के संकेतों के कारण उद्योग में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की आशा है।

कुल मिला कर वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में घरेलू विकास दर कुछ बेहतर रहने की आशा है। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमानित आधार 7.3 प्रतिशत आंका गया है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की स्त्रोत आवश्यकताओं में संतुलन लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एससीबी के गैर-खाद्य ऋणों में वृद्धि की परिकल्पना 17 प्रतिशत की गई है।

विकास तथा मुद्रास्फीति की परिकल्पनाओं के अनुरूप, वर्ष 2012-13 हेतु एम3 वृद्धि की परिकल्पना 15 प्रतिशत रखी गई है। फलस्वरूप, एससीबी की कुल जमा 16 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

सामान्य आर्थिक संवृद्धि परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए आने वाला वर्ष भारतीय बैंकिंग के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2011 को बैंक के ₹.102556 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2012 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 6.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि ₹.109493 करोड़ रहा।

लाभ

वित्तीय-वर्ष 2010-11 के दौरान ₹.526.17 करोड़ की तुलना में, बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹. 451.28 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2010-11 के 0.90 प्रतिशत की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल (आर.ओ.ए.) 0.65 प्रतिशत रहा।



DIRECTORS' REPORT -2011-12

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the Year ended 31st March, 2012.

ECONOMIC OUTLOOK

India is passing through a challenging micro economic phase. Though impacted both by global and local economic concerns, the immediate pressures on the financial markets have been alleviated to a large extent by the ECB injecting liquidity of more than one trillion euro. However, a sustainable solution to the debt problem is yet to emerge, which has added to the downward pressure on economic activities. Resultantly, growth has slowed down in Emerging & Developing Economies (EDEs), reflecting the combined impact of monetary tightening and slowdown in growth.

Domestically, the state of the economy is a matter of growing concern. Though inflation has moderated in recent months, it still remains sticky and above the tolerance level. GDP growth during April-December 2011 dwindled significantly to 6.9 per cent from 8.1 per cent in the corresponding period of the previous year. Meanwhile, crude oil prices have surged since the beginning of 2012, reflecting geo-political and other concerns.

Wholesale price index (WPI) inflation, which remained above 9 per cent during April-November 2011, moderated to 6.9 per cent by end-March 2012, which can be said to be consistent with the Reserve Bank's indicative projection of 7 per cent. Money supply (M3) growth, which was 17.00 per cent at the beginning of the financial year 2011-12, reflecting strong growth in time deposits, moderated during the course of the year to about 13.00 per cent by end-March 2012. During 2011-12, deposit rates of major scheduled commercial banks (SCBs) increased by 45 basis points while their model base rates went up by 125 basis points.

Merchandise exports reached USD 303.7 billion in 2011-12, a rise of 21 percent over the corresponding figure of 2010-11, while imports stood at USD 488.6 billion, a rise of 32.1 percent compared with USD 369.8 billion in previous Financial Year. The surge in imports have led to highest ever trade deficit of USD 184.9 billion and which is expected to raise Current Account deficit (CAD) to approximately 4.00 percent of GDP. This swelling of trade deficit is primarily attributed to huge surge in import of petroleum products and gold.

Going forward into 2012-13, assuming a normal monsoon, agricultural growth could stay close to the trend level. Industry is expected to perform better than in last year, as leading indicators of industry suggest a turnaround in Index of Industrial Production (IIP) growth.

The global and the domestic growth outlook for 2012-13 looks a little better than in 2011-12. Accordingly, the baseline GDP growth for 2012-13 is projected at 7.3 per cent. Keeping in view the need to balance the resource requirements of the private sector and the public sector, growth in non-food credit of SCBs is projected at 17.00 per cent.

Consistent with growth and inflation projections, M3 growth for 2012-13, for policy purposes, is projected at 15.00 per cent. Consequently, aggregate deposits of SCBs are projected to grow by 16.00 per cent. Given modest economic growth projections, Indian banking is poised for a challenging year ahead.

WORKING RESULT

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2012, total Business of the Bank recorded an increase of 6.76% at Rs.109493.00 crore as compared to Rs. 102556.00 crore as on 31.03.2011.

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs.451.28 crore for the year 2011-12 as compared to that at Rs.526.17 crore during the FY 2010-11. The Return on Assets (ROA) stood at 0.65% as compared to that at 0.90% in the year 2010-11.



31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें

	समाप्त वर्ष		रसीशि लाखों में प्रतिशत में परिवर्तन
	31.03.2012	31.03.2011	
ब्याज की आय	647450	493251	31.26
अन्य आय	41746	43708	-4.49
कुल आय	689196	536959	28.35
कुल व्यय	613197	435610	40.77
परिचालन लाभ	75999	101349	-25.01
शुद्ध लाभ	45128	52617	-14.23
आस्तियों पर प्रतिफल	0.65%	0.90%	----
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	2.41%	2.92%	----
सकल अनर्जक आस्तियां (%)	1.65%	0.99%	----
शुद्ध अनर्जक आस्तियां (%)	1.19%	0.56%	----
पूंजी पर्याप्तता अनुपात(%) (बासल-I)	12.81%	11.94%	----
पूंजी पर्याप्तता अनुपात(%) (बासल-II)	13.26%	12.94%	----
प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)	19.24	26.40	----

पूंजी एवं आरक्षित निधि

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/ वित्त मंत्रालय पर अध्यावश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, बैंक ने वर्ष के दौरान प्रति शेयर रु. 10/- के अनुसार 1,11,52,000 इक्विटी शेयरों को भारतीय जीवन बीमा निगम को रु. 85.46 प्रति शेयर की निर्णीत दर पर अधिमान निर्गम के आधार पर जारी किया है। तदनुसार, बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में रु. 11.15 करोड़ की वृद्धि के साथ, रु. 234.21 करोड़ हो गई है और शेयर प्रीमियम रु. 83.89 करोड़ से बढ़ कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु. 84.15 करोड़ में से शेयर निर्गम व्यय के रु. 0.26 करोड़ कम कर के) रु. 505.53 करोड़ हो गया है।

बैंक की दिनांक 31.03.2011 को रु. 3,048.82 करोड़ की कुल मालियत थी जो दिनांक 31.03.2012 को रु. 3518.89 करोड़ हो गई है।

बैंक का दिनांक 31.03.2012 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल. III) 132.26 प्रतिशत है जब कि न्यूनतम 9% निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ कोर सीआरएआर 8.55 प्रतिशत पर रहे हैं।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांड: (टीयर-II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

बैंक ने दिनांक 30.04.2011 को रु. 45 करोड़ के टीयर-II बांडों (6% - श्रृंखला - vi) का भुगतान कर दिया है और दिनांक 24.06.2011 को रु. 300 करोड़ के नए टीयर-II बांडों (9.73% - श्रृंखला Xiii) को जारी कर दिया है। दिनांक 31.03.2012 को टीयर-II बांडों में रु. 1,365 करोड़ बकाया है जब कि 31.03.2011 को यह रु. 1,110 करोड़ थे।

जमा में वृद्धि

बैंक की कुल जमा साधियों में 31 मार्च, 2012 को 5.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे रु. 3401 करोड़ की वृद्धि के साथ यह रु. 63124 करोड़ हो गई जोकि दिनांक 31 मार्च, 2011 को रु. 59728 करोड़ थी। बैंक की औसत जमा लक्ष्य 7.97 प्रतिशत रही जोकि पिछले वर्ष 6.19% थी।

सांविधिक लेखा परीक्षा

बैंक ने मार्च, 2012 के समाप्त लेखा वर्ष हेतु मैसर्स भाटिया एण्ड भाटिया, नई दिल्ली; मैसर्स अलका एण्ड सुनील, नई दिल्ली; मैसर्स जी.एस. गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली; मैसर्स एस.बी.जी. एण्ड कंपनी, दिल्ली; मैसर्स आर.एम. लाल एण्ड कंपनी, लखनऊ और मैसर्स ओ.पी.तुलसियान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।



HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(Rs in Lacs)

	Year Ended		%age change
	31.03.2012	31.03.2011	
Interest Income	647450	493251	31.26
Other Income	41746	43708	-4.49
Total Income	689196	536959	28.35
Total Expenditure	613197	435610	40.77
Operating profit	75999	101349	-25.01
Net Profit	45128	52617	-14.23
ROA	0.65%	0.90%	----
Net Interest Margin (NIM)	2.41%	2.92%	----
Gross NPA (%)	1.65%	0.99%	----
Net NPA (%)	1.19%	0.56%	----
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel I)	12.81%	11.94%	----
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	13.26%	12.94%	----
EPS	19.24	26.40	----

CAPITAL & RESERVE

During the year, Bank has issued 1,11,52,000 Equity Shares of Rs.10/ each to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.85.46 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.11.15 crore to Rs.234.21 crore and Share Premium has increased by Rs.83.89 crore (Share Premium Received Rs.84.15 crore minus Share Issue Expenses Rs. 0.26 crore) to Rs. 505.53 crore.

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.3048.82 crore as on 31.03.2011 to Rs.3518.89 crore as on 31.03.2012.

The Capital Adequacy Ratio (Basel II) of the Bank is 13.26% as on 31.03.2012 against the minimum stipulated requirement of 9% with core CRAR at 8.55%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

The Bank has redeemed the Tier – II Bonds (6% - Series VI) of Rs. 45.00 crore on 30.04.2011 and issued fresh Tier – II Bonds (9.73% - Series XIII) of Rs. 300 crore on 24.06.2011. Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2012 is Rs.1365 crore as compared to Rs. 1110 crore as on 31.03.2011.

DEPOSIT GROWTH

The total deposit of the Bank registered a growth of 5.69% with Net accretion of Rs 3401 crore to reach Rs.63124 crore as on March 31, 2012 from Rs.59723 crore as on March 31, 2011. The average cost of deposits of the bank stood at 7.97% compared to 6.19% in previous year.

STAUTORY AUDIT

Bank has appointed M/s Bhatia & Bhatia, New Delhi, M/s Alka & Sunil, New Delhi, M/s G. S. Goel & Co. Delhi, M/s S.B.G. & Co Delhi, M/s.R.M. Lall & Co. Lucknow and M/s.O.P Tulsyan & Co New Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2012.



अग्रिम

बैंक ने वित्तीय-वर्ष 2011-12 के दौरान पिछले वर्ष में प्राप्त उच्च-कोटि के ऋणों के लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुरक्षण करते हुए इस वर्ष उच्च-कोटि के ऋणों में 8.26% की वृद्धि दर्ज की। बैंक के सकल अग्रिम जो 31.03.2011 को रु. 42832.62 करोड़ थे 31.03.2012 को बढ़कर रु. 46368.63 करोड़ हो गए।

बैंक का साख-पत्र तथा बैंक गारंटी कारोबार 31.03.2011 की स्थितिनुसार रूपए 3267.44 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 को रूपए 3474.45 करोड़ हो गया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 6.34% की वृद्धि दर्ज की।

बैंक ने ऋण-कारोबार का विविधिकरण किया है तथा बैंक की सुदृढ़ ऋण-नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों अर्थात् उद्योग, मूलभूत सेवाएं, कृषि, आवास तथा उपभोग जैसे क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाया है। इस अवधि के दौरान आधारभूत क्षेत्र में 19.53% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में दिनांक 31.03.2011 को रु.10121.21 करोड़ के ऋण बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को रु. 12097.96 करोड़ हो गए। आवास, सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम एम.एस.ई., शिक्षा संस्थान जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक के ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवास क्षेत्र के अग्रिम में 8.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (31.03.2011 के रु. 4392.05 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 को रु. 4756.17 करोड़ एमएसई क्षेत्र को दिए अग्रिमों में 16.54% की वृद्धि हुई (31.03.11 को रु. 5574.06 से 31.03.2012 को रु. 6496.19 करोड़ व्यक्तिगत ऋणों सहित शिक्षा क्षेत्र संस्थाओं को दिए ऋणों में 0.21% की वृद्धि हुई, दिनांक (31.03.2011 के रु.600.05 से दिनांक 31.03.2012 को रु.601.28 करोड़) आधारभूत सेवाओं से इतर उद्योगों को दिए गए ऋणों में 27.91% वृद्धि हुई जिसमें मुख्यतः ऑटोमोबाइल (20.51%) कंप्यूटर साफ्टवेयर (90.96%) विनिर्माण (17.96%) चीनी (8.03%) खाद्य-प्रसंस्करण (23.87%) आदि शामिल थे। सड़कें तथा बंदरगाह (27.91%) पावर (41.08%) जैसे आधारभूत क्षेत्रों को दिए ऋणों में वृद्धि हुई। वित्तीय-वर्ष 2011-12 के दौरान एनबीएफसी को (6.08%) प्रमुखतः आवास क्षेत्र, आटोमोबाइल क्षेत्र तथा उपभोग हेतु दिए गए ऋणों में वृद्धि हुई।

उद्योग परिदृश्य के साथ-साथ 31.03.2011 को 11.84% के अग्रिमों से प्राप्त प्रतिफल थोड़ी सी वृद्धि के साथ 31.03.2012 को 11.86% वार्षिक ऋण मूल्यांकन को और सुदृढ़ करने हेतु बैंक ने सनदी लेखाकार तथा तकनीकी व्यक्तियों (इंजीनियरों) की भर्ती की है। ऋणों में वृद्धि तथा ऋण आवेदनों के तुरंत निपटान हेतु बैंक ने एक नया व्यापार ग्रुप तैयार किया है जहाँ उच्च मूल्य वाली/ब्याज स्वीकृतियों को प्राथमिकता दी जाती है।

ऋण-निगरानी

बैंक ने अपने सुपरिभाषित ऋण-वृद्धि एवं नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपने ऋण कारोबार पर इसकी गुणवत्ता और कार्य-निष्पादन को बनाए रखने हेतु निगरानी को जारी रखा। यह प्रसन्नता की बात है कि इसका मानक अग्रिम पोर्टफोलियो लगातार कुल अग्रिम के 98.35% से उपर बना हुआ है।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2011 को रु. 11640 करोड़ रूपए से बढ़कर 31.03.2012 को 13052 करोड़ रूपए हो गए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में हुई वृद्धि का प्रमुख अंग रहा है।

कृषि ऋण

कृषि ऋण दिनांक 31.03.2012 को रु. 4456 करोड़ रूपए थे। वर्ष 2011-12 में कृषि को दिए ऋणों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे यह 31.03.2011 के रु. 3011 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 को रु. 3704 करोड़ हो गए। बैंक ने काश्तकारों और अलिखित पट्टेदार किसानों सहित लघु एवं सीमांत किसानों को 4% वार्षिक की सस्ती दर पर व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान में वृद्धि की है।

नए आयाम

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – प्रति एकड़ उच्चतम पात्रता राशि को रु. चालीस हजार से बढ़ाकर रु. एक लाख कर दिया गया है।

रु. 3 लाख से उपर तथा रु.10 लाख तक के फसल ऋणों का सरलीकरण किया गया है।

कृषि क्रेडिट को आबंटन हेतु शाखा प्रबंधकों के विवेकाधिकार शक्तियों में काफी वृद्धि की गई है।

ऋण-आवेदनों को तेजी से निपटाने हेतु शाखा स्तर पर आसान प्रलेखन तथा केसीसी योजना के अंतर्गत अर्थात् उत्पादन और निवेश क्रेडिट मामलों में किसानों को मिश्रित क्रेडिट आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं जो शाखाओं में उपलब्ध हैं।



HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(Rs in Lacs)

	Year Ended		%age change
	31.03.2012	31.03.2011	
Interest Income	647450	493251	31.26
Other Income	41746	43708	-4.49
Total Income	689196	536959	28.35
Total Expenditure	613197	435610	40.77
Operating profit	75999	101349	-25.01
Net Profit	45128	52617	-14.23
ROA	0.65%	0.90%	----
Net Interest Margin (NIM)	2.41%	2.92%	----
Gross NPA (%)	1.65%	0.99%	----
Net NPA (%)	1.19%	0.56%	----
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel I)	12.81	11.94%	----
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	13.26	12.94%	----
EPS	19.24	26.40	----

CAPITAL & RESERVE

During the year, Bank has issued 1,11,52,000 Equity Shares of Rs.10/ each to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.85.46 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.11.15 crore to Rs.234.21 crore and Share Premium has increased by Rs.83.89 crore (Share Premium Received Rs.84.15 crore minus Share Issue Expenses Rs. 0.26 crore) to Rs. 505.53 crore.

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.3048.82 crore as on 31.03.2011 to Rs.3518.89 crore as on 31.03.2012.

The Capital Adequacy Ratio (Basel II) of the Bank is 13.26% as on 31.03.2012 against the minimum stipulated requirement of 9% with core CRAR at 8.55%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

The Bank has redeemed the Tier – II Bonds (6% - Series VI) of Rs. 45.00 crore on 30.04.2011 and issued fresh Tier – II Bonds (9.73% - Series XIII) of Rs. 300 crore on 24.06.2011. Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2012 is Rs.1365 crore as compared to Rs. 1110 crore as on 31.03.2011.

DEPOSIT GROWTH

The total deposit of the Bank registered a growth of 5.69% with Net accretion of Rs 3401 crore to reach Rs.63124 crore as on March 31, 2012 from Rs.59723 crore as on March 31, 2011. The average cost of deposits of the bank stood at 7.97% compared to 6.19% in previous year.

STAUTORY AUDIT

Bank has appointed M/s Bhatia & Bhatia, New Delhi, M/s Alka & Sunil, New Delhi, M/s G. S. Goel & Co. Delhi, M/s S.B.G. & Co Delhi, M/s.R.M. Lall & Co. Lucknow and M/s.O.P Tulsyan & Co New Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2012.

ADVANCES



गन्ने की फसल हेतु वित्त प्रदान करने के लिए बैंक ने गन्ना उत्पादकों तथा चीनी मिलों के साथ किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है।

बैंक द्वारा दिए जा रहे ऋणों की जानकारी देने के लिए मोगा में दिनांक 17 मार्च, 2012 को एक महा किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1500 किसान शामिल हुए। इस मेले में रु. 40 करोड़ के 800 केसीसी बांटे गए।

कृषि क्रेडिट के आबंटन में तेज़ी लाने हेतु जून 2011 में कृषि फील्ड अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में 62 कार्यरत हैं जिन्होंने 10470 खातों में रु. 353 करोड़ के नए अग्रिम दिए हैं।

विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने निरंतर कृषि को ऋण-प्रवाह बनाए रखा तथा विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी) के निर्धारित रूप 5652 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 4783 करोड़ संवितरित किए हैं जो कि लक्ष्य का 85% है।

स्वयं सहायता समूह (एसजीएच)

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 428 स्वयं सहायता समूहों को रु. 7.30 करोड़ संवितरित किए।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

प्राथमिकता क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, बैंक की ऋण उपलब्ध कराने में महत्व वाले क्षेत्र रहे हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिमों में 22% की वृद्धि से रूप 5971 करोड़ रही जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष-दर-वर्ष की 20% की अपेक्षाओं से अधिक है। एमएसई क्रेडिट आबंटन में तेज़ी लाने हेतु बैंक ने संभाव्य शाखाओं में 1415 एमएसई क्रेडिट शिविरों का आयोजन किया जिनमें रु.274 करोड़ के 1398 प्रस्तावों को सस्वीकृति प्रदान की गई और 1286 मामलों में रु.226 करोड़ आबंटित किए गए।

नए आयाम

रेस्तरां/ढाबा तथा भट्टा मालिकों को वित्त प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की गईं।

क्रेडिट रेटिंग लाभों के संबंध में सूक्ष्म तथा छोटे उद्यमियों को जानकारी देने के लिए छोटे तथा मझोले उद्यम रेटिंग एजेंसी (एसएमईआरए) के माध्यम से नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में एमएसई ग्राहकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लगभग 250 वर्तमान तथा संभाव्य एमएसई ग्राहकों ने सहभागिता की।

अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणियों को अग्रिम

बैंक द्वारा विशेष रूप से ध्यान देने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणियों को अग्रिम जो दिनांक 31.03.2011 को रु 295 करोड़ थे, वर्ष 2011-12 में बढ़कर रु 337 करोड़ हो गए।

अल्पसंख्यक समुदाय/महिला उद्यमियों का कल्याण

31.03.2012 की स्थितिनुसार अल्प संख्यक समुदायों को 15% के राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 37% वित्तपोषित किया गया और महिला उद्यमियों को कुल अग्रिमों का 4.87% ऋण दिया गया।

शैक्षणिक ऋण

बैंक द्वारा दिए गए शैक्षणिक-ऋण जो 31.03.2011 को रु.218.35 करोड़ थे, 31.03.2012 को बढ़कर रु. 226.56 करोड़ हो गए।

वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)

बैंक के सभी तीन अग्रणी जिलों यथा मोगा, फरीदकोट तथा लुधियाना में एफएलसीसी मौजूद हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी, सतलुज ग्रामीण बैंक, बठिंडा पंजाब के छः जिले यथा बठिंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर, मोगा तथा लुधियाना स्थापना काल से ही लाभ में चल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विभिन्न मापदंडों में निम्नानुसार निरंतर प्रगति की है:-



The Bank has registered qualitative credit growth of 8.26 % (Audited) during the FY 2011-12. The Gross Advances of the Bank increased from Rs.42832.62 crore as on 31.03.2011 to Rs.46368.63 crore as on 31.03.2012.

Letter of Credit and Bank Guarantee business of the bank also increased to Rs.3474.45 crore as on 31.03.2012 from Rs.3267.44 crore as on 31.03.2011, thereby registering growth of 6.34 % during FY 2011-12.

The Bank has diversified portfolio of Advances and has extended credit to all sectors i.e. Industry, Infrastructures, Services, Agriculture, Housing & Consumption as per vibrant Loan Policy of the Bank. The notable growth of 19.53% has been registered in the Infrastructure sector during the period. The lending in this sector increased from Rs.10121.21 crore as on 31.03.2011 to Rs 12097.96 crore as on 31.03.2012. There was notable credit growth in exposure to other preferred sectors like Housing, Micro & Small Enterprises (MSE), Educational institutions. Advances to Housing Sector increased by 8.29% (from Rs.4392.05 crore as on 31.03.2011 to Rs.4756.17 crore as on 31.03.2012). Credit growth in MSE Sector was 16.54 % (from Rs.5574.06 crore as on 31.03.2011 to Rs. 6496.19 crore as on 31.03.2012). Advances to Education Sector/institutions increased by 0.21% (from Rs.600.05 crore as on 31.03.2011 to Rs.601.28 crore as on 31.03.2012). Credit exposure to industry other than infrastructure, increased by 27.91 % which mainly comprised of sectors viz: Automobiles (20.51%), Computer software (90.96%), Construction (17.96 %), Sugar (8.03%) and Food processing (23.87%) etc. Credit growth to infrastructure sector was notably in Roads & Ports (27.91 %), Power (41.08 %). Growth of credit to NBFCs during FY 2011-12 (6.08%) was mainly for on-lending to Housing sector, Automobile sector and Consumption sector.

The average Yield on Advances increased to 11.84 % p.a. as on 31.03.2012 from 10.31 % p.a. as on 31.03.2011 in line with industry scenario.

To strengthen its credit appraisal, the Bank has recruited Chartered Accountants & Technical personnels i.e. Engineers. For improving credit off take & expeditious disposal of loan proposals, Bank has introduced concept of New Business Group where all proposals of high value are given in principle sanction /expression of interest so that these are processed expeditiously.

Credit Monitoring

The Bank through its well laid down Credit Growth & Monitoring System, continues to closely monitor its advances portfolio to maintain its quality and performance. It is heartening to note that its Standard Advances Portfolio continues to be above 98.35% of total Advances.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Priority Sector advances of the Bank increased from Rs.11640 crore as on 31.3.2011 to Rs 13052 crore as on 31.3.2012. Thrust in poverty alleviation schemes has been the hallmark of the growth in Priority Sector credit dispensation.

AGRICULTURE CREDIT

Agriculture credit stood at Rs.4456 crore as on 31.3.2012. Direct credit to agriculture grew by 23 % in 2011-12 from Rs 3011 crore as on 31.03.2011 to Rs 3704 crore as on 31.03.2012. Bank enhanced provision of credit to small & marginal farmers including tenant farmers and oral lessees at cheaper interest rate of 4 % p.a.

New Initiatives

- Kisan Credit Card Scheme - per acre maximum eligibility amount has been enhanced from Rs forty thousand to Rs. one lac.
- Rate of interest on crop loans above Rs. 3 lac and up to Rs 10 lac was rationalized.
- Branch Manager's Discretionary Lending Powers for Agricultural credit dispensation have been enhanced substantially.
- For expeditious disposal of loan applications, hassle free documentation at branch level and to facilitate the farmers to get access to composite credit requirements in one instance under KCC Scheme, i.e. both production and investment credit, booklets have been devised and are available at branches.
- Bank has tied-up with sugarcane growers and sugar mills for financing crop loans to farmers for cultiva-



31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें 2012

जमा	221.72	238.22	राशि लाखों में
कुल अग्रिम	157.82	191.07	प्रतिशत में परिवर्तन
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	31.03.2012	31.03.2011	
व्याज की आय	147.98	181.45	31.26
अन्य आय	647450	493251	-4.49
कुल आय	128.35	161.45	28.35
शुद्ध लाभ	689196.68	536959	40.77
ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	613197	435610	40.77
<p>ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना 2011-12 के दौरान आरएसईटीआई द्वारा निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया गया :-</p>			
	0.65:	0.90:	----
कृषि विकास कार्यक्रम (एन.आई.एम.)	आयोजित कार्यक्रम	2.92:	हिताधिकारियों की संख्या
कुल अनर्जक अस्तियां (%)	1.65: 13	0.99:	386 ----
शुद्ध अनर्जक अस्तियां (%)	1.19: 9	0.56:	289 ----
पूजी पर्याप्तता अनुपात(%) (बासल-I)	12.81: 11	11.94:	253 ----
पूजी पर्याप्तता अनुपात(%) (बासल-II)	13.26:	12.94:	----
वित्तीय शोषण (ई.पी.एस.)	19.24:	26.40	----

पूजी एवं आरक्षित निधि पंजीयन समावेशन क्षेत्र एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि बैंक का एक मिशन है ताकि जन-साधारण के वंचित तथा अयोग्य वर्गों को सशक्त किया जाए तथा बैंक का प्रयास है कि वह इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ें और उन्हें समाज की एक सक्रिय भाग बनाने का उद्देश्य है।

वित्तीय शोषण (ई.पी.एस.) का अर्थ है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए वित्तीय उत्पादों की कीमतें बाजार की तुलना में अधिक हैं।

वित्तीय शोषण (ई.पी.एस.) को कम करने के लिए बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिक लाभदायक वित्तीय उत्पादों की पेशकश की है।

पूजी पर्याप्तता अनुपात (बासल-II) 13.26 प्रतिशत है जबकि न्यूनतम 9% निर्धारित पूजी पर्याप्तता अनुपात के साथ कोर सीआरएआर 8.52 प्रतिशत पर है।

मैसर्स जमानती प्रविदेय बांड (टीयर-II की पूंजी हेतु सौंपन)

बैंक ने दिनांक 30.04.2011 को रु.45 करोड़ के टीयर-II बांडों (6% - श्रृंखला - vi) का भुगतान कर दिया है और दिनांक 24.06.2011 को रु. 300 करोड़ के नए टीयर-II बांडों (9.73% - श्रृंखला Xiii) को जारी कर दिया है। दिनांक 31.03.2012 को टीयर-II बांडों के कुल बकाया के साथ केसाकि 59.13.2011 को फिलस्त्रवाओं के कुल बकाया के साथ 124302 केसीसी जारी किए गए।

वृद्धि 2470.00 करोड़ की बकाया के साथ 124302 केसीसी जारी किए गए।

वित्तीय शोषण (ई.पी.एस.) का अर्थ है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए वित्तीय उत्पादों की कीमतें बाजार की तुलना में अधिक हैं।

वित्तीय शोषण (ई.पी.एस.) को कम करने के लिए बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिक लाभदायक वित्तीय उत्पादों की पेशकश की है।

सांविधिक लेखा परीक्षा

बैंक ने मार्च 2012 के समाप्त लेखा वर्ष हेतु मैसर्स भाटिया एण्ड भाटिया, नई दिल्ली; मैसर्स अलका एण्ड सुनील, नई दिल्ली; मैसर्स जी.एस. गायल एण्ड कंपनी, दिल्ली; मैसर्स एस.बी.जी. एण्ड कंपनी, दिल्ली; मैसर्स आर.एम. लाल एण्ड कंपनी, लखनऊ और मैसर्स आ.पी. तुलासियान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली को सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।



tion of sugarcane.

- Maha Kisan Mela organized at Moga to popularize Bank's loan products on 17th March, 2012 was attended by nearly 1500 farmers. 800 KCCs for Rs. 40 crore were distributed at the Mela.
- In order to accelerate agricultural credit dispensation, Agriculture Field Officers were appointed in June, 2011 and 62 are working at present who have granted fresh advances of Rs.353 crore in 10470 accounts.

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

Bank maintained Credit Flow to Agriculture and disbursed Rs 4783.00 crore under Special Agriculture Credit Plan against the target of Rs 5652.00 crore achieving 85% of the target.

SELF HELP GROUP (SHG)

During the year 2011-12 the Bank has disbursed Rs 7.30 crore to 428 SHGs.

MICRO & SMALL ENTERPRISES (MSEs)

Micro & Small Enterprises sector is a thrust area of the Bank in credit dispensation. Advances to MSE sector increased by 22% in 2011-12 against Government of India stipulation of 20% Y-O-Y growth and stood at Rs 5971.00 crore. In order to augment MSE credit dispensation, Bank organized 1415 MSE credit camps in potential branches wherein 1398 proposals for Rs. 274.00 crore were sanctioned and Rs. 226.00 crore in 1286 cases have been disbursed.

New Initiatives

Schemes for Financing of Restaurants/ Dhaba and Brick Kiln owners have been formulated.

In order to sensitize the Micro and Small Entrepreneurs as regards benefits of credit rating, MSE customer meets were organized through Small and Medium Enterprises Rating Agency (SMERA) at New Delhi and Chandigarh, which were attended by around 250 existing as well as prospective MSE clients.

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

Advances to SC/STs increased to Rs.337.00 crore during the year 2011-12 from Rs.295.00 crore as on 31.3.2011 due to special focus given by the Bank.

WELFARE OF MINORITY COMMUNITY/ WOMEN ENTREPRENEURS

Lending to Minority Communities constitutes 37% of Priority sector advances as on 31.3.2012 against national target of 15% and advances to Women Entrepreneurs stood at 4.87% of total advances.

EDUCATION LOANS

Bank's exposure to Education Loans has increased to Rs. 226.56 crore as on 31.03.2012 from Rs. 218.35 crore as on 31.03.2011.

FINANCIAL LITERACY COUNSELING CENTERS (FLCCs)

FLCCs are functioning in all three lead districts of the Bank viz. Moga, Faridkot and Ludhiana.

RRB SPONSERED BY THE BANK

Sutlej Gramin Bank, Bhatinda, the RRB sponsored by the Bank, covers six districts of Punjab viz. Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana and is in profit since inception. The progress made by the RRB in various parameters is as under –

(Rs. in crores)



	31.3.2011	31.3.2012
Deposits	221.72	238.22
Total Advances	157.82	191.07
Priority Sector Advances	147.98	181.45
Agriculture Advances	128.35	161.45
Net Profit	1.68	2.69

RURAL SELF EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTE (RSETI)

Pursuant to the initiative of Ministry of Rural Development, Govt. of India, the Bank has established Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) at Ludhiana, Moga and Faridkot Districts in Punjab. Training imparted by RSETIs during 2011-12 is as under:

Sr. No.	Centre	Programmes organized	No. of beneficiaries
1	Moga	13	386
2	Ludhiana	9	289
3	Faridkot	11	253

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is not only a process but a mission for the Bank to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the Bank has been to connect these people with the banking system and make them a productive asset of the society.

In terms of Financial Inclusion Plan submitted to RBI, Bank had to provide banking outlets in 400 villages having population above 2000 by March, 2012 through a Brick and Mortar branch or through any of the various ICT based models including BC model.

Villages allotted to our Bank: 400

Villages covered: 395*

- Under BC Model: 373
- Under Brick & Mortar branches 022

* 5 villages allotted in Manipur state could not be covered due to insurgency reasons.

Bank as a whole:

- 5.91 lac 'No-Frill Accounts' have been opened with a total outstanding of Rs. 37.27 crore.
- 124302 KCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 2470.00 crore.

In Allotted villages:

- 1.19 lac 'No-frill Accounts' have been opened with a total outstanding of Rs. 16.25 crore and OD facility up to Rs. 500/- per No- Frill account has been sanctioned in 46466 'No-frill Accounts' till 31.03.2012.
- 22429 KCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 340.96 crores

FI accounts are being migrated to CBS Server. A Financial Inclusion Central SOL / back Office has been opened on 30.03.2012 at H.O. Financial Inclusion Cell, New Delhi. Biometric data is available on FI Server.

Establishment of Ultra Small Branches:



3. आस्ति एवं देयतायें प्रबंधन समिति (एलको)
4. संचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.)

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती हैं।

नीति-तंत्र

बैंक के समक्ष विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं। बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण तथा बैंक के सभी जोखिमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) नीति, निवेश-नीति, ऋण-नीति, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) ऋण लेखा-परीक्षा, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, डेरिवेटिव नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय सतत् आयोजना (बी.सी.पी.) तथा आपदा वसूली प्रबंधन (डी.आर.एम.) नीति, स्ट्रेस टैस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने की नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति शामिल हैं। आर.एम.सी./निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बेसल-II के साथ अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 को प्रभावी तिथि से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल-II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक बेसल-I तथा बेसल-II के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समानान्तर आधार पर पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सी.आर.ए.आर.) की संगणना करता है। बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा सी.आर.ए.आर. की तिमाही आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने की निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन की तैयारी की है।

आई.सी.ए.पी. नीति

बेसल-II, पिलर - 2- पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एस.आर.ई.पी.) विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.पी.) नीति को तैयार किया है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय/पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले सम्भावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है।

प्रकटीकरण

बेसल-II पिलर -3- 'बाजार अनुशासन' विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी-निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही, छमाही, वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण-जोखिम

ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कार्पोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेटिंग जोखिम माडलों को कार्पोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग के लिए, उद्योगों/पोर्टफोलियों का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

पूंजी के संरक्षण तथा अनुकूलतम उपयोगिता को हासिल करने के उद्देश्य से बेसल-II के मानदंडों की संचालन स्तर पर जानकारी दी जा रही है तथा उसमें निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है।



- 373 unbanked allotted villages with population above 2000 have been transferred to Ultra Small Branches as on 31.03.2012. A specific officer has been designated for visiting unbanked allotted villages on pre notified day and time every week with a Laptop having VPN connectivity to the CBS.

Awareness Programme on Financial Inclusion Products/Bank's Credit products

- "Literacy and Awareness Camps on Financial Inclusion Products" were organized during the month of March 2012 through the base branches in all 400 unbanked allotted villages with population above 2000 for Financial Inclusion and approximately 25,000 people attended the camps.

ASSET QUALITY

During the difficult phase of Indian Economy, the Bank continued its efforts in maintaining the asset quality during the year 2011-12 by accelerated recovery of NPAs through the well coordinated and sustained efforts including action under SARFAESI Act 2002. In spite of high fresh slippage, the Gross and Net NPAs stood at Rs.763.44 crore (1.65%) and Rs.547.56 crore (1.19%) as against the level of Rs.424.28 crore (0.99%) and Rs.237.94 crore (0.56%) as on 31.03.2011 respectively.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. Aggressive and focused efforts in Recovery could result in the total recovery of over Rs.331.36 crore including recovery of Rs.108.75 crore in Technically Written Off accounts.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2012 vis-à-vis previous year is as under:

NPA	(Rs. in crore)			
	As on 31.03.2011		As on 31.03.2012	
Gross	424.28	0.99%	763.44	1.65%
Net	237.94	0.56%	547.56	1.19%

The Provisioning Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O. a/cs), as on 31.03.2012 stood at 64.15%.

INVESTMENT MANAGEMENT & FOREIGN EXCHANGE

Bank's total investment increased by 7.79% during current financial year to Rs.20157.45 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year declined from Rs.75.16 crore previous year to Rs. 68.11 crore for the year, on account of high yields of Govt. Bonds throughout the year.

Bank has been aggressively pushing its gold coins sale. The profit on sale of gold coins increased from Rs.0.85 crore during 2010-11 to over Rs.2.13 crore for the year 2011-12.

Exchange profit in Forex transactions decreased marginally by Rs.1.90 crore during the current year as compared to previous year (i.e. from Rs.35.70 crore to Rs.33.60 crore) on account of volatility in exchange rates.

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD), headed by a General Manager.

Risk is managed through following Apex committees, viz.

- Risk Management Committee (RMC)- a Board level subcommittee
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) and



बिजनेस प्रोत्साहन योजनाओं को स्थापित करना

वित्तीय समावेशन उत्पादों के ऋण उत्पादों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय समावेशन उत्पादों के ऋण उत्पादों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

मार्च 2012 माह के दौरान कुल सुरक्षाबद्ध है, जोकि देय होने पर बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक को सुरक्षित और जागरूकता के पहलुओं को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक विनियामक दिशा-निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम आसित गुणवत्ता प्रभार को संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियों पर भी जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) की गणना करता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के कठिन समय में बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने आसित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एनपीए स्थिति में वृद्धि से अधिक वसूली करते हुए सरफसी एक्ट 2002 के अंतर्गत कारवाई सहित अपने समस्त निरंतर समय प्रयास पर सफलता प्राप्त की है। इसी भी एक जोखिम कारक के आघात के प्रभाव से पैदा होने वाली बढतुर स्थिति का अनुमान किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए समायोजित हल निकाले जाते हैं। ही सीमित रहे।

परिचालनगत जोखिम वर्ष के दौरान बैंक-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली अच्छी रही। वसूली में आक्रामक एवं केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप जोखिम प्रबंधन रणनीति (सी.डी.सी.एम.डी.) कार्यालयों में सूचीबद्ध खिचों से 3 अर्धवर्षिक तथ्यों के अंतर्गत समीक्षा की गई और अर्धवर्षिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संसाधित किया जाता है। बैंक ने परिचालनगत जोखिम के अंतर्गत दृष्टिकोण 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

एनपीए सॉल्टन एवं सहायता सेवा	31.03.2011 की स्थिति अनुसार		31.03.2012 की स्थिति अनुसार	
बैंक ने इस वर्ष कुल 63 नई शाखाएं खोलीं जिनमें 12 शाखाएं वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत खोली गईं जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 47 शाखाएं खोली गई थीं।	424.28	0.99%	763.44	1.65%
	287.94	0.56%	547.56	1.19%

बैंक ने आधार शाखाओं के लिए दिनांक 30.03.2012 से एक केंद्रीय संसाधन केंद्र - एफआई केंद्रीय सेल, प्र.का. एफआई तथा एनपीए 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

निवेश प्रबंधन एवं विदेशी विनिमय है। बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए दिनांक 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए दिनांक 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए दिनांक 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

साखन प्रबंधन प्रबंधन

बैंक में 31.03.2012 को 8041 कर्तव्य कर्मचारी कार्यरत थे। बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए दिनांक 31.03.2012 को गैर-निष्पादित आसितों की रकम एवं निवल स्थिति 31.03.2011 की तुलना में निम्नानुसार है:

निम्नलिखित शीर्षस्थ संचालकों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन किया जाता है :	5512	5587
1. जोखिम प्रबंधन समिति (आफ.एम.सी.) एक बोर्ड स्तरीय उपसमिति		994
2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.)	8107	8041



- Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Investment Policy, Loan Policy, Risk Based Internal Audit (RBIA), Credit Audit, Country Risk Management Policy, Derivatives Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank is computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II guidelines. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank is geared up to maintain time schedule for moving towards advanced approaches under BASEL II, as suggested by RBI.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement, commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for, wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed, based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on Quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework, comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

Awareness of Basel II norms at the operating level is created and continuously enhanced to achieve the aim of conservation and optimum use of capital.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.



Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. There is strict adherence to various limits and escalation of breaches, if any, are followed up.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they become due. It is designed to identify, measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the standardized approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

The Bank periodically undertakes stress test exercises to highlight the potential risks, on account of liquidity & interest rate risk that may arise due to events that are rare but plausible. The impact of shock to a risk factor that may generate worst case scenario is studied and to counter the impact, possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank has started the process of collecting Loss Data for migration to advanced approaches of Operational Risk.

ORGANISATION & SUPPORT SERVICE

Bank has opened 63 new branches (which includes 12 branches opened under the Financial Inclusion Plan) as against 47 new branches opened in the last fiscal.

During the year, Bank has also operationalized a Central Processing Centre – FI Central Sol at H.O. FI & UID Cell, H.O. Priority Sector Department, 21, Rajendra Place, New Delhi for the base branches to which villages under Financial Inclusion have been allotted.

Central Civil Pension has been centralized in the Bank and is being disbursed by CPPC from December 2010 onwards. The Civil Pension is being released through 240 CBS branches directly into the accounts of Pensioners through GBM Module.

PFRDA has registered our Bank as POP for handling NPS scheme in view of the Public policy objectives of mitigating the longevity risk of the workers of the unorganized sector and to encourage them to save for their retirement.

The bank is also handling OLTAS business. Bank has extended the facility of Deposits of tax to its customers also through ATMs of our Bank.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The Bank has a dedicated workforce of 8041 employees as on 31.03.2012

a) STAFF STRENGTH

Category	31 st March 2011	31 st March 2012
Officers	5512	5587
Clerks	1452	1460
Sub-staff	1143	994
Total	8107	8041

b) WOMEN IN EMPLOYMENT



2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने सेवा-निवृत्त स्टाफ़ तथा उनके जीवन साथी के लिए रूपए 2.00 लाख प्रति वर्ष की मेडीक्लेम पालिसी शुरू की है। इसके साथ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवन साथियों की किसी भी प्रकार की बीमारी का समय से पता लगाने के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य चिकित्सा जांच योजना की भी मंजूरी दे दी गई है। सहायक कर्मचारियों के बालकों के लिए एक नई बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना अनुमोदित की गई है। वर्तमान शैक्षिक प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति में भी सुधार किया गया है। बैंक ने, जहाँ कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान, दुर्भाग्य से मृत्यु होने पर, उसके आवास ऋण पर 2.00 लाख रूपए तक की छूट की योजना शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी के कल्याण हेतु हाल ही में बैंक ने अपने सफाई कर्मचारियों को मास्क तथा दस्ताने प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके।

झ. सीधी भर्ती

सीधी भर्ती के दूसरे चरण में, बैंक ने 2011-12 में 5 राजभाषा अधिकारियों, सामान्य संवर्ग में 94 कृषि फील्ड अधिकारियों, 568 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 395 लिपिकों का चयन किया है।

इसके अलावा, यह पहले से ही अनुमोदित किया गया है कि बैंक भर्ती परियोजना 2012-13 के अंतर्गत 1200 अधिकारी जिसमें विशिष्ट श्रेणी के अधिकारी सम्मिलित हैं तथा 800 लिपिकों की सीधी भर्ती की जाए तथा यह प्रक्रियाधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने सीबीएस तथा नेटवर्क परियोजनाओं को और तीव्र गति से आगे बढ़ाया।

बैंक ने अपनी 500 शाखाओं/कार्यालयों को सीबीएस में परिवर्तित कर सीबीएस परियोजना का प्रथम चरण पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप अब बैंक का 86.34% व्यापार इसके अधीन हो रहा है। शेष शाखाओं को सीबीएस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान सतलुज ग्रामीण बैंक, बठिंडा (आरआरबी) की 30 शाखाओं को भी सीबीएस में परिवर्तित किया गया।

आर.टी.जी.एस. तथा एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से 622 शाखाओं में इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

वर्ष के दौरान 35 ए.टी.एम स्थापित किए गए जिसके परिणामस्वरूप भारत के बड़े शहरों में बैंक अपने ग्राहकों की सेवा अब कुल 118 ऑनसाइट/आफसाइट एटीएम के माध्यम से कर रहा है।

ए.टी.एम के माध्यम से सीधे कर-भुगतान की सुविधा आरम्भ की गई। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीएसटी/डीवैट के ऑन-लाईन भुगतान की सुविधा आरम्भ की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक की सीटीएस परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शाखाओं में पूर्णतः कार्यान्वित किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शाखाओं का 100% समाशोधन कार्य सीटीएस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। चेन्नई में आउटसोर्स के आधार पर सीटीएस को कार्यान्वित किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में एक सुव्यवस्थित निरीक्षण विभाग है, जो बैंक की प्रणाली, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के पालन की जांच करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, एफआईयू-आईएनडी, भारत सरकार, बोर्ड तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। संवर्ती लेखा-परीक्षकों तथा आंतरिक निरीक्षण दलों द्वारा सभी पात्र शाखाओं में संवर्ती लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, ऋण लेखा-परीक्षा, प्रबंधन लेखा-परीक्षा, राजस्व लेखा-परीक्षा सम्पन्न की गई। निरीक्षण विभाग द्वारा सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा हेतु एक रूप रेखा तैयार की गई जिसका अनुपालन व्यापारिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। लेखा परीक्षा का कार्य सीआईएसए/डीआईएसए योग्यता प्राप्त आंतरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है।

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा प्रधान कार्यालय, निरीक्षण विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा महत्वपूर्ण पहलुओं/क्रिया-कलापों की समीक्षा की गई।

अनुपालन कार्य

बैंक में एक सुनियोजित अनुपालन विभाग कार्यरत है जिसने वर्ष 2011-12 के दौरान नए आयामों पर ध्यान देते हुए बैंक में अनुपालन स्तर को और सुदृढ़ किया। एक गहन अनुपालन नीति तैयार की गई जिसके द्वारा प्र.का. विभागों, आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा प्रशिक्षण केंद्र को एक विशेष कार्य सौंपा गया। वार्षिक वित्तीय निरीक्षण, भा.रि.बैंक/आंतरिक दिशा-



Out of the total staff strength of 8041 as on 31.03.2012, the women employees are 1097, constituting 13.64% of the total strength.

c) EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES

In terms of Govt. Reservation Policy, a General Manager has been designated as a Chief Liaison Officer for SC/ST employees.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1006 and 241 respectively on 31.03.2012. The staff strength under various reserved categories is as under: -

CATEGORY	SC	ST	OBC	Ex-SM	PH
OFFICERS	609	173	257	55	57
CLERKS	168	35	157	85	40
SUB-STAFF	229	33	41	293	18
Total	1006	241	455	433	115

d) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES

During the year 2011-12, Bank considered 44 cases received from dependants of deceased employees and the employees who retired on medical grounds, under the scheme for payment of ex-gratia in lieu of appointment on compassionate grounds. Out of 44 cases considered, 32 cases were approved for payment of ex-gratia and total sum of Rs.193.72 lac has been paid during the year.

e) PROMOTIONS

In order to boost the motivational level of staff, 79, 173, 333, 246 & 74 promotions have been made to Scale –IV, III, II, I & Clerical staff respectively during the financial year 2011-12. Further, 75 part time sweepers have also been elevated into sweeper cum peons during the year.

f) TRAINING & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment in the banking industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc., especially amongst the peers. With this in view, 292 programmes were conducted by PSB Centre for Banking Research & Training at Chandigarh in General Banking & Computer related programmes & at NIBSCOM, NOIDA in various fields from 1st April 2011 to 31st March 2012, in which, training was imparted to 5099 employees of different cadres. Besides, 276 Officers were also provided specialized trainings at Assocham, BIRD, CBI Academy, NIBM, CAB, FEDAI, FIU-India MOF, IBA, IBA –FICCI, IDBRT, IIFT, IIM, IIML, IIBF, ISB, MDI, IMI New Delhi & DPC New Delhi etc. Besides, 6 officials in various cadres were also nominated by the Bank for overseas trainings.

g) INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. Representatives from Workers' and Officers' unions participated in various discussions on developmental and other issues at various levels with the management.

h) STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in developmental activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the staff. The Bank is contributing a part of profit as per Ministry of Finance guidelines to PSB Welfare Trust.

During the year ended 2012, Bank has introduced a Medclaim Policy of Rs.2.00 lacs per annum for its



खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया।

बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया।

श्रेणी	अवधि के दौरान बैंक ने अनुसूचित जातियों के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया।	अनुसूचित जातियों के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया।	अनुसूचित जातियों के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया।	अनुसूचित जातियों के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया।	अनुसूचित जातियों के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया।
आवधि 12 के दौरान बैंक ने दिल्ली में ट्रायल प्रवाह गंज तथा अजमेरी गेट की ओर प्रचार प्रसारित किया।	609	35	157	85	40
अधीनस्थ स्टाफ बैंक को वर्ष 2012 के कैलेंडर में प्रचारित किया।	229	33	41	293	18

इन सभी कार्यक्रमों से बैंक को राष्ट्र की सेवाओं हेतु अपने को पुनः समर्पित करने का अवसर मिला तथा प्रचार-प्रसार ने इसे अपना ख्याति में आशांति विस्तार करने योग्य बनाया।

संतकता वर्ष 2010-11 के दौरान, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों तथा चिकित्सीय आधार पर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है, को योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के भुगतान के 44 नामसूची पर वर्षवार के लिए प्रस्ताव देना शुरू किया। 2011-12 के दौरान 33 प्रार्थना पत्रों को मंजूर किया गया।

वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक स्टाफ को पोसाइडन मॉडल के तहत प्रगत करने के उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 33 प्रार्थना पत्रों को मंजूर किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 33 प्रार्थना पत्रों को मंजूर किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 33 प्रार्थना पत्रों को मंजूर किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 33 प्रार्थना पत्रों को मंजूर किया गया।

खुदरा-वित्त एवं विपणन छं. औद्योगिक संबंध बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया। बँक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण प्रयासों के माध्यम से किया गया।



retired staff members & their spouse for their medical treatment. Further, a general health check up scheme for timely detection of any ailment of retired staff & their spouses has also been approved. In addition to existing scheme for girl child education, a new education incentive scheme has also been approved for male children of sub-staff. Further, improvements in the existing educational incentive & scholarship have been made. Bank has also introduced scheme for waiver of housing loan upto Rs.2.00 lac, where an employee unfortunately dies while in service.

As a further bid for welfare of the employees, Bank has recently introduced a scheme for providing gloves and masks to its Safai Karamcharis, so as to provide hygienic working environment to them.

i) DIRECT RECRUITMENT

In the second phase of direct recruitment, the Bank recruited 5 Hindi Officers, 94 Agriculture Field Officers in generalist cadre, 568 Probationary Officers & 395 Clerks during the year 2011-12.

Further, it has also been approved to recruit 1200 Officers including Specialist Officers & 800 Clerks to be directly recruited under Bank's Recruitment Projects 2012-13. The process for the same is under progress.

INFORMATION TECHNOLOGY

The year 2011-12 was marked by accelerated implementation of Core Banking Solution and Networking projects.

The Bank has completed CBS (Phase-I) with the implementation of CBS in 500 branches / offices of the Bank, thereby covering 86.34% business of the Bank. The process of migration of remaining branches to CBS has been initiated. In addition to above, all the 30 branches of Sutlej Gramin Bank, Bhatinda (RRB) were migrated to CBS during the year.

Electronic fund transfer facility through RTGS & NEFT is available at 622 branches.

35 ATMs have been installed during the year, resulting in total of 118 onsite /offsite ATMs as on 31.03.2012 serving the bank's customers in major cities spread all over India. The Bank has issued 75510 personalized and non personalized cards upto 31.03.2012.

Direct tax payment facility through ATM was introduced. On-line payment of CST / DVAT was launched through Internet Banking.

The CTS Project of RBI is fully implemented and is running live in NCR Delhi branches of the Bank. At present 100% of the clearing volume of the Bank in NCR is received through CTS system. The CTS has also been implemented at Chennai on an outsourced model.

INTERNAL CONTROL

The Bank has a well established Inspection Deptt that examines the adherence to Systems, Policies and Procedures of the Bank. The guidelines issued by RBI, FIU – IND, Govt. Of India, Board and Audit Committee of the Board are being implemented. Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit, Credit Audit, Management Audit, Revenue Audit of all eligible branches were conducted through Concurrent Auditors & Internal Inspecting Teams. The Inspection Deptt has implemented a framework for Information System Audit in tune with the business process. This audit is being conducted by CISA / DISA qualified internal as well as external auditors.

The Audit Committee of the Board on regular basis reviews the adequacy of the internal control systems and other important aspects / functions of H.O. Inspection Deptt.

COMPLIANCE FUNCTION

Having established a well managed Compliance Department, concerted efforts were made in 2011-12 to further enhance the compliance level of the bank by undertaking new initiatives. A Comprehensive "Compliance Policy" was drafted in which inter-alia, the specific roles of Compliance Officers at HO Departments, Zonal Offices, Regional Rural Bank and Training College were assigned. Compliance Templates based upon findings of Annual Financial Inspection, RBI/Internal guidelines etc. were put in place to assess the level of compliance during audit. Master Circulars and Calendar of Regulatory/Statutory Returns, besides gists of RBI/Internal guidelines were dis-



विपणन और बीमा

सामान्य बीमा

बैंक वर्ष 2003 से गैर-जीवन बीमा व्यापार के लिए बजाज अलायंस सामान्य बीमा कंपनी के कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। बजाज अलायंस सामान्य बीमा कंपनी के साथ कारपोरेट एजेंसी करार का 01.12.2009 से 31.12.2012 तक और 3 वर्ष के लिए नवीकरण किया गया था।

मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय-वर्ष हेतु इस व्यापारिक खंड से रू. 2.63 करोड़ की आय हुई।

जीवन-बीमा

बैंक ने पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से अपने उत्पाद के विपणन हेतु सितंबर 2004 में अवीवा जीवन बीमा कंपनी के साथ कारपोरेट एजेंसी करार किया। इस करार का वर्ष 2009 में पुनरीक्षण कर इसका कार्यकाल मार्च 2012 तक बढ़ा दिया। विभाग ने जीवन बीमा व्यापार हेतु नए आरएफपी की प्रक्रिया को आरंभ किया है। वर्ष 2011.12 के दौरान जीवन बीमा व्यापार से रू.16.95 करोड़ कमीशन के रूप में प्राप्त हुए। बैंक ने 287 नए भर्ती किए पी.ओ को आईआरडीए प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित करवाया। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें शाखा बीमा अधिकारी के रूप में शाखाओं में पदस्थ किया गया ताकि शाखाओं के जीवन बीमा व्यापार में वृद्धि हो सके।

यूटीआई म्यूचुअल निधि

बैंक वर्ष 2005 से यूटीआई म्यूचुअल निधियों का विपणन भी कर रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था

बैंक ने आंचलिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बैंक के करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में किए गए सुरक्षा निरीक्षणों की समीक्षा की। जहाँ अपेक्षित था सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपचारात्मक उपाए किए गए। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार समस्त शाखाओं को मूलभूत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई तथा सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए गए।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सभी करेंसी चेस्टों तथा 60 अति संवेदनशील शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम प्रतिस्थापित किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई तथा विभिन्न सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 60 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 1148 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 641 शाखाओं में हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 3137 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 647 शाखाओं/कार्यालयों के राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किए गए।

इस वर्ष बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय को बैंक में राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन तथा सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया। बैंक द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को बेहतर प्रकाशन हेतु भी पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त नराकास के तत्वावधान में अन्य बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में बैंक के तीन कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया गया। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कुल 12 प्रतियोगिताओं में से 11 प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त हुए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों हेतु आंचलिक कार्यालय, लुधियाना को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक में कार्यरत कार्मिकों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी आंचलिक कार्यालयों में 'हिंदी दिवस' एवं 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को सम्मानित किया गया।

प्रधान कार्यालय द्वारा समस्त विभागों एवं आंचलिक कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत आंचलिक कार्यालय, लखनऊ - क क्षेत्र, आंचलिक कार्यालय, मुंबई - ख क्षेत्र, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता - ग क्षेत्र एवं प्रधान कार्यालय, बोर्ड विभाग तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग को संयुक्त रूप से राजभाषा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस वर्ष प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों में कार्यरत 282 कार्मिकों को यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में काम करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग ने सभी विभागों को अपना काम स्वयं हिंदी में करने हेतु अंग्रेजी-हिंदी शब्दावलिियां उपलब्ध कराई तथा हिंदी कार्यशालाओं के लिए कार्यशाला सहायक पुस्तिका तैयार कर सभी राजभाषा अधिकारियों को वितरित की गई।



seminated amongst field functionaries, which have raised the compliance level of the bank and given a fillip to the compliance culture prevalent in the bank. Bank's endeavor is to further strive and improve upon this extant echelon of compliance besides instilling enhanced compliance culture in the staff.

PR & PUBLICITY

During the financial year 2011-12, the Bank adopted a well-planned strategy to build up its image amongst the Public at large & also at Corporate level. The bank gained immense publicity by adopting various modes of publicity.

The bank got publicity through print media by inserting advertisements in different newspapers during the period under review. Immense publicity was obtained through Print & Electronic media, as also by organising press conferences.

Publicity was also gained through panels in Delhi Metro Trains, Passengers' trolleys at T 3 Delhi Airport and Glowball Towers at New Delhi Railway Station (Pahar Ganj & Ajmeri Gate side), Nizamuddin Railway Station, VT Station, Mumbai and Lucknow junction during the financial year 2011-12.

The Bank also received extensive publicity through Bank's Wall Calendar 2012 which was widely distributed among clients & well wishers of the Bank.

All these activities facilitated the bank to re-dedicate itself to the service of the nation & enabled it to earn a well deserved mileage in publicity.

VIGILANCE

As a measure of preventive vigilance, all the Branches of the Bank are being visited by Vigilance Officers posted at Zonal Offices. 174 sensitive Branches have been identified on the basis of risk perceptions and the same have been bifurcated into two categories, namely A & B and are being visited on quarterly and half yearly intervals respectively. Training Programmes on Operational Risk Management, Prevention, and Detection & Investigation of Frauds were conducted by the Bank during the Financial Year at NIBSCOM, NOIDA.

During the financial year 2011-12, the progress in disposal of disciplinary cases was reviewed regularly with thrust on disposal of disciplinary cases in a time-bound manner. It has been the endeavour of the department to consolidate and make the working of vigilance machinery in the Bank very effective and result oriented. As a result, there has been significant improvement during the year, which is evident from the following table.

	2010-11	2011-12
RDA cases disposed during the year	58	76
Pending Inquiries more than 6 months old	19	12

The inflow of complaints has come down during the year. 69 complaints including 04 through CVC were received and 74 complaints were investigated / disposed off during the Financial Year, as compared to 96 complaints received during the previous year, indicating effectiveness of vigilance machinery in the Bank.

RETAIL & MARKETING

The Bank aggressively ventured into Retail financing and liberalized the policy for products under the Retail segment and rationalized the interest rates to make the products most competitive in the market.

Further, Special Festival Bonanza Scheme was launched for Housing Loan and Auto Loan borrowers. Certain new products were also launched during the year. The growth in fresh Retail lending was above 25% over previous year, whereas the Housing and Auto loan segments registered a growth of above 35% during the year.

During the year, the incremental growth percentage of Retail loans to gross advances has also become positive after a period of 5 years.

The Bank participated in the booking schemes launched by various Development Authorities for financing of the earnest money and received an overwhelming response, particularly in Punjab and Haryana.

MARKETING & INSURANCE



वर्षा के दौरान अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। सम्मेलन में आगामी वर्ष में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श किया गया तथा विभिन्न आंचलिक कार्यालयों से आए राजभाषा अधिकारियों को सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने हेतु तय किया गया।

खेल-कूद

बैंक के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि वर्ष के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बैंक के सचिव तथा खेलकूद कक्ष के समन्वयक सरदार राजेंद्र सिंह (ओलम्पियन) को राष्ट्रपति अवार्ड अर्थात "द्रोणाचार्य" अवार्ड से सम्मानित किया।

बैंक की हॉकी टीम

वर्षा के दौरान बैंक की हॉकी टीम ने विभिन्न टूर्नामेंटों में निम्न स्थान प्राप्त किए:-

टूर्नामेंट का नाम	स्थान	स्थिति
लिबरल्स हॉकी टूर्नामेंट	नाभा	सेमी फाइनल
गुरमीत हॉकी टूर्नामेंट	चंडीगढ़	सिल्वर मैडल
सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट	जालंधर	क्वार्टर फाइनल
नेहरू हॉकी टूर्नामेंट	दिल्ली	क्वार्टर फाइनल
महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप	दिल्ली	सिल्वर मैडल

वर्ल्ड हॉकी सीरीज में निम्न खिलाड़ियों को विशेष अवसर के लिए सम्मानित किया गया:-

- » श्री सरवनजीत सिंह को लंदन ओलम्पिक 2012 में जाने वाली हॉकी टीम के लिए चुना गया।
- » श्री भूपिंदर सिंह, अंतर्राष्ट्रीय अम्पायर को आस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले हॉकी चैम्पियनशिप के लिए पर्यवेक्षक के रूप में हॉकी इंडिया द्वारा चुना गया।
- » श्री हरबीर सिंह को पाकिस्तान में चार देशों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम के लिए चुना गया।
- » श्री प्रभदीप सिंह को भी लंदन 2012 ओलम्पिक में भारतीय हॉकी कैम्प के लिए चुना गया।
- » श्री बलजीत सिंह सैनी जूनियर वर्ल्ड कप में सहभागिता करने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना गया।

बैंक की हॉकी अकादमी (15 से 18 वर्ष का आयु समूह)

बैंक के हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों, जो स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज के साथ खेलते हैं, ने निम्न स्थान प्राप्त किए:-

इंटर कालेज हॉकी टूर्नामेंट	अमृतसर	सिल्वर मैडल
नॉर्थ जोन इंटर वर्सिटी चैम्पियनशिप	दिल्ली	रनर्स अप
सेल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट	दिल्ली	क्वार्टर फाइनल
आल इंडिया इंटर वर्सिटी चैम्पियनशिप	दिल्ली	सिल्वर मैडल

इसके अतिरिक्त अकादमी के 5 खिलाड़ी पंजाब राज्य हॉकी टीम के सदस्य थे, जिसे बैंक के सहायक मैनेजर श्री जे.एस.बी. सेन ने जूनियर नैशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता।

बैंक की सब जूनियर हॉकी अकादमी (12 से 15 वर्ष का आयु समूह)

अपर्याप्त खिलाड़ियों के कारण बैंक की हॉकी अकादमी, वर्ष के दौरान किसी भी टूर्नामेंट में सहभागिता नहीं कर पाई।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त बैंक की तीन हॉकी टीमों के अधिकांश खिलाड़ियों ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शाखाओं के लिए रु 20 करोड़ की जमा-राशि तालमवार विदेशी मुद्रा मुद्रा जुड़ाई।



GENERAL INSURANCE

The Bank is acting as corporate agent of Bajaj Allianz General Insurance Co since 2003 for non-life insurance business. The corporate agency agreement with Bajaj Allianz General Insurance Co. was renewed for a further period of 3 years i.e. from 01-12-2009 to 31-12-2012.

The income earned through this segment of business for the financial year ended March 2012 is Rs.2.63crore.

LIFE INSURANCE

Bank entered into corporate agency agreement with Aviva Life Insurance Co. in the year Sept 2004 for marketing their products through the network of branches across the country. The agreement was revised in the year 2009, extending the term of agreement up to March 2012. The department has initiated the process for fresh RFP for life insurance business. The commission received in the life insurance business activity is Rs.16.95crore for the year 2011-2012. The Bank has conducted IRDA training for 287 newly recruited P.Os. After their successful training, they have been posted as Branch Insurance Officers in the branches, so as to enhance the Life Insurance business of the branches.

UTI MUTUAL FUND

Bank is also marketing UTI Mutual Funds since 2005.

SECURITY ARRANGEMENT

The Bank had reviewed "Security Inspections" of Bank Currency Chests and Branches carried out by Zonal Security Officers. The remedial measures were initiated to strengthen the security arrangements wherever required. As a result, there was no loss to the Bank during the year. All branches are provided with the basic security arrangements as per RBI guidelines and are guarded with armed guards.

CCTV system has been installed in all currency chests and 60 High & Vulnerable branches as per RBI guidelines.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

To implement the Rajbhasha Policy in the Bank during the year 2011-12, Bank made significance progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements. A total of 60 workshops were organized during the year and 1148 personnel were trained. Besides this, 3137 personnel were trained in 641 Hindi Desk Training Programmes. For the purpose of reviewing the progress of Official Language, O.L inspection were conducted in 647 branches/ Offices.

This year "Delhi Town Official Language Implementation Committee" honoured the Bank's Head Office for the best work performance in implementing the Official Language Policy in the Bank. Bank's in-house Hindi magazine "Rajbhasha Ankur" was honoured for the best publication by "Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee". Zonal Office, Ludhiana received the First Prize for best work performance in implementing the Official Language, for the year 2010-11.

Various competitions were organized and the winners were honoured during "Hindi Diwas/fortnight" at Head Office as well as at Zonal Office level to motivate the employees of the bank to work in Hindi.

Under the "Rajbhasha Shield" Competition, organized by H.O. Rajbhasha Deptt., Zonal Office, Lucknow for 'A' region, Mumbai for 'B' region, Kolkata for 'C' region were honoured and H.O Accounts & Audit Deptt. and H.O.Board Deptt. were honoured jointly for best work performance in the field of Rajbhasha.

A total of 282 employees working in different departments at Head Office were imparted training in Unicode environment to enable them to work in Hindi. During the year, apart from this, English- Hindi vocabulary was provided to all the departments to enable them to work independently in Hindi. All the O.L Officers were provided a help-book covering all the topics discussed during the Hindi Workshops.

During the year, All India Rajbhasha Adhikari Conference was organized at Chandigarh. Deliberations were held to increase the progressive use of Hindi in the bank in the coming years and all the O.L Officers were asked to



चुनौतियाँ तथा अवसर

देश के आर्थिक विकास तथा उसके एक समान कार्य करने में नवोन्मेषी, प्रतिस्पर्धात्मक और समृद्ध बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका है। बैंकिंग उद्योग एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। वित्तीय सेवाओं की मांग अब जोर पकड़ने वाली है। बैंकिंग क्षेत्र का भविष्य बहुत सुनहरा है। बैंकों हेतु नए अवसर सम्पत्ति प्रबंधन सेवा, कम लागत वाली छोटी शाखाएं, तकनीकी के नए प्रयोग, डिजीवरी चैनलों में वृद्धि, इंटरनेट और मोबाईल बैंकिंग तथा क्रॉस सैलिंग जैसे कार्यों में छिपे हैं। बैंकों के सामने ग्रामीण जनसंख्या को साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपनी लागत को कम करना, नई तकनीकी अपनाना, दूसरे डिजीवरी चैनलों पर ध्यान देना तथा नकद प्रबंधन के लिए प्रभावी-तंत्र उपलब्ध कराना होगा। बैंकों को पूंजी प्राप्त करने, अपने आकार को बढ़ाने, अस्तित्व गुणवत्ता, वसूली प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करना है। आने वाले समय में बैंकों के सामने वित्तीय समावेशन हेतु एक आर्थिक उपाय बहुत बड़ी चुनौती होगा। एक अन्य चुनौती है- बैंकिंग क्षेत्र में धैर्यपूर्वक टिके रहना जो कि पर्यावरण, आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर मजबूत होने पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त मनी लौन्डरिंग तथा संशयी वित्तीय लेन-देनों से बचने हेतु केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा। आगामी कुछ वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली सेवा-निवृत्ति के कारण बैंकों को कुशल तथा योग्य कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों को लेन-देन लागत को कम रखते हुए अच्छे जोखिम प्रबंधन हेतु नवोन्मेषी, विकेंद्रीकृत, ग्राहक के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना तथा तकनीकी के नए प्रयोगों पर प्रभावी रूप से कार्य करना होगा।

निदेशक मण्डल की संरचना

वर्ष 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

संचालक मण्डल में परिवर्तन

2011-2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुए:-

श्री देविन्द्र पाल सिंह, आई. ए. एस, की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं. 9/8/2009-बीओ-1 के अनुसार की गई तथा दिनांक 04.11.2011 को कार्य-ग्रहण किया।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(1) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानन) योजना 1980 के खंड 9(4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर तथा बैटक) विनियम 2008 के विनियम 66(1) के साथ पठित शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार से इतर तथा अंशधारियों में से श्री सुखन पाल बबूता को दिनांक 3 जून, 2011 से तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में चुना गया।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(1) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानन) योजना 1980 के खंड 9(4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर तथा बैटक) विनियम 2008 के विनियम 66(1) के साथ पठित शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार से इतर तथा अंशधारियों में से श्री राजेंद्रन नारायणन को दिनांक 3 जून, 2011 से तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में चुना गया।

श्री सुरेश ठाकुर को, भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 13.07.2011 की अधिसूचना सं. एफसं.6/57/2010-बीओ-1 के अनुसार संचालक मंडल का अंश कालीन गैर सरकारी निदेशक मनोनीत किया गया।

श्री संजीव कुमार अरोड़ा को, भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 15.07.2011 की अधिसूचना एफसं.6/59/2010-बीओ-1 के अनुसार संचालक मंडल का अंश कालीन गैर सरकारी निदेशक मनोनीत किया गया।

श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क, बैंक के विशेष सहायक को, भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 23.11.2011 की अधिसूचना एफसं. 9/35/2009-बीओ 1 के अनुसार संचालक मंडल में कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप मनोनीत किया गया।

पद से मुक्ति

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत ने दिनांक 09.07.2011 को बैंक के संचालक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।

श्री ए. के. सुराना ने दिनांक 30.12.2011 को संचालक मंडल के सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में अपना कार्य-काल पूरा कर लिया।



take necessary action on the decisions taken and achieve the targets of the Annual Programme.

SPORTS

The Bank is proud that Hon'ble President of India Smt. Pratibha Patil honored S. Rajinder Singh (Olympian), Secretary & Coordinator of Sports Cell of the bank with the President's award i.e "Dronacharya" award during the year.

BANK'S HOCKEY TEAM

Banks Hockey Team won the following positions in the tournaments held during the year:

Name of the Tournament	Place	Position
Liberals Hockey Tournament	Nabha	Semi Finalist
Gurmit Hockey Tournament	Chandigarh	Silver Medal
Surjit Hockey Tournament	Jalandhar	Qtr. Finalist
Nehru Hockey Tournament	Delhi	Qtr. Finalist
Maharaja Ranjit Singh Gold Cup	Delhi	Silver Medal

Following players of our team were assigned specific important responsibilities in World Hockey Series :

- Sh. Sarwanjit Singh was selected as a member of Indian Hockey Team that qualified for the London Olympics 2012.
- Sh. Bhupinder Singh, International Umpire, was selected by HOCKEY INDIA to supervise 4 Nations Hockey Championship at Australia.
- Sh. Harbir Singh was selected for Indian Hockey squad to participate in 4 Nations Test Series in Pakistan.
- Sh. Prabhdeep Singh was also selected as probable in the Indian Hockey Camp for the preparation of the London Olympics 2012.
- Sh. Baljeet Singh Saini was appointed as Coach for the Indian Junior Hockey Team selected to participate in Junior World Cup.

BANK'S HOCKEY ACADEMY (AGE GROUP 15 TO 18 YEARS)

Our Bank's Hockey Academy Players, attached with local Lyallpur Khalsa College, performed as under:

Inter college Hockey Tournament	Amritsar	Silver Medal
North Zone Inter Varsity Championship	Delhi	Runners Up
SAIL Nehru Hockey Tournament	Delhi	Qtr. Finalist
All India Inter Varsity Championship	Delhi	Silver Medal

Besides these, 5 players of the Academy were members of Punjab State Hockey Team that won the Bronze Medal in Junior National Championship at Hyderabad.

BANK'S SUB JUNIOR HOCKEY ACADEMY (AGE GROUP 12 TO 15 YEARS)

During this year Bank's Hockey Academy could not participate in any tournament due to insufficient players.

Apart from these achievements, the officials attached with entire Bank's three Hockey Teams contributed about Rs.20 crores of core deposit along with foreign exchange to various branches during this financial year.

CHALLENGES & OPPORTUNITIES



2011-12 के दौरान संचालक मंडल की अन्य समिति बैठकों के अतिरिक्त निदेशक मंडल की नौ बैठकों, प्रबंधन समिति की पन्द्रह बैठकों और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति की सात बैठकों आयोजित की गईं।

संचालक मंडल सभी नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा श्री कृष्ण मुरारी गंगावत, गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री ए. के. सुराना, सनदी लेखाकार निदेशक की संचालक मंडल की बोर्ड समितियों में विचार-विमर्श एवं मार्ग-दर्शन तथा बैंक में निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी बैठकों के संचालन के दौरान उनके आचरण की भी अत्यन्त सराहना करता है।

निगमित प्रशासन :

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मजबूत करने के प्रयास कर रहा है ताकि संगठन के सभी स्तरों पर अधिक से अधिक पारदर्शिता एवं बेहतर समन्वय को सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य-प्रणाली, बैंक के पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है। इनके कार्यों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली संतोषजनक बोर्ड प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण कार्य सम्मिलित हैं।

बैंक, निगमित प्रशासन के मामले में संबंधित सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों की जिम्मेदारियाँ

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा बन्दी को तैयार करने में :-

लागू लेखा मानकों के साथ-साथ मानक सामग्री से संबंधित उचित व्याख्या यदि कोई हो, का पालन किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।

वित्तीय-वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए।

भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया तथा खतों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया जाता है।

अभिस्वीकृतियाँ

बैंक का निदेशक मंडल, मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सद्भावना और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल, बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टाक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं।

निदेशक मंडल, वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ-सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करते हैं तथा आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह०/—
(डी.पी.सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



An innovative, competitive and thriving banking and financial sector plays a vital role in smooth functioning and development of country's economy. Banking Industry is in for a paradigm shift. Demand for financial products is all set to soar. Prospects for the Banking Sector look promising. The new opportunities for Banks are in the realm of Wealth Management Services, small cost effective branches, new use of technology, expansion in delivery channels, internet and mobile Banking and in Cross selling as well. Major challenges before the banks are to drive down costs, leverage technology, focus on alternate delivery channels and provide effective logistics for Cash Management to tap rural population. Banks face challenges in Capital raising, increasing their size, Asset Quality, Recovery Management.

Economically viable solution for Financial Inclusion is a major challenge for banks in the coming years. Another challenge is sustainable banking that is environmentally, economically and socially sustainable and to comply with KYC guidelines to prevent money laundering and suspicious financial transactions. Banks may face unprecedented loss of skill and competence due to large scale retirements over next few years. The challenge entails effective involvement of banks for innovative, decentralized, timely and customised credit delivery, leveraging on technology for better risk management while reducing transaction costs.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the Year ended 31st March, 2012.

INCLUSIONS

During the year 2011-12, the following new appointments took place in the composition of Board of Directors:-

- Shri Devinder Pal Singh, IAS was appointed as Chairman & Managing Director vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi notification no.F.No.9/8/2009-BO-I dated 31.10.2011 and assumed office on 04.11.2011.
- Shri Sukhen Pal Babuta was elected as Director with effect from 3rd June, 2011 for a period of three years amongst the Shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.
- Shri Rajendran Narayanan was elected as Director with effect from 3rd June, 2011 for a period of three years amongst the Shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.
- Shri Suresh Thakur was nominated as part time non official Director on the Board of Directors of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No.6/57/2010-BO-I dated 13.07.2011.
- Shri Sanjiv Kumar Arora was nominated as part time non official Director on the Board of Directors of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No.6/59/2010-BO-I dated 15.07.2011.
- Shri Surinder Pal Singh Virk, Special Assistant of the Bank was nominated as Workmen Employee Director on the Board of Directors of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No.9/35/2009-BO-I dated 23.11.2011.

CESSATIONS

- Shri Krishan Murari Gangawat completed his term as Non Official Director on the Board of the Bank on 09.07.2011.
- Shri A.K.Surana completed his term as Chartered Accountant Director on the Board of the Bank on 30.12.2011.

Nine meetings of the Board of Directors, Fifteen Meetings of the Management Committee and Seven Meetings

(D.P.Singh)
Chairman & Managing Director



बासल II के लिए प्रकटीकरण – 31 मार्च को समाप्त वर्ष 2012 तालिका डी एफ-1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण		
क)	इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख)	नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश, तथा वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (I) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है; (II) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है; (III) जिन्हें छूट दी गई है; तथा (IV) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ग)	सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
घ)	बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 – पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टीयर 2 के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं जिनका भुगतान वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देशी दर-निर्धारण एजेन्सियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:-

- » बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 109 माह से 127 माह के बीच होती है।
- » यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खंड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- » यह प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर- II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर-I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टीयर-II पूंजी तथा नवोन्मेष प्रपत्र जारी नहीं किए हैं जोकि टीयर-I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।



BASEL II DISCLOSURES-YEAR ENDING 31st MARCH-2012

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures		
(a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Qualitative Disclosures		
(c)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d)	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

- ◇ The bonds have a tenor ranging from 109 months to 127 months from date of the issue.
- ◇ The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- ◇ The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.



रु. करोड़ों में

क) टीयर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
» प्रदत्त अंश पूंजी;	434.21
» आरक्षितियाँ;	3085.23
» नवोन्मेषी प्रपत्र;	160.00
» अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
» उप योग	3679.44
» घटाएँ: टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.55
कुल टीयर I पूंजी	3678.89
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	2027.99
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
» कुल बकाया राशि	लागू नहीं
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यु टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
» कुल बकाया राशि	1365.00
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1311.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	5706.88

तालिका डीएफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ कर दी है जो कि बासल II की रूप रेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारत आस्तियों, बाज़ार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि— रु./करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	3473.93
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि— रु./करोड़
» ब्याज-दर जोखिम	70.22
» विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	0.77
» इक्विटी जोखिम	16.00



(₹ Crores)

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	434.21
- Reserves;	3085.23
- Innovative instruments;	160.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	3679.44
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.55
TOTAL TIER I CAPITAL	3678.89
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	2027.99
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1365.00
- Of which amount raised during the current year.	NIL
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1311.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	5706.88

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. ₹ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	3473.93
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. ₹ Crores
- Interest rate risk	70.22
- Foreign exchange risk (including gold)	0.77
- Equity risk	16.00



परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि—रूपए/करोड़+
मूल सूचक दृष्टिकोण	272.10

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूंजी अनुपात:

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	13.26%
बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.55%
बासल I के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.81%
बासल I के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.26%

विवेक पूर्ण स्तर पर पूंजी की आवश्यकता

	राशि—करोड़ रूपये
9 प्रतिशत की दर से संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता	3874.65
उधार एवं बाज़ार जोखिमों के लिए बासल-I के ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता का 80 प्रतिशत (4008.74 करोड़ का 80 प्रतिशत)	3206.99
विवेकपूर्ण स्तर—उपरोक्त स्तर से अधिक	3874.65

तालिका डी.एफ.4 ऋण—जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेक पूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- (क) जहाँ मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- (ख) स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार के संबंध में खाता “अनियमित” हो जाता है यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक अनियमित बना रहता है, तथा / अथवा अधिविकर्ष / नकद ऋण; ओ.डी.सी.सी.के संबंध में तुलन—पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके।
- (ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- (घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हों।
- (ङ) दीर्घ-अवधि की फसलों के लिए जहाँ मूल-धन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- (च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 01.02.2006 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- (छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियाँ जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।



Capital requirements for operational risk:

	Amt. ₹ Crores
Basic indicator approach	272.10

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	13.26%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.55%
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	12.81%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	8.26%

Prudential Floor on the Capital Required

	Amt. ₹ Crores
Minimum Capital required as per the Revised Framework @ 9%	3874.65
80% of Minimum Capital required as per Basel I Framework for Credit & Market Risk (80% of 4008.74 crore)	3206.99
Prudential Floor – Higher of the above	3874.65

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- a. Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- b. The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- c. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- d. The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- e. The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
- g. In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.



यहां "अतिदेय राशि" से अभिप्राय किसी भी ऋण-सुविधा के अधीन कोई भी राशि देय है यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता जहाँ किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (च) अधिग्रहण वित्त (छ) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (ज) बी. आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (त्र) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी को बेचना (ट) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का कय-विकय (ठ) खातों के उन्नयन (ड) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते आदि।

(ख) ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों की इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का ध्यान रखा जाता है :-

विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।

ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।

ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के सवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी-निर्देश।

ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।

निरीक्षण-तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी-निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि निदेशक मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।

परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।



Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank. Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Re-structured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitisation Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- ◇ Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- ◇ Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- ◇ Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- ◇ Credit Rating framework.
- ◇ Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- ◇ The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- ◇ The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- ◇ At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.



परिचालन जोखिम हेतु प्रबंधन की आवश्यकता: जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक-मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं

के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन नियंत्रण एवं प्रबंधन कर रहा है और निदेशक मंडल/जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम	272.10
---	--------

बैंक हेतु कुल तथा टीएचए I पूंजी अनुपात: प्रबंधन कक्ष (I एच.एम.) तथा संयोजनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।

महाप्रबंधक के निंत्रणाधीन प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग अपने ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की	
बासल II के अनुसार कूल पूंजी और जोखिम भारत आरिस्ट अनुपात	13.26%
पहचान करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य	
बासल II के अनुसार कूल पूंजी और जोखिम भारत आरिस्ट अनुपात	8.55%
ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।	
ऋण जोखिम प्रबंधन/ अल्पाकरण के लिए प्रयुक्त साधन:	12.81%
बासल I के अनुसार टीएचए I पूंजी और जोखिम भारत आरिस्ट अनुपात	18.26%
ऋण अनुमोदन करती प्राधिकारी शक्तियों की प्रत्येकीयन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली	

विवेक पूर्ण स्तरीय पर पूंजी के आवश्यकता की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर	3874.65
9 प्रतिशत की दर से संशोधित ऋण के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता	
उधार एवं बाजार जोखिमों के लिए बासल-I के ऋण के अनुसार न्यूनतम पूंजी की	3206.99
आवश्यकता की 80 प्रतिशत (4068.74 करोड़ का 80 प्रतिशत)	
जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन-निर्णयों में मददगार होते हैं।	3874.65

तालिका 4.1 ऋण-जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

संविभाग प्रबंधन शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक गुणात्मक प्रकटीकरण संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखिम आंकलन: क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा: वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम रेटिंग के माध्यम से ऋण जोखिम का प्रबंधन तथा संविभाग स्तर पर परिसम्पत्तियों का जोखिम मूल्यांकन और निगरानी (एन.पी.ए) के माध्यम से किया जाता है और इस जोखिम को आधार पर पूंजी की रख-रखाव किया जाता है।

कुल सकल ऋण जोखिम को प्रकटीकरण तथा/अथवा मूलधन की किशत 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

वर्तमान में व्यक्तिगत स्तर पर आरक्षण जोखिम को संशोधित किया जा रहा है जोकि आरक्षण के लिए 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे आस्तियों की जोखिम भारत का माध्यम से आंका जाता है और पूंजी के अनुसार जोखिम भारत के अनुसार किशत जितनी होना लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के

श्रेणी विवरण नामों किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके।	राशि-रु. करोड़
1 निधि आधारित ऋण राशि और भुनाये गये बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे	46368.63
2 गैर-निधि आधारित ऋण राशि	3474.45

ऋण जोखिम का मौसमिक वितरण के लिए मूलधन की किशत अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा है।

श्रेणी विवरण	राशि - रु. करोड़
1 (क) दीर्घ-अवधि की फसलों के लिए जहाँ मूल-धन की किशत अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो। निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
(ख) प्रतिभूतिकरण निदेशांकित 2006 जोखिम दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण-देन के संबंध में यदि कदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।	46368.63
2 (ख) व्युत्पन्न सौदा के मामले में, अतिदेय प्राप्तियों जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि मुकौला की तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।	3474.45



- ◇ The Risk Management Department (RMD) headed by the Chief General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell (ALM) and Operations Risk Management Cell.
- ◇ The Inspection Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- ◇ Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- ◇ Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- ◇ Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- ◇ Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

Risk Measurement

At present, Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. ₹ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	46368.63
2	Non Fund Based Credit Exposures	3474.45

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. ₹ Crores
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	46368.63
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	3474.45



ऋण जोखिम का उद्योग वार वितरण

» मुख्य महा प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक-मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मंडल/जोखिम प्रबंधन समिति / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुसार ऋण जोखिम को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, (ए.एल.एम) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।

क्र.स.	उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
1	पैट्रोलियम	33.68	0.03	33.70
2	विद्युत	6596.07	62.87	6658.94
3	अन्य धातु तथा धातु उत्पादों को दूर करने के उपाय करता है। ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा	515.50	6522	7187.72
4	ऋण लेखा-परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।	465.25	24.09	489.35

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन:

5	समस्त इजीनियरिंग	537.62	165.46	703.09
6	» ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी-शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना प्रचलन है, जिसकी जांच कभी आवश्यकता नहीं, अर्थात् ऋण आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ऋण पुनरीक्षण/ऋण लेखा परीक्षा की जाती है।	742.72	17.80	760.60
8	» लोखिमिक इस्कात के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।	5501.89	1187.98	6689.88
9	» जोखिम रेटिंग / मूल्यांकन - बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों	8487.15	205.42	8692.57
10	जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन-निर्णयों में मददगार होते हैं।	36.64	0.69	37.30
11	» ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा / ऋण खण्डनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।	530.79	18.16	548.95
12	» सूचीबद्ध ऋण शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग 491.94 फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।	14.01	0.00	14.01

जोखिम आकलन :

15	चौना	246.82	9.00	255.82
16	वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम रेटिंग के माध्यम से ऋण जोखिम का प्रबंधन तथा संविभाग स्तर पर परिसम्पत्तियों का जोखिम मूल्यांकन जोखिम भार के जरिए निर्धारित किया जाता है और इस जोखिम भार के आधार पर ऋण पूंजी का रख-रखाव किया जाता है। प्रसंस्करण	9.05	0.00	9.05
17	कुल सकल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण	588.53	32.75	621.28
18	वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर ऋण-जोखिम को जोखिम वर्गीकरण के माध्यम से आंका जाता है तथा संभाग स्तर पर ऋण आस्तियों की जोखिम भारिता के माध्यम से आंका जाता है और पूंजी का अनुरक्षण जोखिम भारिता के अनुसार किया जाता है।	152.97	3.29	156.26
20	कागज तथा कागज उत्पाद	77.89	1.21	79.09

21	श्रेणी तथा रबड़ उत्पाद	251.38	राशि - ₹ 8 करोड़	269.21
22	निधि-आधारित ऋण राशि	80.73	46368.63	84.52
23	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	23.89	3474.45	131.17
	रतन और अभूषण		107.28	

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

25	श्रेणी मोबाईलस	169.34	राशि - ₹ 8 करोड़	181.16
26	किराने की सामान्य वस्तुएं	52.38	शुद्ध	67.22
27	अन्य उद्योग गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	1016.18	351.78	1267.96
28	देशीय	4529.97	46368.63	4837.94
	कुल योग	33800.50	3018.18	36818.68
	» गैर निधि आधारित ऋण जोखिम		3474.45	



INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. ₹ Crores

S. No.	Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
1	Petroleum	33.68	0.03	33.70
2	Electricity	6596.07	62.87	6658.94
3	Other Metal & Metal Products	515.50	163.22	678.72
4	Chemical, Dyes & Paints	465.25	24.09	489.35
5	All Engineering	537.62	165.46	703.09
6	Cement	538.73	1.04	539.76
7	Other Textile	742.72	17.87	760.60
8	Iron & Steel	1319.03	61.17	1380.20
9	Infrastructure	5501.89	1187.98	6689.88
10	NBFC	8487.15	205.42	8692.57
11	Coal	36.61	0.69	37.30
12	Mining	530.79	18.16	548.95
13	Cotton Textile	491.94	29.33	521.27
14	Jute Textile	14.01	0.00	14.01
15	Sugar	246.82	9.00	255.82
16	Tea	0.05	0.00	0.05
17	Food Processing	588.53	32.75	621.28
18	Vegetable Oil	152.97	3.29	156.26
19	Tobacco	0.25	0.00	0.25
20	Paper & Paper Products	77.89	1.21	79.09
21	Rubber & Rubber Products	251.38	17.84	269.21
22	Leather	80.73	3.79	84.52
23	Gems & Jewellery	23.89	107.28	131.17
24	Construction	799.13	319.27	1118.40
25	Automobiles	169.34	11.82	181.16
26	Computer Software	52.38	14.84	67.22
27	Other Industries	1016.18	251.78	1267.96
28	Trading	4529.97	307.97	4837.94
	Grand Total	33800.50	3018.18	36818.68



ऋणोत्पत्ति प्रकटीकरण वार वितरण

उद्योग जहां कुल प्रकटीकरण, कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5 प्रतिशत से अधिक है - रु. करोड़ में

क्र.स. क्रम संख्या	उद्योग उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित प्रकटीकरण	राशि रु. करोड़ में कुल
1	पेट्रोलियम बी.एफ.सी	33.68	8698.57	33.70
2	विद्युत	6596.07	6658.94	6658.94
3	बुनियादी सुविधाएं	515.50	6689.88	678.72
4	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	465.25	4837.94	489.35
आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :-				
5	समस्त इंजीनियरिंग	537.62	165.46	राशि रु. करोड़ में
अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)				
6	अन्य कपड़ा उद्योग	411.74	0.01	539.78
7	लोहा एवं इस्पात	606.35	0.00	539.78
8	मूल-भूत आवश्यक तत्व	872.45	283.04	539.78
9	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	1879.67	146.43	539.78
10	सकल	5735.62	928.64	539.78
11	सेवा 3 माह से अधिक से 6 माह तक	2923.68	25.67	539.78
12	6 माह से अधिक से 9 वर्ष तक	4214.17	572.64	539.78
13	9 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक	13774.67	2244.17	539.78
14	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	8698.65	2104.60	539.78
15	5 वर्षों से अधिक	7034.40	13758.93	539.78
16	कुल	46151.40	20064.13	539.78
17	खाद्य प्रसंस्करण	588.53	32.75	621.28
18	एन.पी.ए. की राशि (सकल)	152.97	3.29	156.26
19	श्रेणी	0.25	0.00	0.25
20	तम्बाकू अवस्तथीय	77.89	517.35	79.09
21	कपड़ा तथा कागज उत्पाद	251.38	121.98	269.21
22	खनिज व रबड़ उत्पाद	80.73	3.08	84.52
23	बॉन्डिंग 3	23.89	107.28	131.17
निवल :- निवल ए.पी.ए.				
25	आटोमोबाइलस	169.34	11.82	राशि रु. करोड़ में
26	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	52.38	547.56	181.16
27	अनुपात	1016.18	14.84	67.22
28	अन्य उद्योग	4529.97	251.78	1267.96
29	श्रेणी	4529.97	307.97	4837.94
30	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	33800.50	1.65%	36818.68
31	कुल योग	33800.50	3018.18	36818.68
32	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए		1.19%	

उल्लेखनीय प्रकटीकरण



Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. ₹ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	NBFC	8692.57
2	Electricity	6658.94
3	Infrastructure	6689.88
4	Trading	4837.94

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. ₹ Crores

Maturity Pattern (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
1 day	411.74	0.01	91.09	154.18	462.23	0.00
2-7 days	606.35	0.00	3.83	26.11	1487.62	1298.39
8-14 days	872.45	283.04	6.17	9.15	1280.26	0.00
15-28 days	1879.67	146.43	9.74	54.58	2209.43	0.00
29 days to 3 months	5735.62	928.64	104.12	225.55	12862.65	76.31
Over 3 months to 6 months	2923.68	25.67	146.88	282.47	6086.12	111.93
Over 6 months to 1 year	4214.17	572.64	114.20	0.00	15453.68	75.00
Over 1 year to 3 years	13774.67	2244.17	79.30	0.00	11677.41	115.00
Over 3 years to 5 years	8698.65	2104.60	3.75	0.00	2183.50	158.28
Over 5 years	7034.40	13758.93	0	0.00	9421.08	1547.42
TOTAL	46151.40	20064.13	559.08	752.04	63123.98	3382.33

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. ₹ Crores
1	Substandard	517.35
2	Doubtful 1	184.98
3	Doubtful 2	54.01
4	Doubtful 3	3.08
5	Loss	4.02

Net NPAs

Amt. ₹ Crores

Net NPAs	547.56
----------	--------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	1.65%
2	Net NPAs to Net advances	1.19%



एन.पी.ए. (समस्त) के उतार-चढ़ाव परित निधि तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5 प्रतिशत से अधिक है:

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण राशि रु. करोड़ में
अथशेष		424.28
1 जमा	एन.बी.एफ.सी	8692.57
2 कमी	विद्युत	550.74
3 इति शेष	बुनियादी सुविधाएं	6658.94
4	व्यापार	211.58
		6689.88
		763.44
		4837.94

अन्यो. के तु आध्यात्मिक संविहार-चक्रियकता विकार :-

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समय/अवधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश-बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा देयताएं	आस्तियां	जमाराशियां	उधार
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान					182.74	
1 दिन बूटटे खाते डालना	411.74	0.01	91.09	154.18	134.94	0.00
2-7 दिन अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	606.35	0.00	3.83	26.11	1487.62	1298.39
8-14 दिन इतिशेष	872.45	283.04	6.17	9.15	1280.26	0.00
15-28 दिन गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	1879.67	146.43	9.74	54.58	2209.43	0.00
26 दिनों से 3 माह	5735.62	928.64	104.12	225.55	12862.65	76.31
3 माह से अधिक से 6 माह तक	2923.68	25.67	146.88	282.47	6086.72	111.93
6 माह से अधिक से 9 वर्ष तक	4214.17	572.64	114.20	0.00	258453.68	75.00
9 वर्षों से अधिक से 10 वर्षों तक		2244.17	79.30	0.00	11677.41	115.00
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	8698.65	2104.60	3.75	0.00	2183.50	158.28
5 वर्षों से अधिक गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	7034.40	13758.93	0	0.00	9421.08	1547.42
कुल	46151.40	20064.13	559.08	752.04	253763123.98	3382.33

निवेशों पर कायदा (सेकल) के उतार-चढ़ाव

श्रेणी	राशि रु. करोड़ में
अथशेष	32.25
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	517.35
बूटटे खाते डालना	35.70
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	184.98
इतिशेष	54.81
	3.08
	67.95
	4.02

निष्पादन - एन.पी.ए. 5 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण राशि रु. करोड़ में

निवल.एन.पी.ए. के ने सी.आर.ए.आर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम-भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, ईक्रा, फिच इंडिया तथा केयर एवं अनिवासी कारपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एंड पी, फिच तथा

श्रेणी	प्रतिशत
1	2
2	1

मानकीकृत ऋण जोखिमों के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल- II के अंतर्गत क्रिसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।



Movement of NPAs (Gross)

	Amt. ₹ Crores
Opening Balance	424.28
Additions	550.74
Reductions	211.58
Closing Balance	763.44

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. ₹ Crores
Opening Balance	182.74
Provisions made during the period	134.94
Write-off	
Write-back of excess provisions	111.24
Closing Balance	206.44

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. ₹ Crores
Amount of Non-Performing Investments	25.03

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. ₹ Crores
Provisions held for non-performing investments	25.37

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. ₹ Crores
Opening Balance	32.25
Provisions made during the period	35.70
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	Nil
Closing Balance	67.95

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, Fitch India and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.



3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका इस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है।
संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कारपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
7. जहाँ जारी-कर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150% जोखिम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू है।
8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा।
बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कारपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घ अवधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
9. यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें विभिन्न जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - I) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि यह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारित किया गया है तो उसी प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि निर्धारित ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।



3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the *unrated short-term* claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.



मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

राशि रू. करोड़

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार	गैर निर्धारित ऋण जोखिम	निर्धारित ऋण जोखिम
100% जोखिम भार से कम	25,667.26	16,048.68	9,618.58
100% जोखिम भार	20,384.65	16,703.74	3,680.90
100% जोखिम भार से अधिक	2,511.83	869.55	1,642.28
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	48,563.73	33,621.97	14,941.76

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं:—

- » संपार्श्विक संचालन
- » ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- » गारंटियां

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्न हैं:

1. नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
2. 99.99% की शुद्धता प्रमाणित सोना।
3. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां।
4. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र।
5. जीवन बीमा पॉलिसियां।
6. ऋण प्रतिभूतियां. शर्तों के अनुसार वर्गीकृत
7. बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण प्रतिभूतियां
8. शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड है जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण / अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध हैं जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।



Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. ₹ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation	Un-Rated Exposure	Rated Exposure
Below 100 % risk weight	25,667.26	16,048.68	9,618.58
100 % risk weight	20,384.65	16,703.74	3,680.90
More than 100 % risk weight	2,511.83	869.55	1,642.28
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	48,563.73	33,621.97	14,941.76

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.



इन गारंटियों (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी, और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।	424.28
जमा मात्र गारंटियों / प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित है:	550.74
कमी	211.58
i. संप्रभु, संप्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस.ए. आई.एम.एफ.ए. यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन संघ के साथ-साथ इति शेष उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम	763.44

एन.पी.ए. हेतु प्रविधानों में उतार-चढ़ाव

ii. अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।	राशि रु. करोड़
बैंक अधिभोग्यता के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार करता है। फिर भी बेसिल- II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रमुख प्रभावना-पारिषदों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है और बैंक के पास ऋण जोखिम को एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।	827.44
बैंक विचार-संघर्षों से प्रतिगुणक-समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों की संज्ञान करता है। इस विशेषातिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को प्रयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।	206.44

मात्रात्मक प्रकटीकरण	राशि रु. करोड़
मानकीकरण के लिए प्रविधानों के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया	25.37
कटौती करने के उपरांत 2789.61 करोड़	

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकरण दृष्टिकोण का प्रकटीकरण	राशि रु. करोड़
गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए प्रावधान	25.37

निवेशों पर कठोर नियंत्रण हेतु प्रविधानों के उल्लंघन नीति नहीं है। बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओ) को नहीं बेचा है।

	राशि रु. करोड़
मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन:-	515.45 करोड़
तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम	35.70
गुणात्मक प्रकटीकरण	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन बाजार जोखिम परिभाषा के अनुसार, बाजार कीमतों में विपरीत हलचल के कारण, बैंक के संभाव्य हानि हो सकती हैं। बाजार जोखिम स्थितियों पूंजीगत प्रभार आवश्यकताओं के अनुसार निम्न है:	शून्य 67.95

तालिका डी.एफ. 5 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

ट्रेडिंग बुक में शेरों से संबंधित मूल्य जोखिम।
 1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम-भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी जोखिम को कवर करने के लिए बैंक ने अपने रेटिंग निर्धारण की है जैसे कि स्टॉक जोखिम, धरिदर, आदि। प्रतिभूतिकरण, सीमाओं का उल्लंघन करने के मामले की जानकारी आन्योसिमा प्रबंधन विभाग को दी जाती है। बैंक ने उचित पर-उत्पन्न कवर की जाती है। मूडीज को अनुमोदित किया है।
 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार एक मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम बनाया है। इस प्रकार प्रविधानों के अंतर्गत जोखिम-भार निर्धारण के लिए बैंक ने उचित पर-उत्पन्न कवर के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के पुनर्निर्धारण के लिए पर विचार किया जाता है।



4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ **2789.61 crore**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

There is no separate policy of the Bank on securitization of Standard Assets. Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Assignment of Standard Pool Assets- ₹ 515.45 crores

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk is defined as the risk of potential losses that the bank may incur due to adverse movements in market prices. The market risk positions subject to capital charge requirement are:

- Interest Rate Risk pertaining to Interest Rate related instruments in trading book.
- Price risk pertaining equities in trading book.

To manage the risk, the Bank has laid down various limits such as stop loss limits etc. Violations of pre-determined limits are reported to Risk Management Department where actions to address them are determined by the appropriate authorities.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading portfolio as per RBI guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted assets. The aggregated Risk weighted Assets for Credit Risk and Market Risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.



मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूँजी आवश्यकता	राशि करोड़ों में
ब्याज दर जोखिम	28.57
शेयर स्थिति जोखिम	13.82
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक-मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है। परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (आर.बी.आई.ए.) गठित की गई है। आआर.एम.सी की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्न करता है। रु. 3 करोड़ से उपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धेखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से संबंधित विनियामक रिपोर्टिंग को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है।

परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि, परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना की उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डीएफ 10 – बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बहियों में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परंपरात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बहियों में ब्याज दर जोखिम के अंतर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/ नीतियाँ आदि डीएफ -8 के अंतर्गत बताए अनुसार ही हैं। आईआरआरबीबी की संगणना हेतु किए गए प्रमुख पूर्वानुमान तथा कार्यपद्धति निम्नानुसार हैं:-

- » भा. रि. बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धतियों पर आधारित
- » शाखाओं से अग्रिम तथा जमा राशियों पर अवशिष्ट परिपक्वता पर आधारित सूचना, विभिन्न समय-चक्र के आधार पर तैयार की गई संवेदनशील ब्याज दर विवरणी, जिसमें अलग-अलग आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता तथा दर संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया।
- » प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि का निर्धारण परिपक्वता तिथि पर, लाभांश का निर्धारण औसत आय तथा बटूटे हेतु बाजार दर का निर्धारण समय-चक्र के मध्य बिंदु को ध्यान में रखकर किया जाता है। आंकड़ों के सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होने के कारण निवेशों को वास्तविक अवधि के आधार पर लिया जाता है।
- » उपरोक्त द्वारा देयताओं और आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- » आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण अपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है और नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर आय

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	रु 29.41 करोड़
--	----------------

आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.)- 8.72%



Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. ₹ Crores
Interest rate risk;	28.57
Equity position risk;	13.82
Foreign exchange risk;	0.77

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on ‘Operational Risk Management’ and the ‘Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management’. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting ‘Loss Data’.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is head by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite ‘Risk Based Internal Audit’ (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures

The interest rate risk in banking book is measured and managed by the Bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (EaR) approach and Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies & processes / structure & organization/ scope and nature of risk reporting/ policies etc are the same as reported under DF – 8. The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as below:

- Based on methods suggested by RBI
- Based on information from the branches on residual maturity of the advances and the deposits, Interest Rate Sensitivity Statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discount purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars.
- Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	₹ 29.41 Crores
---	----------------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) - 8.72%



कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट 2011-12

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक – दर्शन

बैंक उत्कृष्टता को प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर लगातार व्यवसायीकरण में वृद्धि तथा प्रचालन में तेजी ला रहा है ताकि विधिक तथा नैतिक रूप से जोखिम उठाने वालों की पूंजी में अधिकतम वृद्धि की जा सके और साथ ही बैंक के साथ व्यवहार कर रहे अन्य घटकों और आपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सके। बैंक द्वारा जोखिम उठाने वालों के हित को सुरक्षित रखने के कारण भ्रष्टाचारियों के मिश्रबास में काफी वृद्धि हुई है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वैच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित वृद्धिकोण अममाने में विश्वास रखता है। बैंक अपने सभी जोखिमधारियों, अपने ग्राहकों, सरकार तथा प्रमुख रूप से समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु वचनबद्ध है और इस हेतु लगातार प्रयासरत रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है लेकिन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत कॉर्पोरेट निकाय है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामित होता है। अतः बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2012 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता /अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1	श्री डी. पी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	6	शून्य	शून्य	#
2	श्री पी.के आनन्द	कार्यकारी निदेशक	1057	9	शून्य	शून्य	##
3	श्री ए. भट्टाचार्य	निदेशक-वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	5	शून्य	शून्य	*
4	श्री बी.पी. कानूनगो	निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	8	शून्य	शून्य	**
5	श्री करनपाल सिंह सेखों	गैर-अधिकारिक निदेशक	1025	5	1	1	@



Report on Corporate Governance (2011-12)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

In its pursuit of excellence, the Bank has been consistent in enhancing professionalism and operational efficiency at all levels with the objective of maximizing returns to enhance the wealth of stakeholders in a legal and ethical manner besides satisfying our customers and other constituents dealing with the Bank. This in turn has enhanced the confidence of shareholders while protecting the interest of all the stakeholders. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in its sphere of activities. The Bank is also committed and shall strive hard to serve in the best interest of its stakeholders, its customers, Government and society at large by following the best practices.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	No. of memberships in Sub Committees of the Bank	No. of Directorships held in other Companies i.e. Other than the Bank.	Memberships/ Chairmanships held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. D.P. Singh	Chairman & Mg. Director	Nil	6	Nil	Nil	#
2	Sh. P.K. Anand	Executive Director	1057	9	Nil	Nil	##
3	Sh. A. Bhattacharya	Director – MOF Nominee Director	Nil	5	Nil	Nil	*
4	Sh. B.P. Kanungo	Director – RBI Nominee Director	Nil	8	Nil	Nil	**
5	Sh. Karanpal Singh Sekhon	Non-Official Director	1025	5	1	1	@



क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2012 को धारित बैंक के शेरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता /अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
6	श्री सुखनपाल सिंह बबूता	गैर-अधिकारिक निदेशक -शेयेखर धारक वर्ग	499	7	4	1	\$
7	श्री राजेंद्रन नारायण	गैर-अधिकारिक निदेशक-शेयेखर धारक वर्ग	500	4	1	शून्य	\$\$
8	श्री सुरेशाठकपुर	गैर-अधिकारी निदेशक	शून्य	4	1	शून्य	@ @
9	श्री संजीव कुमार अरोडा	गैर-अधिकारी निदेशक	शून्य	4	शून्य	शून्य	@@@
10	श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क	कामकार कर्मचारी निदेशक	शून्य	2	शून्य	शून्य	+

- # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 सं. एफ.नं.9/8/2009-बीओ-I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) अर्थात् पदग्रहण करने 04.11.2011 और दिनांक 31.01.2014 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- ## वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 दिसंबर, 2009 सं. एफ.नं.9/12/2009-बीओ-I, की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित कार्यकारी निदेशक) अर्थात् पदग्रहण करने की तिथि 07.12.2009 और दिनांक 31.05.2013 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- * वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2009 सं. एफ.नं.9/7/2007-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के खंड (बी) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- ** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9/2/2007-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त।
- @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 5 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9/54/2009-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंश-कालिक गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त।
- \$ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (1) जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 9 (4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स तथा बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 66 (1) के साथ पढा जाए के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शोयस्वधारकों में से दिनांक 03.06.2011 से 3 वर्षों के लिए चुना गया है।



Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	No. of memberships in Sub Committees of the Bank	No. of Directorships held in other Companies i.e. Other than the Bank.	Memberships/ Chairmanships held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
6	Sh. Sukhen Pal Babuta	Non-Official Director – Share Holders Category	499	7	4	1	\$
7	Sh. Rajendran Narayanan	Non-Official Director – Share Holders Category	500	4	1	Nil	\$\$
8	Sh. Suresh Thakur	Non-Official Director	Nil	4	1	Nil	@ @
9	Sh. Sanjiv Kumar Arora	Non-Official Director	Nil	4	Nil	Nil	@@@
10	Sh. Surinder Pal Singh Virk	Workmen Employee Director	Nil	2	Nil	Nil	+

- # Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.9/8/2009-BO-I dated 31st October 2011 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge i.e.04.11.2011 upto the last date of the month in which he would attain the age of superannuation i.e. 31.01.2014 or until further orders, whichever is earlier
- ## Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.9/12/2009-BO-I dated 7th December 2009 as a whole time Director (designated as Executive Director) w.e.f. the date of taking charge i.e.07.12.2009 upto the last date of the month in which he would attain the age of superannuation i.e. 31.05.2013 or until further orders, whichever is earlier.
- * Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/7/2007-BO-I dated 27th January 2009 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- ** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/2/2007-BO-I dated 30th July 2010 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/54/2009-BO-I dated 5th July 2010 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.



- \$\$ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (1) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 9 (4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स तथा बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 66 (1) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से 3 वर्ष के लिए चुना गया है।
- @@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/57/2010-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंश-कालिक गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त।
- @@@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/59/2010-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंश-कालिक गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त।
- + वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2011 सं. एफ.नं.9/35/2009-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की धारा 3 के खंड (ई) के तहत अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष तक या जब तक वे पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कर्मकार कर्मचारी रहेंगे एवं/या इनमें से जो भी पहले हो, कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशको की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2011-12 में बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुए:

(क) नियुक्तियां –

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.10.2011 के अनुसार श्री डी.पी. सिंह को बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा 04.11.2011 को कार्यभार संभाला।

श्री सुरेश ठाकुर को दिनांक 13.07.2011 से बैंक के निदेशक मंडल में गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री संजीव कुमार अरोडा को दिनांक 15.07.2011 को बैंक के निदेशक मंडल में गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री सुखनपाल सिंह बबूता को दिनांक 03.06.2011 से केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक मंडल में गैर-अधिकारिक निदेशक (शेयर धारक वर्ग) के रूप में चुना गया।

श्री राजेंद्रन नारायणन को दिनांक 03.06.2011 से केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक मंडल में गैर-अधिकारिक निदेशक (शेयर धारक वर्ग) के रूप में चुना गया।

श्री सुरिन्दर पाल सिंह विर्क को दिनांक 23.11.2011 से बैंक के निदेशक मंडल में कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत, गैर-अधिकारिक निदेशक ने दिनांक 10.07.2008 से 09.07.2011 तक बैंक के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

श्री ए.के. सुराना, गैर-अधिकारिक निदेशक (सीए वर्ग) ने दिनांक 31.12.2008 से 30.12.2011 तक बैंक के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया।



- § § Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years.
- @@ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/57/2010-BO-I dated 13th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- @@@ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/59/2010-BO-I dated 15th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- + Appointed as Workmen Employee Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/35/2009-BO-I dated 23rd November 2011 under clause (e) of sub section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of his notification or till the ceases to be a Workmen employee of Punjab & Sind Bank or until further orders, whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2011-2012:

[A] Appointment:

- ◇ Shri D.P. Singh was nominated as Chairman & Mg. Director on the Board of the Bank vide Ministry of Finance letter dated 31.10.2011 and joined the Bank on 04.11.2011.
- ◇ Shri Suresh Thakur was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 13.07.2011.
- ◇ Shri Sanjiv Kumar Arora was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 15.07.2011.
- ◇ Shri Sukhen Pal Babuta was elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, as Non Official Director (Shareholders' Category) on the Board of the Bank w.e.f. 03.06.2011.
- ◇ Shri Rajendran Narayanan was elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, as Non Official Director (Shareholders' Category) on the Board of the Bank w.e.f. 03.06.2011.
- ◇ Shri Surinder Pal Singh Virk was nominated as Workmen Employee Director on the Board of the Bank w.e.f. 23.11.2011.

[B] Directors out going / resigned during the year:

- ◇ Shri Krishan Murari Gangawat, Non Official Director ceased to be member of the Board after completing term of three years as a Director of the Bank from 10.07.2008 to 09.07.2011.
- ◇ Shri A.K. Surana, Non Official Director (CA Category) ceased to be member of the Board after completing term of three years as a Director of the Bank from 31.12.2008 to 30.12.2011.



2.3 वर्ष 2011-12 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

(क) श्री देविन्दर पाल सिंह

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री देविन्दर पाल सिंह, आईएएस
2.	पिता का नाम	ब्रिगेडियर जागीर सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	04.01.1954, 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	डी-II/251, विनय मार्ग, नई दिल्ली
5.	ईमेल पता	cmd@psb-org-in
6.	शैक्षिक योग्यता	स्नातक (कामर्स)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 सं. एफ.नं.9/8/2009-बीओ-1, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के तहत जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 खंड 8 के उप खंड (1) तथा खंड 3 के उप खंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 के साथ पढा जाए, के अनुसार अध्याक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा 31.01.2014 तक, सेवानिवृत्ति या अगले आदेशों तक जो भी पड़हेले हे, नियुक्ति किया जाता है।
8.	अनुभव	उत्तर प्रदेश, अपने मूल राज्य में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों संभाले। बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य-ग्रहण से पूर्व शहरी विकास, पर्यावरण तथा वन, मानव संसाधन, कोयला तथा खदान, भू-विज्ञान तथा गृह कार्य जैसे केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में काम किया।
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	शून्य

(ख) श्री सुरेश ठाकुर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सुरेश ठाकुर
2.	पिता का नाम	श्री करम चंद
3.	जन्म तिथि एवं आयु	24.05.1958, 53 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी-2/2184, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
5.	ईमेल पता	Staapkaaisla@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	मकेनिकल इंजिनियर - डिप्लोमा
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/57/2010-बीओ-1 बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के तहत खंड 3 के उप खंड (1) के साथ पढा जाए के अनुसार अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक, जो भी पड़हेले हे अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



2.3 Profiles of directors appointed during 2011-12:

[A] Shri Devinder Pal Singh

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Devinder Pal Singh, IAS
2.	FATHER'S NAME	Brig. Jagir Singh
3.	DATE OF BIRTH & AGE	04.01.1954 ; 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	D-II/251, Vinay Marg, New Delhi
5.	EMAIL – ADDRESS	cmd@psb.org.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Graduate (Commerce)
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Appointed as Chairman & Managing Director in terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi letter No F. No. 9/8/2009-BO-I dated 31st October 2011 under clause (a) of sub section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, from the date of taking over charge and upto 31.01.2014, i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
8.	EXPERIENCE	Had held many prestigious assignments in parent State i.e. Uttar Pradesh. Had been on deputation to Central Govt. Ministries such as Urban Development, Environment & Forests, Human Resources, Coals & Mines, Earth Sciences and Home Affairs before joining the Bank as Chairman & Managing Director.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	NIL

[B] Shri Suresh Thakur

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Suresh Thakur
2.	FATHER'S NAME	Karam Chand
3.	DATE OF BIRTH & AGE	24.05.1958 ; 53 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B-2/2184, Vasant Kunj, New Delhi – 110 070
5.	EMAIL – ADDRESS	Staapkafaisla@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Diploma in Mechanical Engg.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Appointed as part time Non Official Director in terms of Govt. of India, Ministry Of Finance, Department of Financial Services, New Delhi letter No F. No. 6/57/2010-BO-I dated 13 th July 2011 under sub-section 3(h) and 3(A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.



8.	अनुभव	"आप का फैसला" दैनिक समाचार-पत्र के अध्यक्ष
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	निदेशक—एनपीडीआईएल।

(ग) श्री संजीव कुमार अरोडा

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री संजीव कुमार अरोडा
2.	पिता का नाम	श्री सत्य प्रकाश अरोडा
3.	जन्म तिथि एवं आयु	20.04.1962, 50 वर्ष
4.	वर्तमान पता	डी-3/3465, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
5.	ई-मेल पता	mrask4@yahoo-co-in
6.	शैक्षिक योग्यता	सनदी लेखाकार
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/59/2010-बीओ-1 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के तहत खंड 3 के उप खंड (1) के साथ पढा जाए के अनुसार अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक, जो भी पहले हे अशाकालिक और अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
8.	अनुभव	<ul style="list-style-type: none"> » 1987 से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत, वीपीजीएस एण्ड कं. के वरिष्ठ साझेदार। » विभिन्न राष्ट्रीयकृत/निजी क्षेत्र के बैंकों के 70 से अधिक उधार खातों के स्टाक ऑडिट किए। » समूह आवास, थ्रिफ्ट और क्रेडिट, सहकारी स्टोरों जैसी अनेकों समितियों के 200 से अधिक सांविधिक ऑडिट किए। » उत्पादक, विपणन, प्रबंधन, वित्त लक्ष्य सिंक्रैश कर्तार कर रही संयुक्त पूंजी कंपनियों के ऑडिट कार्य। कंपनियों, फर्मों तथा संस्थाओं के प्रबंधन तथा आंतरिक ऑडिट कार्य तथा सेवा उपलब्ध कराना। » आय-कर/सम्पत्ति-कर/उपहार-कर तथा अन्य संबंधित प्रलेखों को तैयार करना। विभिन्न प्राधिकरणों के सामने उपस्थित होना। » सहकारी समिति रजिस्ट्रार, संसद मार्ग, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित मध्यस्थों के पैनल पर थे और 200 से उपर मामलों में अवार्ड पारित किया।
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, (यदि कोई है)	शून्य

(घ) श्री सुखन पाल बबूता

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सुखन पाल सिंह बबूता
2.	पिता का नाम	श्री राज कुमार बबूता



8.	EXPERIENCE	Chairperson of a daily newspaper "Aap Ka Faisla"
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Director – HPWL

[C] Shri Sanjiv Kumar Arora

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SANJIV KUMAR ARORA
2.	FATHER'S NAME	SATYA PRAKASH ARORA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	20.04.1962 ; 50 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	D-3/3465, Vasant Kunj, New Delhi – 110 070
5.	EMAIL – ADDRESS	mrask4@yahoo.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Chartered Accountant
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Appointed as part time Non Official Director in terms of Govt. of India, Ministry Of Finance, Department of Financial Services, New Delhi letter No F. No. 6/59/2010-BO-I dated 15 th July 2011 under sub-section 3(h) and 3(A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
8.	EXPERIENCE	<ul style="list-style-type: none"> • Practicing Chartered Accountant since 1987, Senior Partner of VPGS & CO. • Conducted more than 70 Stock Audits of Borrower Accounts of various Nationalised/Private Sector Banks. • Conducted more than 200 Statutory Audits of various Types of Societies e.g. Group Housing, Thift & Credit, Consumer Co-operative Stores. • Audits of reputed Join Stock Companies engaged in the field of manufacturing, marketing, management, finance and investment consultancy. Conducting Management and Internal Audits of a number of companies, firms and institutions and also rendering services. • Preparation of income tax/wealth tax/gift tax and other related documents. Presentation and appearance before various authorities. • Has been on the panel of Arbitrators, maintained by the Registrar Co-operative Societies, Parliament Street, New Delhi and has passed the Awards in more than 200 cases.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	NIL

[D] Shri Sukhen Pal Babuta

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SUKHEN PAL BABUTA
2.	FATHER'S NAME	RAJ KUMAR BABUTA



3.	जन्म तिथि एवं आयु	11.10.1963, 48 वर्ष
4.	वर्तमान पता	240, सेक्टर 21-ए, चंडीगढ़-160022
5.	ई-मेल पता	spbabuta@hotmail-com
6.	शैक्षिक योग्यता	सनदी लेखाकार
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (1) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 9 (4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स तथा बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 66 (1) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शोधस्थानों में से दिनांक 03.06.2011 से 3 वर्षों के लिए चुना गया है।
8.	अनुभव	वर्ष 1987 से कार्यरत
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, (यदि कोई है)	<ul style="list-style-type: none"> » एस.यू.ए.एस. शैक्षिक संस्था » हिमालयन बियूटी उत्पाद प. लि. » शोभाशोक मोगा एंटरप्राइसिस्स प. लि. » निओ एसकोट स्वास्थ्य सेवा प. लि.

(ड) श्री राजेंद्रन नारायणन

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री राजेंद्रन नारायणन
2.	पिता का नाम	श्री कलियप्पन नारायणन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	05.05.1969, 42 वर्ष
4.	वर्तमान पता	13वां तल आर-टेक 2 साउथ साईड, निरलोन नौलेज पार्क, वैस्टर्न हाई वे के साथ, गोरेगांव ईस्ट मुंबई-400063
5.	ई-मेल पता	rajendran-n@npci-org-in
6.	शैक्षिक योग्यता	क. भारतीयदासन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी ख. भारतीयदासन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (1) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 9 (4) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स तथा बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 66 (1) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शोधस्थानों में से दिनांक 03.06.2011 से 3 वर्षों के लिए चुना गया है।
8.	अनुभव	<p>क. बैंकिंग तकनीकी में विकास एवं अनुसंधान संस्था में उप महा प्रबंधक (जुलाई 1998 से फरवरी 2008 तक)</p> <p>ख. टाटा कम्युनिकेशन्स लि. में उप महा प्रबंधक (फरवरी 2008 से मार्च 2009 तक)</p> <p>ग. टाटा कम्युनिकेशन्स बैंकिंग इन्फ्रासोल्यूशन्स लि. में उप महा प्रबंधक (अप्रैल 2009 से दिसंबर 2009 तक)</p> <p>घ. राष्ट्रीय भुगतान कारपोरेशन ऑफ इंडिया में जनवरी 2010 से आई सुरक्षा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर में अध्यक्ष के रूप में</p>
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, (यदि कोई है)	शून्य



3.	DATE OF BIRTH & AGE	11.10.1963; (48 YEARS)
4.	PRESENT ADDRESS	240, Sector 21-A Chandigarh 160 022
5.	EMAIL ADDRESS	spbabuta@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Chartered Accountant
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Elected amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years w.e.f. 03.06.2011.
8.	EXPERIENCE	In practice since 1987
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	<ul style="list-style-type: none"> - SUAS Educational Foundation - Himalyan Beauty Products Private Limited - Shemrock Mega Enterprises Private Limited - Neo Ascot Health Services Private Limited

[E] Shri Rajendran Narayanan

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	RAJENDRAN NARAYANAN
2.	FATHER'S NAME	KALIAPPAN NARAYANAN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	05.05.1969 ; (42 YEARS)
4.	PRESENT ADDRESS	13 th Floor, R-Tech 2 South Side, Nirlon Knowledge Park, Off Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai-400 063
5.	EMAIL – ADDRESS	rajendran.n@npci.org.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	a) Doctor of Philosophy in Computer Science from Bharathidasan University. b) Master of Computer Application from Bharathidasan University.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Elected amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years w.e.f. 03.06.2011.
8.	EXPERIENCE	(a) Institute for Development and Research in Banking Technology (From July 1998 to Feb 2008) as a Dy. General Manager. (b) Tata Communication Ltd. (From Feb 2008 to March 2009 as a Dy. General Manager. © Tata Communication Banking Infrsolutions Ltd. (from April 2009 to Dec 2009) as a Dy. General Manager. (d) National Payments Corporation of India since Jan 2010 as a Head-IT Security & Infrastructure.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	NIL



(च) श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क
2.	पिता का नाम	बलकार सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	12.02.1956, 56 वर्ष
4.	वर्तमान पता	44, दूरदर्शन इन्कलेव, जालंधर
5.	ई-मेल पता	virksps@yahoo-com
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.ए., सी.ए.आई.आई.बी- पत्रकारिता तथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2011 सं. नं.9/35/2009-बीओ-1 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) को राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 की धारा 9 के उप खंड (1) (2) के साथ पठित, की शर्तों के अनुसार उनकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक कर्मकार के रूप में रहने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त।
8.	अनुभव	» पंजाब बैंक इम्पलाईस फ़ेडरेशन के उपाध्यक्ष » आल इंडिया बैंक इम्पलाईस एसोसिएशन के जरनल काउंसिल सदस्य
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, (यदि कोई है)	शून्य

2.4 बोर्ड बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल नौ बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित शर्त 12 की न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध है।

30.04.2011	15.06.2011	15.07.2011	29.07.2011	26.09.2011
31.10.2011	15.12.2011	30.01.2012	16.03.2012	

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.11.2011 से 31.03.2012	3	3
श्री पी.के.आनंद, कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	9	9



[F] Shri Surinder Pal Singh Virk

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SURINDER PAL SINGH VIRK
2.	FATHER'S NAME	BALKAR SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	12.02.1956 ; 56 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	44, Doordarshan Enclave, Jalandhar
5.	EMAIL – ADDRESS	virksp@yahoo.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MA, CAIIB-I, Diploma in Computer & Journalism
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Appointed as Workmen Employee Director in terms of Government of India, Ministry of Finance, department of Financial Services, New Delhi letter no. 9/35/2009-BO-I dated 23rd November 2011 under clause (e) of the Sub-section 3 of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Sub-clause (1) & (2) of clause 9 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 for a period of three years from the date of his notification or till he ceases to be a Workmen Employee of Punjab & Sind Bank, or until further orders, whichever is earlier.
8.	EXPERIENCE	<ul style="list-style-type: none"> • Vice President of Punjab Bank Employees Federation • General Council member of All India Bank Employees Association
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	NIL

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2011-12 a total of nine Board Meetings were held on the following dates as against minimum of six meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

30.04.2011	15.06.2011	15.07.2011	29.07.2011	26.09.2011
31.10.2011	15.12.2011	30.01.2012	16.03.2012	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh – CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	3	3
Shri P.K. Anand – ED	01.04.2011 to 31.03.2012	9	9



श्री ए. भट्टाचार्य, वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	9	8
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	9	4
श्री ए.के.सुराना, गैर-अधिकारिक निदेशक(सनदी लेखाकार श्रेणी)	01.04.2011 से 30.12.2011	7	7
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 09.07.2011	2	2
श्री करनपाल सिंह सेखों गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	9	8
श्री सुरेश ठाकुर – गैर-अधिकारिक निदेशक	13.07.2011 से 31.03.2012	7	7
श्री संजीव कुमार अरोड़ा- गैर-अधिकारिक निदेशक	15.07.2011 से 31.03.2012	6	6
श्री सुखन पाल बबूता-गैर अधिकारिक निदेशक(अंश धारक श्रेणी)	03.06.2011 से 31.03.2012	8	8
श्री राजेन्द्रन नारायणन-गैर अधिकारिक निदेशक(अंश धारक श्रेणी)	03.06.2011 से 31.03.2012	8	3
श्री एस.पी.एस.विर्क-कर्मकार कर्मचारी निदेशक	23.11.2011 से 31.03.2012	3	3

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक पद नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की www.psbindia.com का अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य बैठक

3.1. वार्षिक सामान्य बैठक:

बैंक के अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक बृहस्पतिवार, 16 जून 2011, को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहाँ निम्न निदेशक मौजूद थे।

1. श्री पी.के.आनंद	कार्यकारी निदेशक
2. श्री ए. भट्टाचार्य	वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
3. श्री ए.के.सुराना	गैर अधिकारिक निदेशक(सनदी लेखाकार श्रेणी)
4. श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	गैर-अधिकारिक निदेशक
5. श्री करनपाल सिंह सेखों	गैर-अधिकारिक निदेशक
6. श्री सुखन पाल बबूता	गैर-अधिकारिक निदेशक (अंशधारक श्रेणी)



Shri A. Bhattacharya – MOF Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	9	8
Shri B.P. Kanungo – RBI Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	9	4
Shri A.K. Surana – Non Official Director (CA Category)	01.04.2011 to 30.12.2011	7	7
Shri Krishan Murari Gangawat – Non Official Director	01.04.2011 to 09.07.2011	2	2
Shri Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director	01.04.2011 to 31.03.2012	9	8
Shri Suresh Thakur – Non Official Director	13.07.2011 to 31.03.2012	7	7
Shri Sanjiv Kumar Arora – Non Official Director	15.07.2011 to 31.03.2012	6	6
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director (Shareholders' Category)	03.06.2011 to 31.03.2012	8	8
Shri Rajendran Narayanan – Non Official Director (Shareholders' Category)	03.06.2011 to 31.03.2012	8	3
Shri S.P.S. Virk – Workmen Employee Director	23.11.2011 to 31.03.2012	3	3

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors, in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. General Meeting:

3.1. Annual General Meeting :

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Thursday, 16th June, 2011 at New Delhi, where the following Directors were present

1. Shri P.K. Anand	Executive Director
2. Shri A. Bhattacharya	MOF Nominee Director
3. Shri A.K. Surana	Non Official Director (CA Category)
4. Shri Krishan Murari Gangawat	Non Official Director
5. Shri Karanpal Singh Sekhon	Non Official Director
6. Shri Sukhen Pal Babuta	Non Official Director (Shareholders' Category)



3.2. असाधारण सामान्य बैठक:

बैंक की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत तक की सीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयरों का अधिमान्य आबंटन करने पर विचार करने के लिए दिनांक 27.03.2012 को असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई तथा निर्णय लिया गया कि 10/- रूपए मूल्य के 1,11,52,000 शेयरों को अधिमान्य आधार पर रूपए 85.46 (रूपए 75.46 प्रीमियम सहित), पर आबंटन किया जाए।

4. निदेशकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्य नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड/कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन निष्पादन तथा विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य-निष्पादन, अवसरों, धमकियों, जोखिम तथा उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर प्रसोसोस्तिष्ठै है।

निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्न हैं-

क्र.सं.	31.03.2012 के अनुसार समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति
11.	कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	जनशक्ति आयोजना पर निदेशकों की समिति

4.1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड - 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।



3.2. Extra Ordinary General Meeting :

The Extra Ordinary General Meeting of the Bank was held on 27.03.2012 to consider for allotment of preferential issue of equity shares to the Life Insurance Corporation of India upto the extent of 5% of the total paid up equity share capital of the Bank and it was resolved to issue and allot 1,11,52,000 equity shares of Rs.10/- each to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at a price of Rs.85.46 (including premium of Rs.75.46).

4. COMMITTEE OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concerns besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee as on 31.03.2012
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Shareholder's / Investors Grievance Committee
9.	Nomination Committee
10.	IT Committee
11.	Committee of Directors on Executives' Promotions
12.	Committee of Directors on Appellate / Reviewing Authority
13.	Committee of Directors on Manpower Planning

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director , Executive Director and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g), besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.



31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है—

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री डी.पी.सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
4.	श्री सुखन पाल बबूता –सनदी लेखाकार निदेशक
5.	श्री सुरेश ठाकुर— गैर—अधिकारिक निदेशक
6.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर—अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 15 बैठकों का आयोजन हुआ:

21.04.2011	30.04.2011	02.06.2011	27.06.2011	15.07.2011
29.07.2011	29.08.2011	26.09.2011	31.10.2011	15.12.2011
30.12.2011	30.01.2012	29.02.2012	16.03.2012	27.03.2012

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों	बैठकों जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.11.2011 से 31.03.2012	6	6
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	15	15
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	15	7
श्री ए.के.सुराना—सनदी लेखाकार निदेशक	01.04.2011 से 30.12.2011	11	11
श्री करनपाल सिंह सेंखों— गैर अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 14.06.2011 तथा	3	3
	15.07.2011 से 14.01.2012	7	7
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत—गैर अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 09.07.2011	4	4
श्री सुखन पाल बबूता—गैर अधिकारिक निदेशक(अंश धारक श्रेणी)	15.06.2011 से 14.12.2012	6	6
	31.12.2011 से 31.03.2012	4	3
श्री सुरेश ठाकुर – गैर—अधिकारिक निदेशक	14.12.2011 से 31.03.2012	6	5
श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर—अधिकारिक निदेशक	15.01.2012 से 31.03.2012	4	4



The composition of the committee as on 31st March 2012 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. D.P. Singh – Chairman & Mg. Director
2.	Sh. P.K. Anand – Executive Director
3.	Sh. B.P. Kanungo – RBI Nomiinee Director
4.	Sh. Sukhen Pal Babuta – CA Director
5.	Sh. Suresh Thakur – Non-Official Director
6.	Sh. Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director

During the Financial Year 2011-12, the Management Committee of the Board met on 15 occasions on the following dates:

21.04.2011	30.04.2011	02.06.2011	27.06.2011	15.07.2011
29.07.2011	29.08.2011	26.09.2011	31.10.2011	15.12.2011
30.12.2011	30.01.2012	29.02.2012	16.03.2012	27.03.2012

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	6	6
Sh P.K. Anand – ED	01. 04.2011 to 31.03.2012	15	15
Sh B.P. Kanungo-RBI Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	15	7
Sh A.K. Surana – CA Director	01.04.2011 to 30.12.2011	11	11
Sh Karanpal Singh Sekhon –Non Official Director	01.04.2011 to 14.06.2011	3	3
	15.07.2011 to 14.01.2012	7	7
Sh Krishan Murari GangawatNon Official Director	01.04.2011 to 09.07.2011	4	4
Sh Sukhen Pal Babuta – Non Of-ficial Director Shareholders' Category	15.06.2011 to 14.12.2012	6	6
	31.12.2011 to 31.03.2012	4	3
Sh. Suresh Thakur – Non Official Director	14.12.2011 to 31.03.2012	6	5
Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non Of-ficial Director	15.01.2012 to 31.03.2012	4	4



4.2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जो कि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

31.03.2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

1.	श्री एस.पी.बबूता – गैर-अधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री सुरेश ठाकुर – गैर-अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से सदस्य नहीं रहे:

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – 09.07.2011
श्री ए.के.सुराना – 30.12.2011

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 07 बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

30.04.2011	15.06.2011	29.07.2011	04.10.2011
31.10.2011	27.12.2011	30.01.2012	

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार (अध्यक्ष)	01.04.2011 से 30.12.2011	6	6
2.	श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	7	7
3.	श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	7	5
4.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	7	2
5.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	01.04.2011 से 09.07.2011	2	2
6.	श्री सुखन पाल बबूता-गैर अधिकारिक निदेशक(अंश धारक श्रेणी)	15.07.2011 से 31.03.2012	5	4
7.	श्री सुरेश ठाकुर – गैर-अधिकारिक निदेशक	31.12.2011 से 31.03.2012	1	1



4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

(i) Sh. S.P. Babuta - Non Official Director (Chairperson)
(ii) Sh P.K. Anand – Executive Director
(iii) Sh. A. Bhattacharya – MOF Nominee Director
(iv) Sh. B.P. Kanungo – RBI Nominee Director
(v) Sh. Suresh Thakur – Non Official Director

The following Directors ceased to be members of ACB during the Financial Year 2011-12 on the dates shown against their respective names:

(i) Sh. Krishan Murari Gangawat – 09.07.2011
(ii) Shri A.K. Surana – 30.12.2011

During the Financial Year 2011-12, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 07 occasions on the dates given below:

30.04.2011	15.06.2011	29.07.2011	04.10.2011
31.10.2011	27.12.2011	30.01.2012	

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1.	Sh A.K. Surana CA (Chairperson)	01.04.2011 to 30.12.2011	6	6
2.	Sh P.K. Anand - ED	01.04.2011 to 31.03.2012	7	7
3.	Sh A. Bhattacharya –MOF Director	01.04.2011 to 31.03.2012	7	5
4.	Sh B.P. Kanungo - RBI Director	01.04.2011 to 31.03.2012	7	2
5.	Sh Krishan Murari Gangawat	01.04.2011 to 09.07.2011	2	2
6.	Sh. Sukhen Pal Babuta – Non Official Director Shareholders' Category)	15.07.2011 to 31.03.2012	5	4
7.	Sh. Suresh Thakur- Non-Official Director	31.12.2011 to 31.03.2012	1	1



लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी के विषय में समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराध पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।

धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।

सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।

सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।

धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं

धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

निदेशक मंडल के पांच सदस्यों की गठित विशेष समिति में; (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक को छोड़कर बोर्ड के दो अन्य सदस्यों का समावेश है।



The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and holds discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and undertakes follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 **Committee for Monitoring of Large Value Frauds:**

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5 .DBS.FGV(F)No. 1004/ 23.04.01A/ 2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- ◇ identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- ◇ identify the reasons for delay in detection, if any, and report to top management of the Bank and RBI
- ◇ monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- ◇ ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- ◇ review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- ◇ put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The Special Committee constituted with five members of the Board of Directors, consists of: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.



31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री डी.पी.सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री ए.भट्टाचार्य—वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक
3.	श्री सुखन पाल सिंह बबूता— गैर—अधिकारिक निदेशक
4.	श्री करन पाल सिंह सेखों— गैर—अधिकारिक निदेशक
5.	श्री सुरेश ठाकुर— गैर—अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्न है:

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक	2	2
श्री ए. भट्टाचार्य –वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	4	3
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	1	1
श्री ए.के.सुराना सनदी लेखाकार निदेशक	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों	4	4
श्री सुरेश ठाकुर	3	3
श्री सुखन पाल सिंह बबूता	1	1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

4.4 सतर्कता समिति:

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/विज/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की समिति का गठन किया है। 31,मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:—

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – श्री डी.पी.सिंह
कार्यकारी निदेशक – श्री पी.के. आनन्द
वित्त मंत्रालय नामित – श्री ए. भट्टाचार्य
भारतीय रिज़र्व बैंक नामित – श्री बी.पी.कानूनगो



The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

Sr. No.	Name of the Director
1.	Shri D.P. Singh – Chairman & Mg. Director
2.	Shri A. Bhattacharya – MOF Nominee Director
3.	Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director
4.	Shri Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director
5.	Sh. Suresh Thakur – Non Official Director

The Committee met 4 times during the Financial Year 2011-12 as per the details below:

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri D.P. Singh – CMD	2	2
Shri P.K. Anand – ED	2	2
Shri A. Bhattacharya – MOF Director	4	3
Shri Krishan Murari Gangawat	1	1
Shri A.K. Surana – CA	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon	4	4
Shri Suresh Thakur	3	3
Shri Sukhen Pal Babuta	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 has advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

4.4 Vigilance Committee

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990. The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

CMD	– D.P. Singh
ED	– Shri P.K. Anand
MOF Nominee	– Shri A. Bhattacharya
RBI Nominee	– Shri B.P. Kanungo



वित्तीय वर्ष 2011-12 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.11.2011 से 31.03.2012	2	2
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित	01.04.2011 से 31.03.2012	4	3
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	2

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हों तो सही निर्देशा जारी करती है। दिनांक 31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना निम्न है:

1. श्री डी.पी.सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
3. श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर-अधिकारिक निदेशक
4. श्री राजेन्द्रन नारायणन – गैर-अधिकारिक निदेशक
5. श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.11.2011 से 31.03.2012	2	2
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4



The Committee met on the following dates during the FY – 2011-12

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh –CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	2	2
Shri P.K. Anand–ED	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Shri A. Bhattacharya –MOF Nominee	01.04.2011 to 31.03.2012	4	3
Shri B.P. Kanungo– RBI Nominee	01.04.2011 to 31.03.2012	4	2

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and imparts suitable directions, if required. The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

1. Shri D.P. Singh - Chairman & Managing Director
2. Shri P.K. Anand - Executive Director
3. Shri Sanjiv Kumar Arora, Non Official Director
4. Shri Rajendran Narayanan - Non Official Director
5. Shri Karanpal Singh Sekhon - Non Official Director

The Committee met on the following dates during the FY – 2011-12

15.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh –CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	2	2
Shri P.K. Anand–ED	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4



निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री ए.के. सुराना – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 30.12.2011	3	3
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 09.07.2011	1	1
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री राजेन्द्रन नारायणन – गैर-अधिकारिक निदेशक	26.09.2011 से 31.03.2012	3	2
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर-अधिकारिक निदेशक	31.12.2011 से 31.03.2012	1	1

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढांचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थिति बिना किसी बाधा के रहे और बैंक के हितों की सुरक्षा की देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति:

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2012 को समिति के निम्न सदस्य हैं –

श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री एस.पी.एस.विक्रम – कर्मकार कर्मचारी निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर – गैर-अधिकारिक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है। यह समिति ग्राहक सेवा शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है जो गैर-निष्पादित शेष अधिनिर्णयों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवोन्मेषी उपाय तैयार करती है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं:

27.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.11.2011 से 31.03.2012	2	2



Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri A.K. Surana – Non Official Director	01.04.2011 to 30.12.2011	3	3
Shri Krishan Murari Gangawat – Non Official Director	01.04.2011 to 09.07.2011	1	1
Shri Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Shri Rajendran Narayanan – Non Official Director	26.09.2011 to 31.03.2012	3	2
Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director	31.12.2011 to 31.03.2012	1	1

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2012:

1. Shri D.P. Singh - Chairman & Managing Director
2. Shri P.K. Anand - Executive Director
3. Shri S.P.S. Virk - Workmen Employee Director
4. Shri Suresh Thakur – Non Official Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times. This committee which inter-alia acts as an apex committee on Customer Service, reviews the status of the Awards remaining unimplemented and mounts innovative measures for enhancing the quality of customer service.

During the Financial Year 2011-12, the Committee met on the following dates:

27.06.2011	26.09.2011	15.12.2011	16.03.2012
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh - CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	2	2



निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री ए.के.सुराना – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 30.12.2011	3	3
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक	01.04.2011 से 09.07.2011	1	1
श्री सुरेश ठाकुर – गैर-अधिकारिक निदेशक	15.07.2011 से 31.03.2012	3	3
श्री एस.पी.एस.विक्रम – कर्मकार कर्मचारी निदेशक	31.12.2012 से 31.03.2012	1	1

4.7 पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20/1/2005-बीओ.1 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन एवं देय/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31.03.2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री सुखन पाल सिंह बबूता – गैर-अधिकारिक निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक

पूर्व समिति की 15 जुलाई, 2011 को केवल एक बैठक हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री सुखन पाल सिंह बबूता – गैर-अधिकारिक निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक

समिति ने उक्त अधिसूचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्न दिए गए विवरण के अनुसार, निम्नलिखित निदेशकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय लिया:

(राशि रूप में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि (₹.)* में
1	श्री जी.एस.वेदी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1,75,000.00
2	श्री पी.के. आनंद	कार्यकारी निदेशक	5,50,000.00

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल के अनुपात में किया गया।



Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri P.K. Anand - ED	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Shri A.K. Surana – Non Official Director	01.04.2011 to 30.12.2011	3	3
Shri Krishan Murari Gangawat - Non Official Director	01.04.2011 to 09.07.2011	1	1
Shri Suresh Thakur, Non Official Director	15.07.2011 to 31.03.2012	3	3
Shri S.P.S. Virk, Workmen Employee Director	31.12.2012 to 31.03.2012	1	1

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks, based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March, 2012 is as under :

Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director
Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director
Shri Sukhen Pal Babuta, Non-Official Director
Shri Karanpal Singh Sekhon, Non-Official Director

The previous Committee met once on 15th July, 2011 comprising of the following members:

Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director
Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director
Shri Sukhen Pal Babuta, Non-Official Director
Shri Karanpal Singh Sekhon, Non-Official Director

In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives for the Financial Year 2010-11 to the following Directors as per details given below:

(Amount in Rupees)

S r. No	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the Financial Year 2010- 11 (₹.)*
1	Shri G.S. Vedi	Chairman & Mg. Director	1,75,000.00
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	5,50,000.00

* Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.



4.8 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

दिनांक 09.06.2010 को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) को जारी करते समय, बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतें, यदि कोई है, के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

1. श्री सुखन पाल बबूता – गैर-अधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष)
2. श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक-सदस्य
4. श्री राजेन्द्रन नारायणन- गैर-अधिकारिक निदेशक – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की बैठकें निम्न तारीखों पर हुई।

30.04.2011	15.07.2011	31.10.2011	30.01.2012
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री ए.के.सुराना – अध्यक्ष	01.04.2011 से 30.12.2011	3	3
श्री डी.पी. सिंह – सी.एम.डी.	04.11.2011 से 31.03.2012	1	1
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक	09.06.2010 से 31.03.2011	1	1
श्री सुखन पाल बबूता	31.12.2011 से 31.03.2012	1	1
श्री राजेन्द्रन नारायणन	26.09.2011 से 31.03.2012	2	1

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2011 को लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2012 को लम्बित
30	797	827	शून्य

कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत, बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु फिट एण्ड प्रोपर मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हो। उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में एक नामांकन समिति का गठन किया गया है।



4.8 Shareholders / Investors Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted 09.06.2010 on launch of IPO by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

- (i) Shri Sukhen Pal Babuta, Non Official Director - Chair person
- (ii) Shri D.P. Singh, Chairman & Managing Director
- (iii) Shri P.K. Anand - Executive Director - Member
- (iv) Shri Rajendran Narayanan, Non Official Director-Member

The Committee met on the following dates during the FY – 2011-12

30.04.2011	15.07.2011	31.10.2011	30.01.2012
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri A.K. Surana - Chairperson	01.04.2011 to 30.12.2011	3	3
Shri D.P. Singh - CMD	04.11.2011 to 31.03.2012	1	1
Shri P.K. Anand - Executive Director	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Shri Krishan Murari Gangawat	09.06.2010 to 31.03.2011	1	1
Shri Sukhen Pal Babuta	31.12.2011 to 31.03.2012	1	1
Shri Rajendran Narayanan	26.09.2011 to 31.03.2012	2	1

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under

Pending as on 01.04.2011	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2012
30	797	827	-Nil-

Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 Nomination Committee :

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" had been constituted.



4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल तथा सूचना प्रौद्योगिकियों के लाभों के साथ आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से, दिनांक 31.03.2012 पर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति तैयार की गई जिसमें निम्न सदस्य शामिल हैं।

श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक
राजेन्द्रन नारायणन- गैर-अधिकारिक निदेशक

उक्त वर्णित समिति की बैठक दिनांक 15.12.2011 को हुई। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों में और तेजी लाने हेतु निम्न उप-समितियां गठित की हैं:-

(क) सी.बी.एस. परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड की उप-समिति – दिनांक 31.03.2012 को समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:-

श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री एस.पी.एस.विकर्क –कर्मकार कर्मचारी निदेशक
राजेन्द्रन नारायणन- गैर-अधिकारिक निदेशक

दिनांक 26.09.2011 को उप-समिति ने अपनी बैठक आयोजित की तथा निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:-

श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री ए.के.सुराना – गैर-अधिकारिक निदेशक

(ख) सलाहकारों को कार्य सौंपने के लिए बोर्ड की उप-समिति

इसी प्रकार, सलाहकारों को कार्य सौंपने हेतु विचार करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 26.09.2011 तथा 28.12.2011 को आयोजित की गई . जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, वे निम्नानुसार हैं:-

श्री ए.के.सुराना – गैर-अधिकारिक निदेशक
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित

दिनांक 31.03.2012 को समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:-

श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित
श्री सुखन पाल बबूता- गैर-अधिकारिक निदेशक



4.10 IT Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board, comprising of the following members is in place as on 31.03.2012.

Shri A. Bhattacharaya - MOF Nominee Director
Shri Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director
Shri Rajendran Narayanan – Non Official Director

The above stated committee held its meeting on 15.12.2011. Further, for enhancing IT initiatives, following sub-committees are in place :

(a) Sub-Committee of Board for Roll out of CBS Project: The composition of the Committee as on 31.03.2012 is as under:

Shri P.K. Anand - Executive Director
Shri B.P. Kanungo - RBI Nominee Director
Shri S.P.S. Virk - Workmen Employee Director
Shri Rajendran Narayanan - Non Official Director

The Sub-Committee held its meeting on 26.09.2011 and following members attended the meeting:

Shri P.K. Anand - Executive Director
Shri B.P. Kanungo - RBI Nominee Director
Shri A.K. Surana - Non Official Director

(b) Sub-Committee of Board for Awarding Assignment to Consultants

Similarly, a Sub-Committee of Board constituted to consider any assignment to be awarded to consultants held its meeting on 26.09.2011 and 28.12.2011. The members who attended the meeting are as follows :

Shri A.K. Surana - Non Official Director
Shri P.K. Anand - Executive Director
Shri A. Bhattacharya – MOF Nominee Director

The composition of the Committee as on 31.03.2012 is as under:

Shri P.K. Anand - Executive Director
Shri A. Bhattacharya – MOF Nominee Director
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director



4.11 कार्यपालकों के प्रमोशनों पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है। तदनुसार दिनांक 04.11.2011 को श्री डी.पी.सिंह द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य ग्रहण करने पर इस समिति के स्वतः ही सदस्य बन गए। समिति ने दिनांक 26.03.2012 को महा प्रबंधकों के साक्षात्कार आयोजित करने के लिए बैठक की।

31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक-सदस्य
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित
श्री बी.पी.कानूनगो – भार.रि.बैं. नामित निदेशक

4.12 अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अनुशासनात्मक मामलों में अपील/समीक्षा के संबंध में अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया है जिसके दिनांक 31.03.2012 को निम्न सदस्य हैं—

1. श्री बी.पी.कानूनगो – भार.रि.बैं. नामित निदेशक
2. श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर-अधिकारिक निदेशक
3. श्री करन पाल सिंह सेखों – गैर-अधिकारिक निदेशक

4.13 शेर अंतरण समिति:

पांच कार्यपालकों की समिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दिनांक 31.03.2012 तक शेर अंतरण समिति की 27 बैठकें आयोजित की गईं। बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि शेरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से एक महीने के अंदर सभी शेरों का अंतरण हो जाए।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एरियर्स सहित वेतन का भुगतान:



4.11 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors, consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India, has been formed for dealing with the promotions at senior level. Subsequently, Sh. D.P. Singh automatically became a member of the Committee on joining as CMD on 04.11.2011. The Committee met on 26.03.2012 for conducting interview for the post of General Managers.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

1. Shri D.P. Singh - Chairman & Managing Director
2. Shri P.K. Anand - Executive Director
3. Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director
4. Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director

4.12 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2012:

Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director

Shri Sanjiv Kumar Arora, Non-Official Director

Shri Karanpal Singh Sekhon, Non-Official Director

4.13 Share Transfer Committee :

A committee of five officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approved the demat/ transfer/transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. 27 meetings of the Share Transfer Committee were held up to 31.03.2012. The Bank ensures that all the transfer of shares are affected within a period of one month from the date of their lodgment.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration, including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors, are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Director are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

Salary including Arrears paid during the Financial Year 2011-12:



क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1	श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6,11,617.98
2	श्री पी.के. आनंद	कार्यकारी निदेशक	13,78,094.70'

प्रोत्साहन राशि सहित

वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	श्री ए.के.सुराना	1,55,000
2.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	37,500
3.	श्री के.पी.एस. सेखों	1,27,500
4.	श्री सुखन पाल बबूता	1,25,000
5.	श्री राजेन्द्रन नारायणन	37,500
6.	श्री सुरेश ठाकुर	1,10,000
7.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	75,000
8.	श्री एस. पी. एस. विर्क	35,000
	कुल योग	7,02,500

6. सामान्य बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंशधारियों की सामान्य बैठकों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

कृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थल
एजीएम	वीरवार, 16.06.2011	11.00 बजे	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010
ईजीएम.	मंगलवार, 27.03.2012	9.00 बजे	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010

7. प्रकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है, जहां बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।
- (ख) सरकारी कारोबार के इतर शुल्क, कमीशन, गारन्टी पर कमीशन, एल सी, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, अग्रिम बिल तथा कर वापिसीयों पर कमाए ब्याज की गणना वास्तविक वसूली के आधार पर की जाती है।
- (ग) संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट्स के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (घ) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टाक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।



Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri D.P. Singh	Chairman & Managing Director	6,11,617.98p
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	13,78,,094.70p*

*including Incentives

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2011-12 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India) :

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Shri A.K. Surana	155000.00
2	Shri Krishan Murari Gangawat	37500.00
3	Shri K P S Sekhon	127500.00
4	Shri Sukhen Pal Babuta	125000.00
5	Shri Rajendran Narayanan	37500.00
6	Shri Suresh Thakur	110000.00
7	Shri Sanjiv Kumar Arora	75000.00
8	Shri S.P.S. Virk	35000.00
	TOTAL :	702500.00

6. GENERAL BODY MEETINGS

Details of the General Body Meetings of the shareholders held during the last three years is as under :

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Thursday, 16.06.2011	11.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010
EGM	Tuesday, 27.03.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010

7. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax Refunds are accounted for on realization basis.
- Dividend on Shares in Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.



(इ) वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की विसल ब्लोअर पालिसी पूर्ण रूप से परिचालित है।

(च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च 2012 तक निदेशकों के मध्य किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

8. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं:

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के क्रमिक अद्ययन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर करेंगे।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की नीति तैयार करेगी।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजना।	शेयर धारकों की सूचना हेतु अर्ध-वार्षिक/ तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था और बैंक की वेबसा. ईट पर भी उपलब्ध कराया गया था।
4.	कंपनी को अनकवालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक ने अनकवालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने हेतु कई कदम उठाए हैं।
5.	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन करने और उसका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यवसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ, कंपनी के व्यवसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के विषय में प्रशिक्षित करे।	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यवसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है।
6.	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना।	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, एक नामांकन समिति का गठन किया गया है एवं चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रोपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं।
7.	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के विषय में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (विसल ब्लोअर) नीति बनाए।	वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (विसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचालित है।



- e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.
- f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2012.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Chairman & Managing Director and Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Half yearly/Quarterly financial results were published in leading newspapers and were also placed on the website of the Bank for the information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements.	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.
5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board.
6.	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the directors to be elected under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 shall be subject to determination of their fit & proper status.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.



9. संप्रेषण के साधन:

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारी के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुसूची के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

बैंक के तिमाही/इयर टू डेट/वार्षिक परिणाम बैंक की वेबसाइट <http://www.psbindia.com> पर उपलब्ध है।

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:-

1. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,

25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001

बीएसई कोड: 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध, सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकरण:

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकरण हेतु नेशनल सिक्क्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2012 को बैंक के पास 234208000 इक्विटी शेयर है जिनमें से 234206667 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	1333	0.0006
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	43733203	14.8083
सी.एस.डी.एल.	190473464	85.1911
कुल	234208000	100.0000

* इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 18,30,56,000 शेयर सम्मिलित हैं।



9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the NCT of Delhi where the Head Office of the Bank is situated.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank are posted on the Bank's Website – <http://www.psbindia.com>

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) Bombay Stock Exchange Ltd.,

Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Fort, Mumbai 400 001

BSE CODE : 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza"

Bandra Kurla Complex
Bandra, (East)
Mumbai 400 051

NSE CODE : PSB-EQ

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 Dematerialisation of Securities :

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2012 the Bank has 234208000 Number of Equity Shares of which 234206667 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	1333	0.0006
Dematerialized		
NSDL	43733203	14.8083
CDSL *	190473464	85.1911
Total	234208000	100.0000

* includes 18,30,56,000 equity shares held by the Government of India.



90.2 **इंजीनियरिंग के संसाधनों के शोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) :**

हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शोधन प्रक्रियाएं पूर्ण हैं। एन.एस.डी.एल. भुगतानकर्ताओं को कोषाधिक्य प्रणाली में है जिसमें संवेदित लिखित शोधन के कोषों के मंडलों में भंडारण के अलावा आधिकारिकी बोशिवेपीधर्म तैयारी करने की आजी है। बैंक को सौंपने वाले को सभी बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस. / ई.सी.एस. सेवाएं उपलब्ध हैं पर सेवा का बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल को बैठक में उनके अनुमोदन के बाद ही चालू किया जाएगा। बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह

10.3 **इलेक्ट्रॉनिक शोधन अंतरण प्रणाली (एन.एस.डी.एल.) की शिकायतों के निवारण में से एक समाचार पत्र** ऐसा बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेरों के अंतरण सब्सक्रिप्शन कार्ड के माध्यम से प्रस्तुत की जायें। बैंक के अंदर विधिवत स्वीकृत संपन्न हो जायें। बैंक के शेरों के अंतरण एन.एस.डी.एल. संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए बैंक के वित्तीय अधिकारियों द्वारा एक अलग ही शिकायत प्रणाली का शुभ शुरुआत किया गया है। वे सभितियां नियमित संतसलन पत्र बैठक आयोजित करती हैं और निवेश-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

10. **शेरधारकों से संबंधित** इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना अलावा शेर बोर्ड में जायें। बैंक के संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। निवेश, एन.एस.डी.एल. अंतरण, डी.डी. के माध्यम से शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

मिस्सर्स जलिक इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
(इकाई नं. 4/2, जवाहर नगर, अंधा, मुंबई 400001)
बी.एच. नगर, अंधा, मुंबई 400001, फेज-1,
बुना बैंक के पास, नई दिल्ली - 110028
E-mail: jk@jkt.com, jk@jkt.com, k fyfe VM
दूरभाष: (011) 41410592 से 0594
फैक्स: (011) 41410591
ई-मेल: jk@jkt.com, बांदा पूर्व, मुंबई 400051
E-mail: delhi@jkt.com
एन.एस.डी.एल. कोड: पी.एस.डी.ई.के.
बैंक ने शेरों के अंतरण प्रणाली का शुभ शुरुआत किया है। शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
10-1 **एन.एस.डी.एल. अंतरण एजेंट** प्लेस, नई दिल्ली - 110008, शेरों की अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेर आते हैं और बैंक ने अपने शेरों के अभौतिकरण दूरभाष: (011) 25782926, 25728930, 25812922 के माध्यम से शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार (इंडिया) लि. (एन.एस.डी.एल.) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) के पास (011) 25781639, 25812922 के माध्यम से शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है। शेरधारक, एन.एस.डी.एल. अथवा सी.डी.एस.एल. के पास अपने ई-मेल: complianceofficer@psb.org.in को शिकायतें भेज सकते हैं। शेरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं। (उक्त ई-मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 37 (एम.ए. 2003) के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए 2000 इक्विटी शेर है जिनमें से 234206667 शेर अभौतिक रूप में लिखित हैं।

10.4 **निवेशकों के शिकायतों के निवारण के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट**

धरिता कवियकरण	शेरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
भौतिक	1333	74	0.0008
1. वर्ष के आरंभ में शेर धारकों की संख्या			8543
अभौतिक	43733203	45	5641
2. शेर अंतरण के लिए आए शेर धारकों की संख्या और शेर धारकों की संख्या जिनके शेरों को उचित खाते			14.8083
एन.एस.डी.एल. अंतरण के लिए आए शेर धारकों की संख्या	190473464		85.1911
सी.एस.डी.एल. अंतरण के लिए आए शेर धारकों की संख्या			
3. वर्ष के अंत में शेर धारकों की संख्या	234208000	29	* 2902
कुल			100.0000

* इसमें शामिल किया गया है कि इन शेरों के वोटिंग अधिकारों पर जब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।



10.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

10.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt Ltd as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

A-40 Naraina Indl. Area, Phase-II, Near Batra Banquets, New Delhi-110 028.

Phone : (011) 41410592 to 0594

Fax : (011) 41410591

E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has also established Shares Cell at Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 wherein the shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Shares Cell, 21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax : (011) 25781639, 25812922

E-mail : complianceofficer@psb.org.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)

10.4 Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c :

S. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
1.	No. of shareholders at beginning of the year	74	8543
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	45	5641
3.	No. of shareholders at the end of the year	29	* 2902

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.



10.2 ई-कॉमर्सेटिक वसैसाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) :

ई-कॉमर्सेटिक पद्धतियों का नवसंबंधाओं (ईबीएस) को आभूत कर पत्री यमा है। कौर प्रभाकी खे लजस्कर संबधित है। औसे बैंक के खोखिम में धारियों एंबयज्माकती और केशाणु बसिधे पूर्ण काममें रजमा वने स जकी अहैशवैमल प्रेदशभयक एतर हैं। वौकस्की पोंद्रेदर्शी हवमिस्ती अंरिजर्ध सुव्यवस्थिती कार्यपत्रीक ईबंध्यस्सरर्कनी संतोषजेनाक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां बोर्ड एंडाबरेख प्रबंधनकदिमिस्तीमें पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण एभाज्म सुवंत्र लेखाकर्मियों संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है को परिष्कृत करती है।

10.3

इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों की निवारण

12. निरीक्षण कैंबेंडर
बैंक सुनि चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के अंदर निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। ये समितियां नियमित तौर पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

कार्य हेतु निदेशक मंडल की बैठक बैंक ने मैथर्स लिंक इन्टरनेट इंडिया प्रा लि को अपने रजिस्ट्रार और अंतुस एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा परीक्षा विवरणी 18-05-2012 है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनि चित करना है।

निदेशक सामान्य बैठक की तारीख 23-06-2012 शुनिवार प्रातः 9 बजे
द्वितीय सामान्य बैठक का समय प्रातः 9 बजे
मैथर्स लिंक इन्टरनेट इंडिया प्रा लि.
द्वितीय सामान्य बैठक का स्थान वायु सेना ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010

ए-40, नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, ब्रिजविक एपेक्ट प्लस, प्रेमइ दिल्ली - 110028 25.05.2012 से 28.05.2012
द्वितीय की बैठक 4-11-11 से 5-11-11 16.06.2012 से 23.06.2012
फैक्स: (011) 41410591 18.06.2012 को सांयकाल 5.00 बजे
प्राक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख 02.07.2012 और 03.07.2012
ई-मेल: delhi@linkintime.co.in
लाभांश हेतु वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लस, नई दिल्ली - 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण लेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाप्त हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं

13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शेयरधारिता स्वरूप

शेयर: कक्ष, स्थान तल, 21, राजेंद्र प्लस, नई दिल्ली -110008
दूरभाष: (011) 25782926, 25782930, 25812922 1 183056000 78.16
फैक्स: (011) 25781699, 25782922 11 587447 0.25
ई-मेल: complianceofficer@psb.org.in 24 13298690 5.68
3. वित्तीय संस्थाएं/बैंक (उक्त ई-मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 47(एफ) के अधीन नामित किया गया है) 0 0 0
4. वित्तीय संस्थागत निवेशक 30 7076018 3.02

10.4

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
6.	कॉर्पोरेट निकाय	978	7100789	3.93
7.	वैयक्तिक निवासी	181662	2154143	10.43
8. 1.	वार्ड के आरंभ में शेयर धारकों की संख्या	606	1023627	4.94
9. 2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचित खाते	0	0 45	0.002
10.	संस्थागत निवेशक से अंतरित किया गया	18	330085	0.14
11.3.	समाप्त अंतरण से शेयर धारकों की संख्या	110	141929	0.06

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकार तब तक रोके रहेंगे जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है। 184440 23420890 190.00



11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

12. Financial Calendar

Financial Year 1st April, 2011 to 31st March, 2012	
Board Meeting for considering of Accounts and recommendation of dividend.	Saturday, 05.05.2012
Submission of audited statement of accounts to RBI.	18.05.2012
Date of the 2 nd AGM	Saturday, 23.06.2012
Time of the 2 nd AGM	9.00 A.M.
Venue of the 2 nd AGM	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010
Financial Year	2011-12
Posting of Annual Report	25.05.2012 to 28.05.2012
Book Closure dates	16.06.2012 to 23.06.2012
Last Date for receipt of Proxy Forms	18.06.2012 upto 5.00 P.M.
Probable date of dispatch of warrants for Dividend	02.07.2012 to 03.07.2012
Payment date - Dividend	06.07.2012

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2012

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	183056000	78.16
2.	Mutual Funds/UTI	11	587447	0.25
3.	Financial Institutions / Banks	24	13298690	5.68
4.	Insurance Companies	0	0	0
Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
5.	Foreign Institutional Investors	30	7076018	3.02
6.	Bodies Corporate	978	7100789	3.03
7.	Resident Individuals	181662	21593434	9.22
8.	Non Resident Indians	1606	1023627	0.44
9.	Overseas Corporate Bodies	0	0	0
10.	Trusts	18	330085	0.14
11.	Clearing Members	110	141910	0.06
	Total	184440	234208000	100.00



13.1. फ्लॉटिंग जीवनेस्कीमा निगम (एल.आई.सी.) को अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के उद्योग दिशाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 10320 शेयरों का प्रयोग है जिसमें अधिमान आधार पर लाभांश बँटव है। (बैंक) के विशेष मामलों द्वारा जारी की गई शेयरों को कर्मचारियों को बोनस के तौर पर देना निवास नगरी बनाने के लिए है। प्रेषण के लिए शेयरों को रकम 52,000 इक्विटी, शेयरों के तहत रकम 52,000 प्रतिशत शेयरों को नगरी बनाने के लिए प्रेषण जो शेयरों के प्रबंधन को सौंप दिया है। कोर्स 99,30,30,30,30 प्रबंधन है। अधिमान आधार पर शेयरों को 52,03,20 12 शेयरों को आबंटित किया गया। कि निरीक्षण प्रभावी तथा स्वतंत्र लेखाकर्मियों संस्थाओं द्वारा अधिमान जाती है, को परिलक्षित करती है।

14. 31 मार्च, 2012 को शेयर धारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

12. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	मामलों	मामलों	कुल शेयर	राशि (अंकित मूल्य)	राशि का प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	संख्या	प्रतिशत			
लेखों एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल के बैठक	1726	93.59	10379605	103796050	4.43
शुद्धी-बैंक को लेखों की लेखा परीक्षा का प्रस्तुतिकरण	665	1.62	2476381	24763810	1.06
5001 - 10000 सामान्य बैठक की तारीख	2996	1.77	2262374	22623740	0.97
10001 - 20000 सामान्य बैठक का समय	1177	0.64	1654119	16541190	0.70
20001 - 30000 सामान्य बैठक का समय	299	0.17	794188	7941880	0.34
30001 - 40000 सामान्य बैठक का समय	138	0.07	485825	4858250	0.20
वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	111	0.06	525879	5258790	0.23
शेयरों को लेखों करने की तारीख	10	0.12	1533835	15338350	0.66
शेयरों पर अधिक करने की तारीख	228	0.12	21409579	214095790	5.00
कुल शेयरों के वारंट प्रेषित करने की तारीख	184440	100.00	234208000	2342080000	100.00
लाभांश भुगतान की तारीख				06.07.2012	

15. 31 मार्च, 2012 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

13. 31 मार्च, 2012 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयर	शेयरों की संख्या इक्विटी का प्रतिशत
क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	7416	1186050		0.506
1. 2.	भारत सरकार (प्रवर्तक) अरुणाचल प्रदेश	151	21058	183056000	0.009 78.16
2. 3.	सूच्य अल फंड / यूटीआई असम	609	71958	587447	0.031 0.25
3. 4.	वित्तीय संस्थाएं / बैंक बिहार	1659	182575	13298690	0.078 5.68
4. 5.	छत्तीसगढ़ की संस्थानियां	881	109974	0	0.047 0
5. 6.	दिल्ली संस्थागत निवेशक	7332	188195866	76018	80.354 3.02
6. 7.	गैर-पॉरेट निकाय	213	30749	7100789	0.013 3.03
7. 8.	गुजराती निवासी	35606	181662	282972121593434	1.208 9.22
8. 9.	हजिरी निवासी भारतीय	6065	1606	636482 1023627	0.272 0.44
9. 10.	विदेशी गैर-पॉरेट निकाय	325	0	41639	0.018 0
10. 11.	जम्मू एण्ड कश्मीर	242	18	34834 330085	0.015 0.14
11. 12.	झारखंड	1581	110	173450 141910	0.074 0.06
13.	कुल	8336	184440	1345789	0.575 100.00



13.1. Allotment of Equity Shares to Life Insurance Corporation of India (LIC) on Preferential basis.

As approved by Special Resolution in the EGM of shareholders of the Bank, held on 27.03.2012, 1,11,52,000 equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium of Rs. 75.46 per share aggregating to Rs. 95,30,49,920/- were issued to LIC on preferential allotment basis on 29.03.2012.

14. Distribution of Shareholders - Categorywise as on 31st March 2012

Category	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	Amount(Face Value)	% of Amount
1 - 2500	172610	93.59	10379605	103796050	4.43
2501 - 5000	6651	3.61	2476381	24763810	1.06
5001 - 10000	2996	1.62	2262374	22623740	0.97
10001 - 20000	1177	0.64	1654119	16541190	0.70
20001 - 30000	318	0.17	794188	7941880	0.34
30001 - 40000	138	0.07	485825	4858250	0.20
40001 - 50000	111	0.06	525879	5258790	0.23
50001 - 100000	211	0.12	1533835	15338350	0.66
100001 & Above	228	0.12	214095794	2140957940	91.41
TOTAL	184440	100.00	234208000	2342080000	100.00

15. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2012

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDHRA PRADESH	7416	1186050	0.506
2.	ARUNACHAL PRADESH	151	21058	0.009
3.	ASSAM	609	71958	0.031
4.	BIHAR	1659	182575	0.078
5.	CHATTISGARH	881	109974	0.047
6.	DELHI	17332	188195866	80.354
7.	GOA	213	30749	0.013
8.	GUJARAT	35606	2829721	1.208
9.	HARAYANA	6065	636482	0.272
10.	HIMACHAL PRADESH	325	41639	0.018
11.	JUMMU & KASHMIR	242	34834	0.015
12.	JHARKHAND	1581	173450	0.074
13.	KARNATAKA	8336	1345789	0.575



14.	केरल	1897	342958	0.146
15.	मध्यप्रदेश	4452	545510	0.233
16.	महाराष्ट्र	39747	30039068	12.826
17.	मणिपुर	12	1200	0.001
18.	मेघालय	37	3478	0.001
19.	मिजोरम	1	128	0.000
20.	नागालैंड	11	1490	0.001
21.	उड़ीसा	1072	116642	0.050
22.	पंजाब	5588	955145	0.408
23.	राजस्थान	15294	1216158	0.519
24.	सिक्किम	6	350	0.000
25.	तमिलनाडु	9065	1658590	0.708
26.	त्रिपुरा	16	2540	0.001
27.	उत्तर प्रदेश	8806	1201844	0.513
28.	उत्तराखंड	865	129885	0.055
29.	पश्चिमबंगाल	12806	2023711	0.864
30.	अन्य	4349	1109158	0.474
	कुल	184440	234208000	100.00

16. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत (दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)		
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम(रु.)	सौदों की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	सौदों की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2011	114.95	107.15	3230153	116.00	107.00	707341
मई, 2011	110.90	96.75	2802376	109.90	96.55	667889
जून, 2011	107.50	98.00	1332084	106.20	98.00	620208
जुलाई, 2011	102.50	94.20	1652414	103.70	94.55	402822
अगस्त, 2011	96.10	69.50	2156736	96.30	69.35	594677
सितम्बर, 2011	76.80	63.00	5993481	75.35	65.00	1240836
अक्टूबर, 2011	75.75	64.00	2445787	76.00	64.00	531014
नवम्बर, 2011	79.25	67.10	1945334	79.35	67.00	500807
दिसम्बर, 2011	73.00	58.30	1520971	69.55	56.05	397193
जनवरी, 2012	73.50	58.00	5673560	73.50	58.55	1639108
फरवरी, 2012	94.50	66.60	9322052	94.65	66.90	2558597
मार्च, 2012	84.75	72.10	3225764	84.80	72.10	691028
कुल			41300712			10551520



14.	KERALA	1897	342958	0.146
15.	MADHYA PRADESH	4452	545510	0.233
16.	MAHARASHTRA	39747	30039068	12.826
17.	MANIPUR	12	1200	0.001
18.	MEGHALAYA	37	3478	0.001
19.	MIZORAM	1	128	0.000
20.	NAGALAND	11	1490	0.001
21.	ORISSA	1072	116642	0.050
22.	PUNJAB	5588	955145	0.408
23.	RAJASTHAN	15294	1216158	0.519
24.	SIKKIM	6	350	0.000
25.	TAMIL NADU	9065	1658590	0.708
26.	TRIPURA	16	2540	0.001
27.	UTTAR PRADESH	8806	1201844	0.513
28.	UTTARAKHAND	865	129885	0.055
29.	WEST BENGAL	12806	2023711	0.864
30.	OTHERS	4349	1109158	0.474
	Total	184440	234208000	100.00

16. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2011 to 31.03.2012)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2011	114.95	107.15	3230153	116.00	107.00	707341
MAY 2011	110.90	96.75	2802376	109.90	96.55	667889
JUNE 2011	107.50	98.00	1332084	106.20	98.00	620208
JULY 2011	102.50	94.20	1652414	103.70	94.55	402822
AUG 2011	96.10	69.50	2156736	96.30	69.35	594677
SEPT 2011	76.80	63.00	5993481	75.35	65.00	1240836
OCT 2011	75.75	64.00	2445787	76.00	64.00	531014
NOV 2011	79.25	67.10	1945334	79.35	67.00	500807
DEC 2011	73.00	58.30	1520971	69.55	56.05	397193
JAN 2012	73.50	58.00	5673560	73.50	58.55	1639108
FEB 2012	94.50	66.60	9322052	94.65	66.90	2558597
MARCH 2012	84.75	72.10	3225764	84.80	72.10	691028
TOTAL			41300712			10551520



कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु
Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To : The Members of Punjab & Sind Bank

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2012, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अममार्ह गह्र प्रक्रियामधों और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
For Bhatia & Bhatia

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(अनंत भाटिया)
(Anant Bhatia)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 507832
M. No.507832
एफआरएन: 003202एन
FRN : 003202N

कृते अलका एण्ड सुनील
For Alka & Sunil

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(सुनील गुप्ता)
(Sunil Gupta)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 08411
M. No. 084119
एफआरएन : 006739एन
FRN : 006739N

कृते जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी
For G.S. Goel & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(जी.एस.गोयल)
(G.S.Goel)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 014428
M. No. 014428
एफआरएन: 001415एन
FRN : 001415N

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी
For S.B.G. & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(एस.बी.गुप्ता)
(S.B. Gupta)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 089415
M. No. 089415
एफआरएन: 001818एन
FRN : 001818N

कृते ओ.पी.तुलसियान एण्ड कंपनी
For O.P.Tulsyan & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(राकेश अग्रवाल)
(Rakesh Aggarwal)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 081808
M. No. 081808
एफआरएन: 500028एन
FRN : 500028N

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी
For R.M.Lall & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(आर.पी.तिवारी)
(R.P. Tiwari)
पार्टनर / Partner
एम.नं. 071448
M. No. 071448
एफआरएन: 000932सी
FRN : 000932C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.05.2012



निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

विषय: वर्ष 2011-12 हेतु धारा 49(I) (डी) के अनुसार घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49(1) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.05.2012

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi**

Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(I)(D) 2011-12

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2012 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi
Dated: 05.05.2012

(D.P. Singh)
Chairman & Managing Director



निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2011-12 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- क. हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयुक्त अर्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 - ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन/आंकलन प्रभावशाली ढंग से किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंधित कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.05.2012

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi**

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2011-12

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2012 and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit committee:
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

(D.P. Singh)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 05.05.2012



तुलन-पत्र
एवं
लाभ-हानि लेखा
Balance Sheet
&
Profit & Loss Account
2011 - 2012



31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2012

(000 छोड़कर) / (000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
पूंजी तथा देयताएं CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची/ SCHEDULE	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित) /[Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित) /[Audited]
पूंजी/Capital	1	4342080	4230560
आरक्षित निधि एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	2	38147399	33803287
जमाराशियां/Deposits	3	631239786	597231938
उधार/Borrowings	4	33823282	28858875
अन्य देयताएं तथा प्रावधान/Other liabilities & Provisions	5	21500104	21376752
जोड़/ TOTAL		729052651	685501412
आस्तियां/ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष/Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	36401526	45798002
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन/Balances with banks & money at call and short notice	7	6752657	3166703
निवेश/Investments	8	200641305	186436512
अग्रिम/Advances	9	461514075	426378496
स्थिर आस्तियां/Fixed Assets	10	8083838	8162491
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	15659250	15559208
जोड़/ TOTAL		729052651	685501412
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	105279834	82364269
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		7943301	9354076
उल्लेखनीय लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं। Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			



31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012

(000 छोड़कर)/(000'S OMITTED)

	अनुसूची/ SCHEDULE	रूपए/Rs. 31.03.2012 को समाप्त वर्ष/ /Year Ended 31.03.12	रूपए/Rs. 31.03.2011 को समाप्त वर्ष /Year Ended 31.03.11
I आय/INCOME			
अर्जित ब्याज/Interest earned	13	64745004	49325080
अन्य आय/Other income	14	4174641	4370855
जोड़/ TOTAL		68919645	53695935
II व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	49734403	33720602
परिचालन व्यय/Operating expenses	16	11585274	9840363
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions and contingencies		3087116	4873239
जोड़/ TOTAL		64406793	48434204
III लाभ/हानि/PROFIT/LOSS			
वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि /Net Profit/ Loss (-) for the period		4512852	5261731
अग्रणीत लाभ/हानि (-) /Profit/ Loss(-) brought forward		11728782	8788515
आहरण: सामान्य आरक्षितियां/Withdrawal from: General Reserve			10
जोड़/ TOTAL		16241634	14050256
IV विनियोजन/APPROPRIATIONS			
विनियोग को अंतरण/ सांविधिक आरक्षित निधियां/ Transfer to: Statutory Reserve		1130000	1320000
पूंजी आरक्षित निधि (निवेश)/Capital Reserve [Investment]		48175	146547
सामान्य आरक्षितियां/General Reserve		0	10510
विशेष आरक्षित निधियां धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत/ Special Reserve u/s 36(1)(viii)		75411	166789
प्रस्तावित लाभांश: /Proposed Dividend: पीएनसीपीएस/PNCPS		190000	135000
ईक्विटी/Equity		468416	446112
लाभांश वितरण कर/Dividend Distribution Tax		104567	96516
शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया /Balance carried over to Balance Sheet		14225065	11728782
जोड़/ TOTAL		16241634	14050256
मूल तथा तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)/Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		19.24	26.40



(000 छोडकर)/(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनु-सूची/ SCHE DULE		
उल्लेखनीय लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं। Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

डी.पी. सिंह
D.P.Singh
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Mg.Director
करनपाल सिंह सेखों
Karanpal Singh Sekhon
निदेशक
Director
एस.पी.एस. विर्क
S.P.S.Virk
निदेशक
Director
डी.डी. नाग
D.D.Nag
स्थानापन्न महाप्रबंधक
Offg.General Manager

पी.के. आनन्द
P.K.Anand
कार्यकारी निदेशक
Executive Director
सुरेश ठाकुर
Suresh Thakur
निदेशक
Director
जी.एस. बिन्द्रा
G.S.Bindra
मुख्य महा प्रबंधक
Chief General Manager
एस.पी.एस. कोहली
S.P.S.Kohli
स्थानापन्न महाप्रबंधक
Offg.General Manager

ए. भट्टाचार्य
A.Bhattacharya
निदेशक
Director
एस.के. अरोड़ा
S.K.Arora
निदेशक
Director
विजय श्रीवास्तव
Vijay Srivastava
महा प्रबंधक
General Manager
ए.पी.एस. तेजी
A.P.S. Teji
उप महाप्रबंधक
Dy.General Manager

एस.पी. बबुता
S.P.Babuta
निदेशक
Director
जी.एस. सचदेवा
G.S.Sachdeva
महा प्रबंधक
General Manager
वी.के. मेहरोत्रा
V.K.Mehrotra
मुख्य प्रबंधक
Chief Manager

एन. राजेन्द्रन
N.Rajendran
निदेशक
Director

New Delhi
Dated : 05.05.2012

**कृते भाटिया एण्ड भाटिया
For Bhatia & Bhatia**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(अनंत भाटिया)
(Anant Bhatia)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 507832
एफआरएन: 003202एन
FRN : 003202N

**कृते अलका एण्ड सुनील
For Alka & Sunil**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(सुनील गुप्ता)
(Sunil Gupta)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 084119
एफआरएन : 006739एन
FRN : 006739N

**कृते जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी
For G.S. Goel & Co.**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(जी.एस.गोयल)
(G.S.Goel)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 014428
एफआरएन: 001415एन
FRN : 001415N

**कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी
For S.B.G. & Co.**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(एस.बी.गुप्ता)
(S.B. Gupta)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 089415
एफआरएन: 001818एन
FRN : 001818N

**कृते ओ.पी.तुलसियान एण्ड कंपनी
For O.P.Tulsyan & Co.**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(राकेश अग्रवाल)
(Rakesh Agarwal)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 081808
एफआरएन: 500028एन
FRN : 500028N

**कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी
For R.M.Lall & Co.**

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(आर.पी.तिवारी)
(R.P. Tiwari)
पार्टनर/ Partner
एम.नं./ M. No. 071448
एफआरएन: 000932एन
FRN : 000932C



(000 छोडकर) / (000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 1 – पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
i)	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital ईक्वटी शेयर पूंजी / Equity Share Capital प्रत्येक रु 10६ के 75,00,00,000 शेयर/ 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
ii)	अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital बेमियादी गैर संचयी (पी.एन.सी.पी.एस.) /(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) प्रत्येक रु 10६ के 225,00,00,000 शेयर/ 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	निर्गम अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
i)	ईक्वटी शेयर पूंजी / Equity Share Capital प्रत्येक रु 10६ के 23,42,08,000 शेयर पिछले वर्ष 22,30,56,000) खजिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु 10६ के 18,30,56,000 (पिछले वर्ष 18,30,56,000) सम्मिलित हैं। / 23,42,08,000 (Previous Year 22,30,56,000) shares of Rs.10/- each [including 18,30,56,000 (Previous Year 18,30,56,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	2342080	2230560
ii)	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर संचयी (पी.एन.सी. पी.एस.) केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10/- के 20,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 20,00,00,000) ½ Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 20,00,00,000 (Previous Year 20,00,00,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government	2000000	2000000
	योग/TOTAL [I+II]	4342080	4230560



		(000 छोड़कर) / (000'S OMITTED)	
		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष / SCHEDULE 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित) / [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित) / [Audited]
I.	सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves		
	अथशेष / Opening Balance	6279406	4959406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1130000	1320000
	उप-योग / Sub Total I	7409406	6279406
II.	पूंजी आरक्षित निधि – स्थायी आस्तियां / Capital Reserves:		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / a>. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	अथशेष / Opening Balance	7539695	4862384
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	0	2803629
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Less: Deduction during the year	-244624	-126318
	उप-योग II.क / Sub Total II.a	7295071	7539695
	ख. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / b>. Capital Reserve [Investments]		
	अथशेष / Opening Balance	2462544	2315997
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	48175	146547
	उप-योग II.ख / Sub-Total II.b	2510719	2462544
III.	शेयर प्रीमियम/Share Premium:		
	अथशेष / Opening Balance	4216390	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	841530	4308200
	सार्वजनिक निर्गम व्यय / Less: Share Issue Expenses	-2663	-91810
	उप-योग III / Sub-Total III	5055257	4216390
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां/Revenue & Other Reserves		
	क) सामान्य आरक्षित / a). General Reserves		
	अथ शेष / Opening Balance	1089107	1078607
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	0	10510
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Less: Deduction during the year	0	-10
	उप-योग IV क / Sub-Total IV.a	1089107	1089107
	ख) राजस्व आरक्षित निधि : / b). Revenue Reserve:		
	अथशेष / Opening Balance	105700	105700
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	0	0
	उप-योग IV ख / Sub-Total IV.b	105700	105700
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) / c). Special Reserve u/s 36(i)(viii):		
	अथशेष / Opening Balance	381663	214874
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	75411	166789
	उप-योग IV ग / Sub-Total IV.c	457074	381663



V.	लाभ-हानि खाते में शेष /Balance in Profit & Loss Account	14225065	11728782
	कुल योग /Total [I to V]	38147399	33803287

(000 छोड़कर)/(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 3-उपरोक्त जमा /SCHEDULE 3 DEPOSITS	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
क)	I. मांग जमा /Demand Deposits		
A	i. बैंकों से /From Banks	80842	411169
	i. अन्य से /From others	34800674	34236763
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ /Savings Bank Deposits	116144869	108387688
	III. लक्षित लक्षित जमा /Term Deposits		
	i. बैंकों से /From Banks	47662054	60676255
	ii. अन्य से /From others	432551347	393520063
	जोड़+ /TOTAL [I+II+III]	631239786	597231938
ख)	भारत में शाखाओं की जमा राशियाँ /Deposits of branches in India	631239786	597231938
B			
	अनुसूची 4-उधार /SCHEDULE 4 BORROWINGS		
	I. भारत में उधार /Borrowings in India		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India	0	0
	ii) अन्य बैंक /Other Banks	12982940	11989257
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण /Other institutions & agencies	1707967	1500693
	iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखित (आईपीडीआई) / Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1600000	1600000
	v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) /Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS]	2000000	2000000
	vi) गौण ऋण /Subordinated Debt	13650000	11100000
	II. भारत से बाहर उधार /Borrowings outside India	1882375	668925
	जोड़ /TOTAL [I & II]	33823282	28858875
	उपरोक्त जोड़ I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार /Secured borrowings Included in I & II above	NIL	NIL
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान /SCHEDULE 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
	I. देय बिल /Bills Payable	1991144	2768970
	II. अंतः कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-office adjustments [net]	795073	0
	III. प्रोदभूत ब्याज /Interest accrued	5531873	3701641



IV. स्थगित कर देयता /Deferred Tax Liability	1136036	1031077
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) /Others (including provisions)	12045978	13875064
जोड़ /TOTAL	21500104	21376752
अनुसूची 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष / SCHEDULE 6 CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) / Cash in hand [including foreign currency notes]	1560214	1354137
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष /Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में /in Current Account	34841312	44443865
ii) अन्य खातों में /in Other Account		0
जोड़ (I तथा II) /TOTAL [I & II]	36401526	45798002

(000 को छोड़कर) / (000'S OMITTED)

	रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
अनुसूची 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE 7 BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
I. भारत में /In India		
i) बैंकों में शेष /Balance with banks		
क) चालू खातों में / a) in Current Accounts	1131180	1047993
ख) अन्य जमा खातों में /b) in other Deposit Accounts	1500000	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at call & Short notice		
क) बैंकों से /a) with banks	3000000	0
ख) अन्य संस्थाओं से /b) with other institutions	0	0
उप योग- (I) SUB-TOTAL [I]	5631180	1047993
II. भारत के बाहर /Outside India		
i) चालू खातों में /In Current Accounts	1121477	1286585
ii) अन्य जमा खातों में /In Other Deposit Accounts	0	832125
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at call & Short notice	0	0
उप-योग (II) /SUB-TOTAL [II]	1121477	2118710
जोड़ (I तथा II) TOTAL [I+II]	6752657	3166703



अनुसूची 8 – निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I. भारत में निवेश /Investments in India in			
i) सरकारी प्रतिभूतियां** /Government Securities **	170703101	162137522	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां /Other approved securities	284170	593628	1116845
iii) शेयर्स /Shares	1581819		
iv) डिबैंचर तथा बांड्स /Debentures & Bonds	12077958	10984327	
v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान /Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537	
vi) अन्य /Others:			
क) वाणिज्यिक पत्र/प्रतिभूत रसीदें/सीडी/आर.आई.डी.एफ. /a) Commercial Paper/CD/Securitized Receipts/ RIDF	15791238	11373583	
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड /b) Units of UTI, other MF	196482	224070	
उप-योग (I) /SUB-TOTAL [I]	200641305	186436512	
II. भारत से बाहर निवेश /Investments outside India			
	शून्य /NIL	शून्य /NIL	
कुल योग (I+II) /TOTAL [I + II]	200641305	186436512	
कुल मूल्य /Gross Value	201574524	187012802	
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-) /Provision for Depreciation [-]	933219	576290	
निवल निवेश /Net Investments	200641305	186436512	
** इनमें रु. 1481.60 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य रु. 1504.40 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 1292.19 करोड़ थी (अंकित मूल्य रु. 1315.45 करोड़) /			
** Includes encumbered securities of Rs.1481.60 crore [Face Value Rs.1504.40 crore] previous year Rs.1292.19 crore [Face Value Rs.1315.45 crore]			

(000 को छोड़कर) / (000'S OMITTED)

अनुसूची 9 अग्रिम / SCHEDULE 9 ADVANCES			
		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
क) A	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल /Bills purchased & discounted	8732226	5892040
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार / Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	135546444	115934630
	iii) मीयादी ऋण /Term Loans	317235405	304551826
	जोड़ /Total	461514075	426378496



ख) B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित) / Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	333842594	278467816
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित /Covered by Bank/ Government Guarantees	41292398	27232258
	iii) गैर जमानती /Unsecured	86379083	120678422
जोड़ /Total		461514075	426378496
ग) C	भारत में अग्रिम /ADVANCES IN INDIA		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र /Priority Sector	129260940	131410168
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	106727691	119607720
	iii) बैंक /Banks	7303662	12002199
	iv) अन्य /Others	218221782	163358409
जोड़ /Total		461514075	426378496
अनुसूची 10 स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 FIXED ASSETS			
I. परिसर /Premises			
परिसर का मूल्य (अथ शेष) /Cost [Opening Balance]		286033	277595
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन /Appreciation in cost on account of revaluation		7666013	5375233
उप-योग /Sub-Total		7952046	5652828
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year			
वास्तविक लागत पर /Original Cost		128	19410
पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation Cost		0	7666013
वर्ष के दौरान कटौतियां /Deductions during the year on			
वास्तविक लागत पर /Original Cost		0	-10972
पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation Cost		0	-5375233
घटाएं- अधिकतम दिनांक को मूल्यहास /Less Depreciation to date on			
वास्तविक लागत पर /Original cost		-137213	-129494
पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation cost		-370941	-126318
जोड़-I /Total-I		7444020	7696234
II. अन्य स्थायी आस्तियां /Other Fixed Assets			
(इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) /(including Furniture & Fixtures)			
मूल्य (अथ शेष) /Cost [Opening Balance]		1785413	1601960
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year		362455	234006
वर्ष के दौरान कटौतियां /Deductions during the year		-28453	-50553
अद्यतन मूल्यहास /Depreciation to date		-1479597	-1319156
जोड़ II /Total II		639818	466257
कुल जोड़ (I & II) /TOTAL I & II		8083838	8162491



	रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (कुल) /Inter-office adjustments [net]	0	152540
II. प्रोदभूत ब्याज /Interest accrued	3467965	3056760
III. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3488520	2807211
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प /Stationery & Stamps	26656	22164
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां/ Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. अन्य /Others	8676109	9520533
जोड़ /TOTAL	15659250	15559208
अनुसूची- 12 – आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है /Claims against the bank not acknowledged as debts	132838	109012
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता /Liability for partly paid investments	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	75739978	56905354
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां / Guarantees given on behalf of Constituents		
क) भारत में / a) In India	18096526	15669079
ख) भारत के बाहर / b) Outside India	0	0
V. स्वीकृतियां, पृष्ठाकन तथा अन्य बाध्यताएं /Acceptances, Endorsements and other obligations	11310454	9680824
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है /Other items for which the bank is contingently liable	38	0
जोड़ /TOTAL	105279834	82364269
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.12	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.11
I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल Interest/discount on advances/ bills	49524345	36057108
II. निवेशों पर आय Income on investments	14696506	12785588
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज /Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	306083	163735
IV. अन्य /Others	218070	318649
जोड़ /TOTAL	64745004	49325080



अनुसूची 14 – अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.12	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.11
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange and brokerage	746565	640613
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) Profit on sale of Investments [net]	547837	751621
III. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) / Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	206	1092
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध) /Profit on exchange transactions [net]	420602	460887
V. विविध आय /Miscellaneous Income	2214807	2390324
VI. पुनर्मूल्यन आरक्षित खातों से अंतरण /Transfer from Revaluation Reserve Account	244624	126318
जोड़ /TOTAL	4174641	4370855

(000 को छोड़कर) //(000'S OMITTED)

	रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
अनुसूची 15 – अपचित ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.12	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.11
I. जमा राशियों पर ब्याज /Interest on deposits	46752736	31222645
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज /Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	1227346	944435
III. अन्य /Others	1754321	1553522
जोड़ /TOTAL	49734403	33720602



अनुसूची 16 – परिचालन व्यय / SCHEDULE 16-OPERATING EXPENSES	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.11 (लेखा परीक्षित)/ [Audited]
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान /Payments to and provisions for employees	8324253	7558518
II. किराया, कर और रोशनी /Rent, taxes and lighting	538999	423412
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री /Printing and stationery	83238	77993
IV. विज्ञापन और प्रचार /Advertisement & publicity	68755	37950
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास /Depreciation on Bank's property	438309	278454
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय /Directors' fees, allowances and expenses	1553	3079
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) /Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	66528	68036
VIII. विधि प्रभार /Law Charges	85373	97630
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि /Postages, Telegrams, Telephones etc.	83700	63908
X. मरम्मत और अनुरक्षण /Repairs & maintenance	113037	94945
XI. बीमा /Insurance	561436	490913
XII. अन्य व्यय /Other expenditure	1220093	645525
जोड़ /TOTAL	11585274	9840363



अनुसूची – 17
प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फ़ैडआई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फ़ैडआई के दिशा-निर्देशों तथा एएस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख पत्र का मूल्यांकन फ़ैडआई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय आनुमानिक दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों / दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:
 - i. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - iii. शेयर (अंश)
 - iv. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बाण्ड
 - v. सहायक ईकाइयां / संयुक्त उपक्रम तथा
 - vi. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, को 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णयता किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां जिन्हें 'परिपक्वता तक रखना है' का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।



SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
 - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
 - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
 - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments- Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually



- 3.5 'बिक्री हेतु उपलब्ध' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी-वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यहास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां" श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को "बाजार दर" निर्धारण हेतु स्टाक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव / दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई/ फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर्स	नवीनतम तुलन -पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य के आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्युचुअल फंड यूनिट्स	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ङ.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनःपूँजीगत बाण्ड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान	शुद्ध लागत पर।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली / कमीशन / स्टॉप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है।
- प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

- 3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ/ हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।
- 3.11 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

4. अग्रिम

- 4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।



- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities:	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

- 3.9 In determining acquisition cost of investments:
- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
 - Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
 - Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

4. Advances

- 4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. However, the Bank has made higher provisions for sub-standard and doubtful category as follows:

Revised Rates of Provisioning for Non-Performing Assets w.e.f 18.05.2011 are as under:



आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान - वर्तमान	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान - संशोधित	बैंक के प्रावधान मानदंड - वर्तमान	बैंक के प्रावधान मानदंड - संशोधित
अवमानक	आरक्षित ऋणों का 10%, गैर आरक्षित ऋणों* का 20%, आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर-जमानती ऋणों* का 15%	आरक्षित ऋणों का 15%, गैर-आरक्षित ऋणों* का 25%, आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों* का 20%	आरक्षित ऋणों का 20%, गैर आरक्षित ऋणों का 20%, गैर आरक्षित ऋणों का 20%, आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते का	आरक्षित ऋणों का 20%, गैर आरक्षित ऋणों* का 25%, आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों* का 20%
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 20% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 30% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 30% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 30% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 50% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 50% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100%; गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%

* गैर जमानती ऋणों को ऐसे ऋण परिभाषित किया गया है जहां बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकक/भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य ऋण से 10 प्रतिशत से अधिक कम नहीं है।

संशोधित प्रावधानानुसार नियमों का नई चूकों पर भावी प्रभाव होगा, (अर्थात् दिनांक 01.01.2011 या इसके बाद जो खाते एनपीए श्रेणी में जाएंगे) और वर्तमान एनपीए की स्थिति खराब होगी। तथापि, 31.12.2010 को वर्तमान एनपीए खातों में पहले से किए गए प्रावधानों को कमध्रतयावर्तित नहीं किया जाएगा।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान / तकनीकी बड़े खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी / ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन / तकनीकी रूप से बड़े खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्वों तथा प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की शुद्ध मूल्य पुनः ब्यक्त/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

5. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

7.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है :

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।



Category of Assets	Provisions prescribed by RBI (EXISTING)	Provisions prescribed by RBI (REVISED)	Bank's Provisions norms (EXISTING)	Bank's Provision norms (REVISED)
Sub-Standard	10% on Secured Exposure. 20% on Unsecured Exposure* 15% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	20% on Secured Exposure. 20% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	20% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available
Doubtful-I	20% on Secured 100% on Unsecured	25% on Secured 100% on Unsecured	30% on Secured 100% on Unsecured	30% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	30% on Secured 100% on Unsecured	40% on Secured 100% on Unsecured	50% on Secured 100% on Unsecured	50% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured	100% on Secured 100% on Unsecured	100% on Secured 100% on Unsecured	100% on Secured 100% on Unsecured

*/ Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

The revised provisioning norms will have prospective effect on the fresh slippage (i.e. accounts which slip into NPA category on or after 01.01.2011) and further deterioration in the existing NPAs. However, the provisions already made in any existing NPA account as on 31.12.2010 will not be reduced/ reversed.

- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.
- 4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI

5. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -
 - 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
 - 7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.



- 7.1.3 जहां कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहां परिसरों का मूल्य समिश्र मूल्य पर लिया गया है।
- 7.2 वर्ष के दौरान बेची गई / निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व मान्यता:

- 8.1 जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 8.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 8.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लाकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसोसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनियों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्त आधार पर लिया गया है।
- 8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.8 टीयर-II पूंजी में उन्नयन के कारण बाँड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ:

- 9.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 9.2 बीमांकिक पद्धतियों के आधार पर पेंशन फंड तथा बीमारी की छुट्टी से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा-मानक ; 15 ए.एस.द्ध के अनुसार वर्ष 2007-08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी.बी.पी.संख्या 271/21.01.002/2005-06 दिनांक 23.08.05 द्वारा इसे 10 वर्षों से शेष 7 वर्षों में समाप्त किया जाना अनुमोदित है।
- 9.3 वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन की स्वीकृति नहीं दी थीए हेतु पेंशन विकल्प के पुनः खोलने पर अतिरिक्त देयता तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरीए 2011 संण डीबीओडी नं०बीपीएनबीसीए80६21०04०018६2010-11 की शर्तों के अनुसारए 'ग्रेच्युटी एक्टए 1972 का भुगतान' में संशोधनए ग्रेच्युटी की सीमा रूप 10 लाखए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पांच वर्ष की अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होगीए परिशोधित कर दी है। अग्रेशित गैर.परिशोधित व्यय में निकाले गएध्सेवानिवृत्त कार्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नहीं है।
- 9.4 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आय पर कर

- 10.1 चालू आय कर को लागू कर.दरों तथा विधिक निर्णयों /परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 10.2 एएस 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर.परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।



7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8 Revenue Recognition

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 Staff Retirement Benefits

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 Transitional liability relating to Pension Fund and Sick Leave determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years commencing from 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS-15) as against remaining seven years out of ten years as approved by Reserve Bank of India vide its letter no. DBOD.BP.No. 271/21.01.002/2005-06 dated 23.08.2005.

9.3 The additional liability on account of re-opening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as amendment in the 'Payment of Gratuity Act, 1972' enhancing the gratuity limit to Rs.10 lacs as per Actuarial Valuation is amortized over a period of five years commencing from the FY 2010-11 in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011. The unamortized expenditure carried forward does not include any amount relating to separated/retired employees.

9.4 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10 Taxes on Income

10.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

10.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.



अनुसूची-18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन
- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 29.02.2012 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 बैंकों, नोस्ट्रो, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंट वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उच्चत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है।
प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30.9.2011 की अवधि तक तथा 31.3.2012 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक कभी अवधि कभी निम्न नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.40 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.22 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 3.39 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 2.89 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलगा कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खातों में रखना माया है।
2. रु. 3.88 करोड़ की वास्तविक लागत की 5 संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 5 संपत्तियां 3.88 करोड़ की थी)

3. पूंजी

वर्तमान वर्ष के दौरान सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार भारतीय बैंक/एनबीएफएफ से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने रु. 10/- प्रति शेयर के हिसाब से 11,111,522,000 इक्विटी शेयरों का अक्षतन जीवन काल परेशान को रु. 85.46 प्रति शेयर के अनुसार अधिमान शेयर के आधार पर आवंटित किए। तदनुसार बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी रु. 11.15 करोड़ से बढ़ी और अब यह रु. 234.21 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम रु.83.89 करोड़ से बढ़कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु. 84.15 करोड़ घटा शेयर जारी व्यय रु.0.26 करोड़) रु. 505.53 करोड़ हो गया है।

(रु करोड़ों में)

मदें		2011-12	2010-11
(i)	सी आर ए आर (%) (बासल-I)	12.81%	11.94%
(ii)	सी आर ए आर- टियर- पूंजी (%) (बासल-1)	8.26%	7.70%
(iii)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी(%) (बासल-1)	4.55%	4.24%
(iv)	सी आर ए आर (%) (बासल-II)*	13.26%	12.94%
(v)	सी आर ए आर-टियर-I पूंजी (%) (बासल-II)*	8.55%	8.35%
(vi)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी (%) (बासल II)*	4.71%	4.59%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	78.16%	82.07%
(viii)	आईपीडीआई के निर्गम से प्राप्त राशि	160.00	160.00
(ix)	अपर टियर II लिखित से प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
(x)	टियर-II की पूंजी के अंतर्गत वार्णित गौण राशि	1365.00	1110.00
(xi)	इनमें से टियर-II के लिए पात्र राशि	1311.00	1049.00



Schedule - 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 29.02.2012 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, NEFT/RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2011 and remaining outstanding as on 31.03.2012 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.
- 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs.3.40 crore (previous year Rs 3.22 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs.1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs. 3.39 crore (previous year Rs.2.89 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

- 2 Legal formalities are yet to be completed in respect of 5 Bank's properties having original cost of Rs. 3.88 crore as on 31.03.2012 (Previous year 5 properties costing Rs.3.88 crore).

3. Capital

During the year, Bank has issued 1,11,52,000 Equity Shares of Rs.10/ each to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.85.46 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.11.15 crore to Rs.234.21 crore and Share Premium has increased by Rs.83.89 crore (Share Premium Received Rs.84.15 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.26 crore) to Rs.505.53 crore.

(Rupees. in crore)

Items		2011-12	2010-11
(i)	CRAR (%) (Basel-I)	12.81%	11.94%
(ii)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-I)	8.26%	7.70%
(iii)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-I)	4.55%	4.24%
(iv)	CRAR (%) (Basel-II)	13.26%	12.94%
(v)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-II)	8.55%	8.35%
(vi)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-II)	4.71%	4.59%
(vii)	Percentage of the shareholding of the Government of India	78.16%	82.07%
(viii)	Amount raised by issue of IPDI	160.00	160.00
(ix)	Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments	Nil	Nil
(x)	Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	1365.00	1110.00
(xi)	Out of which eligible for Tier II	1311.00	1049.00



4. निवेश

(रु करोड़ों में)

		मर्दे	2011-12	2010-11
4.1	निवेशों का मूल्य			
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
		(क) भारत में	20157.45	18701.28
		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
		(क) भारत में	93.32	57.62
		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
		(क) भारत में	20064.13	18643.66
		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)			
	(i)	अथ शेष	57.62	99.82
	(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35.70	34.49
	(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन		76.69
	(iv)	शेष	93.32	57.62

4.2 पुनः खरीदधुनः प्रतिवर्तित लेनदेन

4.2.1 पुनः खरीदधुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (सरकारी प्रतिभूतियां)

(रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	शेष 31.03.2012
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	500.00	1300.00	112.60	शून्य
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

(रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	शेष 31.03.2012
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

विवरण	2011-12
(i) निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य



4. Investments

(Rupees. in crore)

Items		2011-12	2010-11
4.1 Value of Investments			
(1)	(i)	Gross Value of Investments	
	(a)	In India	20157.45
	(b)	Outside India	18701.28
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)	
	(a)	In India	93.32
	(b)	Outside India	57.62
	(iii)	Net Value of Investments	
	(a)	In India	20064.13
	(b)	Outside India	18643.66
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)		
	(i)	Opening balance	57.62
	(ii)	Add: Provisions made during the year	99.82
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	35.70
	(iv)	Closing balance	76.69
			93.32
			57.62

4.2 Repo / Reverse Repo Transactions

4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees. in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2012
Securities sold under Repos	500.00	1300.00	112.60	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

(Rupees. in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2012
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2011-12
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil



4.4 गैर.सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची रु 31.03.2012 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु करोड़ों में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
i.	सार्वजनिक उपक्रम	351.43	318.05	शून्य	15.00	15.00
ii.	वित्तीय संस्थान	1011.83	907.23	शून्य	शून्य	50.59
iii.	बैंक	984.44	972.79	शून्य	शून्य	शून्य
iv	निजी कंपनी	645.32	619.92	शून्य	1.03	1.03
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
vi.	अन्य	24.77	0-13	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
vii.	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	53.04		शून्य		
	कुल	3018.44		शून्य		

4.5 अनुपयोज्य और गैर.सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
अथ शेष	25.03	25.03
वर्षा के दौरान प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य
वर्षा के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य
इति शेष	25.03	25.03
कुल प्रावधान	25.03	25.03

4.6 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेनदेन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियां) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः पराक्रमित निवेश

विवरण	2011-12	2010-11
मानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने पूर्व प्रावधानों पर रु. 35.86 करोड़ के मूल्यहास का प्रावधान करने के बाद रु. 845.72 करोड़ (अंकित मूल्य) को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' शीर्ष से 'परिपक्वता तक रखने' के शीर्ष में अंतरित किया है।



4.4 **Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2012**

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
i.	PSUs	351.43	318.05	NIL	15.00	15.00
ii.	FIs	1011.83	907.23	NIL	NIL	50.59
iii.	Banks	984.44	972.79	NIL	NIL	NIL
iv.	Private Corporate	645.32	619.92	NIL	1.03	1.03
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	NIL	N.A.	N.A.
vi.	Others	24.77	0.13	NIL	N.A.	N.A.
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	53.04				
	Total	3018.44		NIL		

4.5 **Movement of Non Performing Non SLR Investments**

(Rupees in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening balance	25.03	25.03
Additions during the year	Nil	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing balance	25.03	25.03
Total Provisions held	25.03	25.03

4.6 **Derivatives**

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2011-12. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 **Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 845.72 crore (face value) from "Available for Sale" to "Held till Maturity" after providing depreciation of Rs. 35.86 crore to the provisions already held by the Bank.



4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एनपीए प्रवर्ग को / से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम प्रवर्ग में रखे गए निवेशों के बड़े मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

4.10 बैंक द्वारा आयातित स्वर्ण सिक्कों को प्रेषण के आधार पर बेचा जा रहा है और प्राप्त आय को विविध आय शीर्ष में रखा जा रहा है।

5.1	आस्तियों का वर्गीकरण	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा (रु करोड़ों में)
(i)	i. सर्वव्ययजनिक उपक्रम	351.43	318.05	शून्य	2011-12: 20	2010-11: 0.00
(ii)	ii. शुद्ध आस्तियों का अनुपात (पीसीआर) (%)	1011.83	907.23	शून्य	1.19	0.56
(iii)	iii. प्रावधानों का अनुपात (पीसीआर) (%)	984.44	972.79	शून्य	64.15	81.82
(iv)	iv. सकल आस्तियों का घटा-बढ़	645.32	619.92	शून्य	1.03	1.03
	v. (क) सहायक शेषयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	424.28	206.48
	vi. (ख) अन्य वर्ष के दौरान परिवर्धन	24.77	0-13	शून्य	550.74	383.45
	vii. (ग) मूल्य ह्रास के दौरान कमी	53.04		शून्य	211.58	165.32
	(घ) प्रावधान (एनपीए सहित) इति शेष	3018.44		शून्य	763.44	424.28

4.5 अनुपयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव वर्ष के दौरान परिवर्धन

विवरण	वर्ष के दौरान कमी	2011-12	2010-11
(i) अर्थ शेष इति शेष		25.03	25.03
(ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन		शून्य	शून्य
(iii) वर्ष के दौरान अर्थ शेष		शून्य	शून्य
(iv) इति शेष जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान		25.03	25.03
(v) कुल प्रावधान घटा: अधिक किए प्रावधानों को बड़े खाते डालना/पूनांकन		25.03	25.03
(घ) इति शेष		206.44	182.74

4.6 आर.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली वर्ष 2011-12 को 2 अक्टूबर 2011 को प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण के आधार पर बरे इति शेषों में समाहित हैं (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदालत बतली/विचाराधीन व्यापार व्याज दर व्युत्पत्तियों) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः पराक्रमित निवेश

विवरण	मर्दे	सीडीआर के अंतर्गत			अन्य		
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
(i)	पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः पराक्रमित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए	21	3	248	273	477	3627
	अनुसूचित पुनः संरचना	74.10	82.19	213.93	264.46	1824.93	899.52
	पराक्रमित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए	8.13	4.15	1.70	2.57	0.95	5.21
(ii)	कुल आस्तियों की राशि में पुनः संरचना	0	0	0	0	0	शून्य
	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए परिसंरचित किए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा पूर्व प्रावधानों पर रु. 35.86 करोड़ के मूल्यह्रास का प्रावधान करने के बाद



- 4.9 The value of sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.
- 4.10 Imported gold coins are being sold by the Bank on consignment basis and the income whereof is being booked under miscellaneous income.

5. Asset Quality

5.1 Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items		2011-12	2010-11
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.19	0.56
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	64.15	81.82
(iii)	Movement of Gross NPAs		
(a)	Opening Balance	424.28	206.15
(b)	Additions during the year	550.74	383.45
(c)	Reductions during the year	211.58	165.32
(d)	Closing balance	763.44	424.28
(iv)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	237.94	116.63
(b)	Additions during the year	430.09	248.49
(c)	Reductions during the year	120.47	127.18
(d)	Closing balance	547.56	237.94
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening Balance	182.74	86.20
(b)	Add: provisions made during the year	134.94	179.54
(c)	Less: write off, write back of excess provisions	111.24	83.00
(d)	Closing balance	206.44	182.74

- 5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Details of Accounts Restructured

(Rupees in crore)

Item			Under CDR		SME		Others	
			2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
(i)	Standard advances restructured, rescheduled, renegotiated	No. of Borrowers	21	3	248	273	477	627
		Amount Outstanding	174.10	82.19	213.93	264.46	1824.93	890.52
		Sacrifice (diminution in the fair value)	8.13	4.15	1.70	2.57	0.95	5.31
(ii)	Sub-standard advances restructured, rescheduled, renegotiated	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(iii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए अशोध्य अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए कुल अग्रिम (i) +(ii) +(iii)	ऋणियों की संख्या	21	3	248	273	477	627
		बकाया राशि	174.10	82.19	213.93	264.46	1824.93	890.52
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	8.13	4.15	1.70	2.57	0.95	5.31

5.4 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण		2011-12	2010-11
(i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	एम सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण			2011-12	2010-11
1	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	(क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण		2011-12	2010-11
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण		2011-12	2010-11
	मदें		
	मानक आस्तियों पर प्रावधान	212.73	176.73



(iii)	Doubtful advances restructured, rescheduled, renegotiated	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	Total Advances restructured, rescheduled, renegotiated (i)+(ii)+(iii)	No. of Borrowers	21	3	248	273	477	627
		Amount Outstanding	174.10	82.19	213.93	264.46	1824.93	890.52
		Sacrifice (diminution in the fair value)	8.13	4.15	1.70	2.57	0.95	5.31

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction
(Rupees in crore)

Items		2011-12	2010-11
(i)	Number of Accounts	Nil	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	Nil

5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Items			2011-12	2010-11
1	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars		2011-12	2010-11
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item	2011-12	2010-11
Provisions towards Standard Assets	212.73	176.73



6 कारोबार अनुपात

(रु करोड़ में)

मदें	2011-12	2010-11
(i) औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.30%	8.40%
(ii) औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.60%	0.74%
(iii) औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.09%	1.73%
(iv) आस्तियों से आय	0.65%	0.90%
(v) प्रति कर्मचारी (रुपये करोड़ों में) कारोबार (जमाराशियां अग्रिम)	13.02	11.90
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए करोड़ों में)	0.06	0.06

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2012 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	462.23	411.74	0.01	0.00	91.09	154.19
2-7 दिन	1487.62	606.35	0.00	1298.39	3.83	26.11
8-14 दिन	1280.26	872.45	283.04	0.00	6.17	9.15
15-28 दिन	2209.43	1879.67	146.43	0.00	9.74	54.58
29 दिन से 3 माह तक	12862.65	5735.62	928.64	76.31	104.12	225.55
3 माह से अधिक 6 माह तक	6086.12	2923.68	25.67	111.93	146.88	282.47
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	15453.68	4214.17	572.64	75.00	114.20	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	11677.41	13774.67	2244.17	115.00	79.30	0.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	2183.50	8698.65	2104.60	158.28	3.75	0.00
5 वर्ष से अधिक	9421.08	7034.40	13758.93	1547.42	0.00	0.00
कुल	63123.98	46151.40	20064.13	3382.33	559.09	752.04

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रुपये करोड़ों में)

श्रेणी		31.03.2012	31.03.2011
1)	प्रत्यक्ष ऋण		
	क) रिहायशी बंधक		
	i. ऐसी संपत्तियां जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	1941.57	1580.38
	ii. व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	1636.72	1292.27



6 **Business Ratios**

(Rupees in crore)

Items	2011-12	2010-11
(i) Interest Income as a percentage to average working funds	9.30%	8.40%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.60%	0.74%
(iii) Operating Profit as a percentage to average working funds	1.09%	1.73%
(iv) Return on Assets	0.65%	0.90%
(v) Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	13.02	11.90
(vi) Profit per employee (Rs. in crore)	0.06	0.06

7. **Assets Liability Management**

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2012:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	462.23	411.74	0.01	0.00	91.09	154.19
2 – 7 days	1487.62	606.35	0.00	1298.39	3.83	26.11
8 – 14 days	1280.26	872.45	283.04	0.00	6.17	9.15
15 - 28 days	2209.43	1879.67	146.43	0.00	9.74	54.58
29 days to 3 months	12862.65	5735.62	928.64	76.31	104.12	225.55
Over 3 months & 6 months	6086.12	2923.68	25.67	111.93	146.88	282.47
Over 6 months & 1 year	15453.68	4214.17	572.64	75.00	114.20	0.00
Over 1 year & 3 years	11677.41	13774.67	2244.17	115.00	79.30	0.00
Over 3 years & 5 years	2183.50	8698.65	2104.60	158.28	3.75	0.00
Over 5 years	9421.08	7034.40	13758.93	1547.42	0.00	0.00
Total	63123.98	46151.40	20064.13	3382.33	559.09	752.04

8. **Exposures:**

8.1 **Exposure to Real Estate Sector**

(Rupees in crore)

Category		31.03.2012	31.03.2011
1)	Direct Exposure		
(a)	Residential Mortgages		
i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented Out of which:	1941.57	1580.38
ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	1636.72	1292.27
(b)	Commercial Real Estate		



		व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	ख)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.)के ऋण भी शामिल हैं।	2178.99	2067.74
	ग)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क)	रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख)	व्यावसायिक.वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2)		अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.ए.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण}	3034.84	2811.67
		वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी	7155.40	6459.79

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारी

(रु. करोड़ों में)

	मदें	2011-12	2010-11
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनितों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	139.26	114.21
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	0.03	0.13
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.25	0.01
4.	अंशों की संपादिक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टाक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	50.58	29.27
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सोदों हेतु स्टाक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	2.42	1.50
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	192.54	145.12



		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2178.99	2067.74
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	Nil	Nil
	a.	Residential	Nil	Nil
	b.	Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)		Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	3034.84	2811.67
Total Exposure to Real Estate Sector			7155.40	6459.79

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

	Items	2011-12	2010-11
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	139.26	114.21
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.03	0.13
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.25	0.01
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	50.58	29.27
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	2.42	1.50
Total Exposure to Capital Market		192.54	145.12



8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस.जी.एल.) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल.) के विवरण वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

रु. करोड़ों में

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार	31.03.2012 को ऋण सीमा/ देयताएं	ऋण जोखिम(%)
1.	एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनांस लि.	732.25	16.75%	शून्य	शून्य
2.	पॉवर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.	970.04	18.53%	970.04	18.53%
3.	रिलायंस कैपिटल लि.	675.00	12.89%	656.66	12.54%
			30.09.2011		

8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति-रहित अग्रिम

(रूप करोड़ों में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	137.00	139.06
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	137.00	139.06

9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

(रूप करोड़ों में)

	2011-12	2010-11
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकेश्योरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रूप करोड़ों में)

	2011-12	2010-11
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	16.95	16.06
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	2.63	1.95
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	शून्य	शून्य

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ए एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 लेखा प्रणाली मानक 15.कर्मचारी लाभ

10.2.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस-15) के आधार पर किया गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि - प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी न.बीपी. बीसी. 80/21.04.018/2010-11 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में किए गए संशोधनों के अनुसार निम्न आधार पर किया गया है:-



8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2011-12, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following cases, which have been approved by the Board:

S. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.12	Exposure (%)
1.	L I C Housing Finance Ltd.	732.25	16.75%	NIL	NIL
2.	Power Finance Corp Ltd.	970.04	18.53% 31.3.2012	970.04	18.53%
3.	Reliance Capital Ltd.	675.00	12.89% 30.09.2011	656.66	12.54%

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rupees in crore)

Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	137.00	139.06
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	137.00	139.06

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rupees in crore)

	2011-12	2010-11
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rupees in crore)

	2011-12	2010-11
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	16.95	16.06
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	2.63	1.95
C. UTI Mutual Fund Business	NIL	NIL

10. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 Accounting Standard 15 - Employees Benefit

10.2.1 Provisions for pension, gratuity, leave encashment and other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. However, the additional liability towards re-opening of pension option and amendment in the Gratuity Act, 1972 has been dealt in accordance with the provisions contained in Reserve Bank of India circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2011-12) dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment as under:



9.	मार्जिन सोदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	(रूप करोड़ों में)
10.1	पूँजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	2.46	ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 में संशोधित
सं.	पूँजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी पर अतिरिक्त देयता	192.94	145.2

- 8.3 देशवार ऋण जोखिम**
क. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आस्थगित राशि 811.78 139.81
देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबन्धित हैं।
वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान परिशोधित राशि 462.36 27.96
बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान परिशोधित राशि का अलग-अलग विवरण
- 1) क. का पांचवां हिस्सा 162.36 27.96
वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस.जी.एल.) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल.) के विवरण वर्ष
2011-12 के दौरान बैंक/संयुक्त रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा
को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
ग. वित्तीय वर्ष 2011-12 में परिशोधित कुल राशि (i+ii) 211.04

क्र.सं.	दिनांक 31.03.2012 तक परिशोधित राशि (क) के दौरान अरिशोधित उधारियों (के) नाम तीन वर्षों अधिकतम ऋण में परिशोधित करने हेतु	दिनांक के अनुसार	31.03.2012 को ऋण सीमा/ 438 देयताएं	60.09 ऋण जोखिम (%)
1.	एल.आई.सी. हाऊसिंग फाईनांस लि.	732.25	16.75%	शून्य
10.2.2	लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों का प्रतिशत स्थिति निम्नानुसार है:	675.00	30.09.2011	656.66
10.2.3	बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			12.54%

8.5 अमूर्त संपाश्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति-रहित अग्रिम (रूप करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुटी (रूप करोड़ों में) (निधिक)	
	2011-12	2010-11	31.03.2012	2010-11	31.03.2011	2010-11
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, निर्धारित लाभ बाध्यताओं का प्राधिकार, लॉइसेंसों आदि पर ऋण भार			137.00		139.06	
1 अप्रैल को मूल्य	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, ब्याज लागत	195.31	88.51	36.08	37.00	21.64	14.38
प्राधिकार, लॉइसेंसों पर ऋण भार	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
वर्तमान सेवा लागत						

9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुमाने का प्रकटीकरण (रूप करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
प्रदत्त लाभ	(104.93)	(105.53)	(58.99)	(42.43)	(23.00)	(23.00)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(357.02)	980.47	(25.06)	122.96	(9.36)	शून्य 24.46
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जुमाना						
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्यांकन	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41
क. मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च को निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	195.31	88.51	36.08	37.00	21.64	14.38
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17

9.2 बैंक/शरॉरोंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण (रूप करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुटी (रूप करोड़ों में) (निधिक)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	16.95				16.06	
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल	1450.00	936.83	317.56	315.85	163.38	163.66
व्य. संचारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	132.97	97.88	26.55	25.80	15.53	12.90
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित						
म. य. टी. आई. म्यूचुअल फंड व्यापार						
प्रति लाभ						

10. निम्नके लेखों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

- 10.1 लाभ हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई भी राशि (1.63) (7.37) 0.17 0.74 0.03 1.53



(Rupees. in crore)

S. No.	Particulars	Additional Liability towards re-opening of pension option	Additional Liability towards amendment in Gratuity Act, 1972
A.	Amount deferred during FY 2010-11	811.78	139.81
B.	Amount amortized during FY 2010-11	162.36	27.96
Break-up of Amount amortized during FY 2011-12:			
i).	1/5 th of (A)	162.36	27.96
ii)	Additional amortization in respect of separated/retired employees	48.68	4.17
C.	Total Amount amortized in FY 2011-12 (i + ii)	211.04	32.13
D.	Amount amortized up to 31.03.2012 (B + C)	373.40	60.09
E.	Un-amortized Balance (to be amortized over the period of next three years)	438.38	79.72

The aforesaid unamortized amount does not include any amount relating to separated/retired employees.

10.2.2 The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

10.2.3 **Changes in the present value of the obligation**

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Present Value of defined benefit obligation as at 1 st April	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41
Interest cost	195.31	88.51	36.08	21.64	14.36	11.06
Current service cost	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
Less: Benefits paid	(104.93)	(105.53)	(58.99)	(42.43)	(23.10)	(16.61)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	(357.02)	980.47	(25.06)	122.96	(9.36)	24.46
Present value of defined Benefit obligation at 31 st March	2318.41	2350.23	438.45	454.00	182.80	180.49

10.2.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Fair value of Plan Assets as at 1 st April	1456.84	936.83	317.56	315.85	163.38	163.66
Expected return of Plan Assets	132.97	97.88	26.55	25.80	15.53	12.90
Employer contribution	320.05	535.03	52.56	18.34	32.11	1.90
Less: Benefit paid	(104.93)	(105.53)	(58.99)	(42.43)	(23.10)	(16.61)
Actuarial (loss)/ gain	(1.63)	(7.37)	0.17	0.74	0.03	1.53



- 10.2 **वैधानिक हानि (लाभ)** के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन
- 10.2.1 फोनो-ग्रिड विद्युत् प्रणाली नकदीकरण तथा अन्य 1803.30 अतिरिक्त लाभों के अंतर्गत 337.68 सी.ए.आई. 56 का जारी 1972 में लेखा 163.38 (संशोधन) के अंतर्गत प्रयोजित किया गया है। यद्यपि मार्गजनिक क्षेत्रों के बैंक कार्यालयों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीविका प्रतिक्रिया - प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी न.बीपी. बीसी 80/21.04.018/2010-11 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में किए संशोधनों के अनुसार निम्न आधार पर किया गया है:-
- 10.2.5 **वैधानिक हानि (लाभ)**

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
	वैधानिक हानि / (लाभ) देयताएं (ए) के दौरान 2010-11 के दौरान आस्थायिक राशि	357.02	980.47	25.06	122.96	9.36	24.66
	प्लान आस्तियों पर (बी) के दौरान 2010-11 के दौरान परि गोधित राशि I	(1.63)	7.37	(0.17)	(0.74)	(0.03)	27.96
	शुद्ध मूल्यांकित हानि / (लाभ) के दौरान 2010-11 के दौरान परि गोधित राशि का अलग-अलग विवरण	(355.39)	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
	अवधि के दौरान पहचान किए गए हानि (लाभ) किए गए/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए				162.36		27.96
	वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकित हानि / (लाभ) 1-12 में परि गोधित कुल राशि I (क+ख)				48.68		4.17
	प्लान पत्र में पहचान की गई राशि (अ) अतिरिक्त लाभ				214.04		32.43
	उपरोक्त में पहचान की गई राशि (अ) अतिरिक्त लाभ				373.40		60.09
	अतिरिक्त लाभ (अगले तीन वर्षों की अवधि में परि गोधित करने हेतु)				438.38		79.72

10.2.6

उक्त आधारे पेंशन राशि I में अलग किए/सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई भी राशि शामिल नहीं है।

- 10.2.2 **वैधानिक हानि (लाभ) के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**
31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य
- 10.2.3 **वैधानिक हानि (लाभ) के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**
31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध अतिरिक्त देयता	(515.11)	(893.39)	(100.77)	(136.44)	5.09	(17.11)
1 अप्रैल को मूल्य	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41
व्याज लागत विवरण	196.31	88.51	36.08	21.64	14.36	11.06
वर्तमान सेवा लागत	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
व्यय सेवा लागत	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
व्यय लागत	195.44	88.51	36.08	21.64	14.36	11.06
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न बाध्यता पर वैधानिक हानि / (लाभ)	(132.97)	(97.88)	(26.72)	(25.06)	(15.53)	(12.90)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (सिद्ध) हानि/लाभ बाध्यता का 31 मार्च	355.39	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
शुद्ध मूल्य	582.81	1239.66	16.89	187.08	9.91	40.26

- 10.2.4 **वैधानिक हानि (लाभ) के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
प्रारंभिक शुद्ध देयता/आस्तियां	2017.23	20118.76	20113.44	20182.00	20127.29	20181.25
शुद्ध देयता/आस्तियों का 1 अप्रैल कोट मूल्य दिया गया अंशदान	58.23	1239.66	16.89	187.08	9.91	40.26
अन्तिम देयता/आस्तियां	1326.04	536.03	357.56	318.34	132.18	163.06
	515.11	893.39	100.77	136.44	(5.09)	17.11



Fair value of Plan Assets as at 31 st March	1803.30	1456.84	337.68	317.56	187.89	163.38
Actual return on Plan Assets	131.34	90.51	26.55	25.80	15.50	14.43

10.2.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	357.02	980.47	25.06	122.96	9.36	24.66
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets. (B)	(1.63)	7.37	(0.17)	(0.74)	(0.03)	(1.53)
Net Actuarial loss/(gain)	(355.39)	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	(355.39)	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.2.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Present value of defined benefit obligation as at 31 st March	2318.41	2350.23	438.45	454.00	182.80	180.49
Less:						
Fair value of Plan Assets as at 31 st March	1803.30	1456.84	337.68	317.56	187.89	163.38
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(515.11)	(893.39)	(100.77)	(136.44)	5.09	(17.11)

10.2.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Current service cost	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
Interest cost	195.31	88.51	36.08	21.64	14.36	11.06
Expected return on plan assets	(132.97)	(97.88)	(26.72)	(25.06)	(15.53)	(12.90)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	355.39	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
Net benefit expense	58.23	1239.66	16.89	187.08	9.91	40.26

10.2.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Opening net Liability/(Asset)	776.93	188.76	136.44	(32.30)	27.29	(21.25)
Net benefit expense	58.23	1239.66	16.89	187.08	9.91	40.26
Less: Contribution paid	320.05	535.03	52.56	18.34	32.11	1.90
Closing liability/(Asset)	515.11	893.39	100.77	136.44	(5.09)	17.11



10.2.9	पेंशन द्वारा आरक्षित मूल्य का निवेश प्रतिशत प्रति लाभ	32.97	97.88	26.55	25.80	15.53	12.90 (प्रतिशत में)
	नियोक्ता अंशदान	320.05 (निधिक)	335.03	ग्रेच्युटी (निधिक)	18.34	अवकाश नकदी (निधिक)	90
	घटाएं प्रदत्त लाभ	2011-12 (1493)	2010-11 (543)	2011-12 (699)	2010-11 (243)	2011-12 (210)	2010-11 (691)
	बीमांकिक हानि / (लाभ)	(1.63)	(7.37)	0.17	0.74	0.03	1.53
	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां योजनागत आस्तियों को उचित मूल्य	22.88	24.48	33.78	31.01	शून्य	शून्य
	अनुमानित आस्तियों को उचित मूल्य	1803.30	1456.84	337.68	317.56	187.89	163.38
	अनुमानित आस्तियों को उचित मूल्य	135.33	90.54	28.33	23.88	15.50	12.23
	सूचना प्रौद्योगिकी कोरेट बॉन्ड्स	40.88	40.07	38.96	37.43	शून्य	शून्य
10.2.5	बिनांकिक मन्दावधि (लाभ)	-	3.10	-	8.64	शून्य	शून्य
	अन्य निवेश	1.01	1.81	0.94	0.77	100	(रूपए करोड़ों में)
10.2.10	तुलनपत्र की शेष मूल बीमांकिक मूल्यांकन (भांति औसत में प्रदर्शित)	पेंशन (निधिक) 2011-12	ग्रेच्युटी (निधिक) 2010-11	ग्रेच्युटी (निधिक) 2011-12	2010-11	अवकाश नकदी (निधिक) 2011-12	2010-11 में (प्रतिशत में)
	मूल्यांकिक हानि / (लाभ) देयताएं (₹)	357.02	980.47	25.06	122.96	9.36	24.66
	प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	2011-12 (183)	2010-11 (737)	2011-12 (127)	2010-11 (174)	2011-12 (123)	2010-11 (153)
	शेष मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	(353.30)	987.25	28.89	128.28	8.80	28.28
	धनमयी आस्तियों पर मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	(355.39)	987.84	28.89	122.22	8.50	22.93
	वर्ष के दौरान अग्रिम सहचान वाली मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुशय दर	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
10.2.6	तुलनपत्र में लाइव प्रमोशन	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी (रूपए करोड़ों में)
10.2.11	बीमांकिक मूल्यांकन का आधार	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदी (निधिक)			
	विवरण	मूल्यांकन का आधार	2011.12	2010.11	2011.12	2010.11	
	31 मार्च को परिभाषित लाभ	देयताएं अनुमानित आस्तियों पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बढ़ा दर का निर्धारण किया गया है।	2011.12	2010.11	2011.12	2010.11	अनुमानित प्रमोशन पत्र की शेष मूल्य
	घटाएं	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।	2011.12	2010.11	2011.12	2010.11	अनुमानित प्रमोशन पत्र की शेष मूल्य
	उत्तम भावितियों पर अनुमानित कर उचित मूल्य	303.30	1956.84	337.68	317.56	187.89	163.38
	वर्ष के दौरान अग्रिम सहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्त / देयता	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता प्रोत्ति तथा संबंधित धारकों पर विचार किया गया है।	2011.12	2010.11	2011.12	2010.11	(17.11)
10.2.7	लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।					
10.2.12	अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर-निधि)	पेंशन (निधिक) 2011-12	ग्रेच्युटी (निधिक) 2010-11	ग्रेच्युटी (निधिक) 2011-12	2010-11	अवकाश नकदी (निधिक) 2011-12	2010-11 में (रूपए करोड़ों में)
	चालू सेवा लागत	234.82	261.19	32.42	68.28	20.41	19.17
	व्याज लागत	195.31	एलटीसी	सिल्वर	रूपए	मेडिकल	सेवा निवृत्ति
	प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(132.97)	एलटीसी	जुडी	अवकाश	लाभ	उपहार
	वर्ष के दौरान अग्रिम सहचान मूल्यांकित (लाभ) देयता	355.39	987.84	24.89	122.22	9.33	22.93
	शुद्ध लाभ व्यय	58.23	1239.66	16.89	187.08	9.91	40.26
10.2.8	तुलनपत्र में पहचानी गई देयताओं में घट-बढ़	0.41	शून्य	5.05	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	तुलनपत्र में पहचानी गई देयता	10.61	0.27	25.56	0.46	0.74	
	प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित						



10.2.9 Investment percentage maintained by the trust

(In % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Central Government Securities	22.88	24.48	33.78	31.01	Nil	Nil
State Government Securities	35.23	30.54	26.32	22.15	Nil	Nil
High quality corporate bonds	40.88	40.07	38.96	37.43	Nil	Nil
Special Deposit Scheme	-	3.10	-	8.64	Nil	Nil
Other investments	1.01	1.81	0.94	0.77	100	100

10.2.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)

(In % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Discount rate	8.50	8.25	8.50	8.25	8.50	8.25
Expected rate of return on plan assets	8.50	8.50	8.50	8.25	8.50	8.25
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.50	5.00	5.50	5.00
Attrition rate	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.2.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.2.12 Other long term employee benefit (Unfunded)

(Rupees in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *	Silver jubilee Bonus	Sick leave Including Casual leave	Medical Benefits *	Retirement Gifts
Present Value of Obligation	10.20	0.27	20.51	0.46	0.74
Transitional Liability	NIL	NIL	5.05	NIL	NIL
Transitional Liability recognized during the year	0.41	NIL	5.05	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	10.61	0.27	25.56	0.46	0.74

* As assessed by the management



10.3 लेखामानक 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

विवरण	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31.03.2012 (लेखा परीक्षित)	31.03.2011 (लेखा परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोषा	152443	135372
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	407496	310182
ग. फुटकर बैंकिंग	127299	89604
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	1958	1801
कुल	689196	536959
2. खंड परिणाम		
क. राजकोषा	5199	27989
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	97725	92177
ग. फुटकर बैंकिंग	30528	26628
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	1958	1801
कुल	135410	148595
3. गैर-आबंटित व्यय	59411	47245
4. परिचालन लाभ	75999	101350
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	14573	24386
6. आयकर	16298	24347
7. विशेषेशलसमाप्त हक्कनि	0	0
8. शुद्ध लाभ	45128	52617
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोषा	2040891	1894602
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	3933992	3766604
ग. फुटकर बैंकिंग	1228949	1088084
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन		0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	86695	105724
कुल आस्तियां	7290527	6855014
10. खंड देयताएं		
क. राजकोषा	1939606	1814620
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	3738756	3607594
ग. फुटकर बैंकिंग	1167959	1042149
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन		0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	19311	10311
कुल आस्तियां	6865632	6474674

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ. राजकोष परिचालन ब. कारपोरेट/थोक बैंकिंग सी. फुटकर बैंकिंग डी. अन्य बैंकिंग परिचालन है।

कार्पोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।



10.3 Accounting standard 17-Segment Reporting

Part A : Business Segment—

Particulars	Year ended	Year ended
	31.03.2012 (Audited)	31.03.2011 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	152443	135372
b) Corporate/ Wholesale Banking	407496	310182
c) Retail Banking	127299	89604
d) Other Banking Operations	1958	1801
Total	689196	536959
2. Segment Result		
a) Treasury	5199	27989
b) Corporate/ Wholesale Banking	97725	92177
c) Retail Banking	30528	26628
d) Other Banking Operations	1958	1801
Total	135410	148595
3. Unallocated Expenses	59411	47245
4. Operating Profit	75999	101350
5. Provisions & Contingencies	14573	24386
6. Income Tax	16298	24347
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	45128	52617
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2040891	1894602
b) Corporate/ Wholesale Banking	3933992	3766604
c) Retail Banking	1228949	1088084
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	86695	105724
Total Assets	7290527	6855014
Particulars	Year ended	Year ended
	31.03.2012 (Audited)	31.03.2011 (Audited)
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	1939606	1814620
b) Corporate/ Wholesale Banking	3738756	3607594
c) Retail Banking	1167959	1042149
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	19311	10311
Total Liabilities	6865632	6474674

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.



10.4	जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई है। तथा सिद्ध है कि प्रत्येक खंड के संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात किस्म राजस्व के आधार पर किया गया है।	नकदीकरण	जुबली बोनस	अवकाश	लाभ	न हो, उनका सेवा निवृत्ति उपहार
	भाग ख: भौगोलिक खंड	10.20	0.27	20.51	0.46	0.74
	देयता का वर्तमान मूल्य बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।	शून्य	शून्य	5.05	शून्य	शून्य
	लेखा मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण					
	वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	0.41	शून्य	5.05	शून्य	शून्य
	मुख्य प्रबंधन अधिकारी					
	पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) श्री डी.पी. सिंह		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) श्री पी.के.आनंद	10	कार्यकारी निदेशक	25.56	0.46	0.74

10.3 **क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक**
लेखामानक 17 – खंड रिपोर्टिंग रु. लाखों में.

भाग क: व्यापार खंड नाम एवं पदनाम		2011-12				
विवरण	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष				
		31.03.2012 (लेखा परीक्षित)	31.03.2011 (लेखा परीक्षित)			
श्री डी.पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6.11					
श्री पी.के.आनंद ए कार्यकारी निदेशक	19.28					
ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:						
क. राजकोष	दिनांक 31.03.2012	152142	दिनांक 31.03.2011	135372		
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	शून्य	407496	शून्य	310182		
ग. फुटकर बैंकिंग	शून्य	127299	शून्य	89604		
प्रति शेयर आय (रु.सम.प्रति)		1958		1801		
कुल		689196		536959		
विवरण परिणाम		2011-12	2010-11			
क. राजकोष	इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	5199	429.25	27989		
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	इक्विटी शेयरों की आधारित औसत संख्या (रु. करोड़ में)	97725	22.32	92177		
ग. फुटकर बैंकिंग	आधार एअर-आबंटित शेयर आय (रु.)	30528	19.24	26628		
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)		1958	10	1801		
द. गैर-आबंटित व्यय		135410	10	148595		
लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन		59411		47245		
4. परिचालन लाभ		75999		101350		
5. प्रायोजन व आवासिक देयताएं		14573		24386		
6. आयकर		16298		24347		
7. वि. शि लाभ/हानि		0		(रूपए करोड़ में)		
8. शुद्ध लाभ		45128		52617		
अन्य सूचना		आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं		
9. खंड आस्तियां		31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	
1	क. राजकोष	शून्य	शून्य	2040891	1.94	2.05
2	ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	शून्य	शून्य	3933992	111.66	101.06
3	ग. फुटकर बैंकिंग	शून्य	शून्य	1228949	1088084	
घ.	अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य	113.60	103.11	0
ड.	गैर-आबंटित आस्तियां	शून्य	शून्य	86695	105724	
कुल आस्तियां				7290527		6855014
10. खंड देयताएं				989606		1814620



Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:		
(i)	Mr. D.P. Singh	Chairman and Managing Director
(ii)	Mr. P.K Anand	Executive Director
a) Remuneration Paid to Key management personnel :		
(Rupees in lacs)		
Name and Designation		2011-12
Mr. D.P. Singh, Chairman & Managing Director		6.11
Mr. P.K Anand, Executive Director		19.28
b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:		
Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
Loans outstanding	NIL	NIL

10.5 Earning Per Share (AS-20)

(Rupees in crore)

PARTICULARS	2011-12	2010-11
Net Profit After tax available for equity Shareholders (Rs. Crore)	429.25	510.43
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	22.32	19.34
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	19.24	26.40
Nominal Value per Share (Rs.)	10	10

10.6 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

10.6.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.6.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

	Head	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	1.94	2.05
2	Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	111.66	101.06
	Total	Nil	Nil	113.60	103.11

The Deferred Tax Liability of Rs. 14.82 crore (previous year Rs.12.68 crore) on account of Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) has not been considered necessary in view of the management's irrevocable decisions not to withdraw from the Special Reserve.



10.6.3 विधिक चक्रवर्ति विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मुख्य अंतर अंतर पर बैंक ने विचार में किया है तथा तदनुसार रूपर 281.79 करोड़ (पूर्व वर्ष के 204.25 करोड़) की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.6.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिज बैलिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.6.5 अपील प्राधिकारियों के निर्णय न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की नोट: कुल आयकर 284.97 करोड़ (पूर्व वर्ष के 281.79 करोड़) की देयता का अनुमान नहीं किया गया है।

10.7 लेखा मानक 29 आस्तियों के अनजक होने संबंधी लेखांकन राजकोष परिचालन ब. कारपोरेट/ थोक बैंकिंग सी. फुटकर एएस 28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित विकाइय"। प्रेषक को राश के अनुसार 31.03.2012 तक समस्त राशि में स्थिर अमजक आस्तियों का कोई अन्य आस्तियों के अनजक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.8 लेखा मानक 29 संबंधी आर. अन-तम देयता आंशिक हो तथा उन पर ये व्ययक्षक संबंधित आस्तियों उनका प्रावधान यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भा.स.ख. भौगोलिक खंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक अकस्मिकों विद्युत् बैंक के इन्डिपेंडेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोविडेंट सिस्टम के खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.4 लेखा प्रावधानों द्वारा संबंधित घटनाओं की घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है। पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

मुख्य प्रबंधन अधिकारी	
(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि	
(i) श्री डी.पी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii) श्री यशवंत उमाशंकर	कार्यकारी निदेशक
या	
क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक	
• देयता राशि का शत-प्रतिशत अनुमान आंका नहीं जा सका है।	
ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है।	रु. लाखों में
विशेषज्ञों की राय	6.11
वित्तीय विवरणों में आकस्मिक अकस्मिकों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी मुख्य आय में परिवर्तित हो सकती हैं।	19.28
ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:	
एएस 30 की रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं के अनुसार जिन्हें 1.04.2011 की अवधि से अनिवार्य कर दिया गया है आईसीएआई के खंड 4 (वि) के अनुसार समस्त अविश्वसनीयताओं (जैसे ऋण क्षति, निवेश वर्गीकरण, प्रतिभूतियां आदि) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है।	2011-12 2010-11
11.02.2011 को एएस 30 के अनुसार	11.02.2011 को एएस 30 के अनुसार

19.5 प्रतिशत प्रकटीकरण-20

(रु करोड़ों में)

कीर्तमान खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2011-12	2011-12	2010-11	2010-11
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	429.25	61.11	510.43	159.96
गैर-निष्पादित अभिमान हेतु प्रावधान				
इक्विटी शेयरों की भांति औसत संख्या (रु. करोड़ में)	22.32	0.00	19.34	0.00
गैर-निष्पादित निवेश हेतु प्रावधान				
विदेशों में कुल वार्षिक हेतु प्रावधान	19.24	71.64	26.40	29.47
मातृक संस्थाओं के हेतु प्रावधान	10	11.98	10	49.30
कुल	308.71	162.97	487.33	243.47
10.6 लेखा मानक 22 आय पर करों हेतु लेखांकन				
आस्थगित कर हेतु प्रावधान		0.00		0.00
10.6.1 बैंक ने आयकर लेखा-जांच में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, आय पर करों का		0.00		0.00
लेखांकन लक्ष्य को पूरा किया है।				
10.6.2 एएसटी के डिड प्रावधानों के मुख्य घटक निम्नानुसार है:				
अन्य		0.00		0.00
		1.01		1.14
कुल	308.71	1.01	1.14	1.14



- 10.6.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent difference and accordingly, deferred tax liability of Rs. 281.79 crore (Previous Year Rs.204.25 crore) has not been considered necessary.
- 10.6.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.
- 10.6.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringed Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs. 284.97 crore (Previous year Rs.130.76 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.7 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2012, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of Other assets have been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.8 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

- 10.9 According to reporting requirements of AS-30 which are mandatory in respect of accounting period commencing from 1.04.2011, all the requirements as per clause 4 (II) of announcement from ICAI regarding applicability of AS 30, on 11.02.2011, have been reported as prescribed by specific regulatory requirements (e.g. loan impairment, investment classification or accounting for securitization etc.) of RBI from time to time.

11.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2011-12	2010-11
Provision for Non Performing Advances	61.11	159.96
Provision for Non Performing Investments	0.00	0.00
Provision for Depreciation in the value of Investments	71.64	29.47
Provision for Standard Asset	11.98	49.30
Provision for Income Tax	162.97	243.47
Provision for Deferred Tax	0.00	0.00
Provision for Fringe Benefit Tax	0.00	0.00
MAT Credit Entitlement	0.00	0.00
Others	1.01	5.13
Total	308.71	487.33



11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट.बढ़

(रु करोड़ों में)

	2011-12	2010-11
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. शून्य लाख (पिछले वर्ष रु. 0.10 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2011-12	2010-11
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	15	18
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1359	490
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1307	493
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	67	15

11.5 लोकपाल निर्णीत मामले

		2011-12	2010-11
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	01	01
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	32	12
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	31	12
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	02	01

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रूपए करोड़ में)

सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	31.03.2012	31.03.2011
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	16396.11	21607.94
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	25.97%	36.18%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रूपए करोड़ में)

सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	31.03.2012	31.03.2011
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	11356.84	10400.26
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	22.79%	22.56%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रूपए करोड़ में)

सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	31.03.2012	31.03.2011
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	11761.44	10581.58
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	22.25%	21.82%



11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees in crore)

	2011-12	2010-11
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs. Nil (previous year Rs.0.10 lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2011-12	2010-11
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	15	18
b)	No. of Complaints received during the year	1359	490
c)	No. of Complaints redressed during the year	1307	493
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	67	15

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2011-12	2010-11
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	01	01
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	32	12
c)	No. of Awards implemented during the year	31	12
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	02	01

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2012	31.03.2011
Total Deposits of twenty largest depositors	16396.11	21607.94
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	25.97%	36.18%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. In crore)

	31.03.2012	31.03.2011
Total Advances to twenty largest borrowers	11356.84	10400.26
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	22.79%	22.56%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. In crore)

	31.03.2012	31.03.2011
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	11761.44	10581.58
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	22.25%	21.82%



11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रूपए करोड़ में)

सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	168.82	90.30
---	--------	-------

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	
		31.03.2012	31.03.2011
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2.09%	1.09%
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	1.72%	0.85%
3.	सेवा क्षेत्र	1.51%	0.94%
4.	व्यक्तिगत ऋण	1.75%	1.63%

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	424.28	206.15
वर्षा के दौरान पाश्चिमी (नए एन.पी.ए.)	550.74	383.45
उप-योग (क)	975.02	589.60
घटा: (i) कोटि उन्नयन	58.05	49.21
(ii) वसूलियां ;कोटि उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त,	153.32	114.90
(iii) बट्टे खातों में डालना	0.21	1.21
उप-योग (ख)	211.58	165.32
31 मार्च को सकल एन.पी.ए. (इति शेष) (क-ख)	763.44	424.28

11.9 विदेशी आस्तियां, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
कुल आस्तियां	111.80	211.87
कुल एन.पी.ए.	0.00	0.19
कुल राजस्व	0.75	0.76

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रूपए करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12 लेखा नीति में परिवर्तन

एनपीए हेतु प्रावधान

एनपीए आस्तियों हेतु 18.05.2011 से संशोधित दरों का प्रावधान निम्न अनुसार है:



11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. In crore)

	31.03.2012	31.03.2011
Total Exposure to top four NPA Accounts	168.82	90.30

11.7 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on	
		31.03.2012	31.03.2011
1.	Agricultural & allied activities	2.09%	1.09%
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.72%	0.85%
3.	Services	1.51%	0.94%
4.	Personal Loans	1.75%	1.63%

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. In crore)

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	424.28	206.15
Additions (Fresh NPAs) during the year	550.74	383.45
Sub-total (A)	975.02	589.60
Less: (i) Up-gradations	58.05	49.21
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	153.32	114.90
(iii) Write-offs	0.21	1.21
Sub-total (B)	211.58	165.32
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	763.44	424.28

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rupees. In crore)

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Assets	111.80	211.87
Total NPAs	0.00	0.19
Total Revenue	0.75	0.76

11.10 Off-Balance sheet SPVs sponsored

(Rupees. In crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Nil	Nil	Nil	Nil

12 Change in Accounting Policy

Provision for NPAs

Revised Rates of Provisioning for Non-Performing Assets w.e.f 18.05.2011 are as under:



आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान - (वर्तमान)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान - (संशोधित)	बैंक के प्रावधान मानदंड - वर्तमान	बैंक के प्रावधान मानदंड - (संशोधित)
अवमानक	आरक्षित ऋणों का 10%,	आरक्षित ऋणों का 15%,	आरक्षित ऋणों का 20%,	आरक्षित ऋणों का 20%,
	गैर आरक्षित ऋणों* का 20%,	गैर आरक्षित ऋणों* का 25%,	गैर आरक्षित ऋणों का 20%,	गैर आरक्षित ऋणों* का 25%,
	आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों* का 15%	आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों* का 20%	गैर आरक्षित ऋणों का 20%, आधारभूत खातों के संबंध में जहाँ निलंब खाते का	आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों* का 20%
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 20%	जमानती ऋण पर 25%	जमानती ऋण पर 30%	जमानती ऋण पर 30%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 30%	जमानती ऋण पर 40%	जमानती ऋण पर 50%	जमानती ऋण पर 50%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100%;	जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%	गैर-जमानती ऋण पर 100%

13. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।



Category of Assets	Provisions prescribed by RBI (EXISTING)	Provisions prescribed by RBI (REVISED)	Bank's Provisions norms (EXISTING)	Bank's Provision norms (REVISED)
Sub-Standard	10% on Secured Exposure.	15% on Secured Exposure.	20% on Secured Exposure.	20% on Secured Exposure.
	20% on Unsecured Exposure*	25% on Unsecured Exposure*	20% on Unsecured Exposure*	25% on Unsecured Exposure
	15% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	20% on Unsecured Exposure in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available
Doubtful-I	20% on Secured	25% on Secured	30% on Secured	30% on Secured
	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured
Doubtful-II	30% on Secured	40% on Secured	50% on Secured	50% on Secured
	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Sec ured	100% on Secured	100% on Secured	100% on Secured
	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured	100% on Unsecured

13. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.



31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी वाह विवरणी Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2012

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी वाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	31.03.2012	31.03.2011
लाभ.हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	4512852	5261731
समायोजन हेतु/Adjustments for:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies	3087116	4873239
मूल्यह्रास (निवल) /Depreciation (Net)	193685	152136
आस्तियों की बिक्री पर लाभ /Profit on sale of assets	-206	-1092
बांड ए पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज / Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1658994	1432960
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ /Operating Profit before working capital changes	9452441	11718974
समायोजन हेतु /Adjustments for:		
निक्षेपों में वृद्धि (कमी) /Increase / (Decrease) in Deposits	34007848	105681082
उधारों में वृद्धि / (कमी) /Increase / (Decrease) in Borrowings	2414407	-8151639
अन्य देयताओं में वृद्धि(कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-4394	8913303
निवेशों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Investments	-14921183	-7862814
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Advances	-35748811	-101599171
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Other Assets	-1729791	-9546943
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating Activities (A)	-6529483	-847208
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों में वृद्धि /Increase in Fixed Assets	-359655	-248247
आस्तियों की बिक्री पर लाभ /Profit on sale of assets	206	1092
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख) / Cash Flow from Investing Activities (B)	-359449	-247155
	31.03.2012	31.03.2011
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
इक्विटी शेयरों को जारी करना (आईपीओ) (अंकित मूल्य) /Issue of Equity Shares (IPO) (Face Value)	111520	400000
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम /Share Premium received thereon	841530	4308200
सार्वजनिक निर्गम व्यय /Public Issue Expenses	-2663	-91810



गौण बांड जारी करना /Issue of Subordinated Bonds	3000000	0
गौण बांड का मोचन /Redemption of Subordinated Bonds	-450000	0
गौण बांडों पर ब्याजए पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई / Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1658994	-1432960
पीएनसीपीएस पर लाभांश /Dividend on Equity & PNCPS	-658416	-581112
लाभांश आबंटन कर /Dividend Distribution Tax	-104567	-96516
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash Flow from Financing Activities (C)	1078410	2505802
परिचालन गतिविधियों से नकदी /Cash from Operating Activities	-6529483	-847208
निवेश गतिविधियों से नकदी /Cash from Investing Activities	-359449	-247155
वित्तीय गतिविधियों से नकदी /Cash from Financing Activities	1078410	2505802
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि / Increase in Cash & Cash Equivalents	-5810522	1411439
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य / Cash and Cash equivalents at the beginning of the Half year	48964705	47553266
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य / Cash and Cash equivalents at the end of the Half year	43154183	48964705

टिप्पणी : घटा के निशान वाले आंकड़े "जावक नकदी प्रवाह" को दर्शाते हैं।/

Note: All figures in minus represents "Cash Outflow"

डी.पी. सिंह
D.P.Singh

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Mg.Director

पी.के. आनन्द
P.K.Anand

कार्यकारी निदेशक
Executive Director

एस.पी.एस. कोहली
S.P.S.Kohli

स्थानापन्न महाप्रबंधक
Offg.General Manager

ए.पी.एस. तेजी
A.P.S. Teji

उप महाप्रबंधक
Dy.General Manager

वी.के. मेहरोत्रा
V.K.Mehrotra

मुख्य प्रबंधक
Chief Manager

नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक / Dated : 05.05.2012

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our Report of Even Date

कृते भाटिया एण्ड भाटिया For Bhatia & Bhatia

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(अनंत भाटिया)
(Anant Bhatia)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 507832
एफआरएन: 003202एन
FRN : 003202N

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी For S.B.G. & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(एस.बी.गुप्ता)
(S.B. Gupta)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 089415
एफआरएन: 001818एन
FRN : 001818N

कृते अलका एण्ड सुनील For Alka & Sunil

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(सुनील गुप्ता)
(Sunil Gupta)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 084119
एफआरएन : 006739एन
FRN : 006739N

कृते ओ.पी.तुलसियान एण्ड कंपनी For O.P.Tulsyan & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(राकेश अग्रवाल)
(Rakesh Agarwal)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 081808
एफआरएन: 500028एन
FRN : 500028N

कृते जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी For G.S. Goel & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(जी.एस.गोयल)
(G.S.Goel)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 014428
एफआरएन: 001415एन
FRN : 001415N

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी For R.M.Lall & Co.

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(आर.पी.तिवारी)
(R.P. Tiwari)
पार्टनर / Partner
एम.नं. / M. No. 071448
एफआरएन: 000932सी
FRN : 000932C



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदया,
नई दिल्ली

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। जिसमें केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 674 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 334 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 2.72 प्रतिशत, जमा राशियों का 10.42 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 2.10 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज व्ययों का 8.37 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जांच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।
3. उपरोक्त परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी, (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं:
 - I. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः (क) तथा (ख) में तैयार किए गए हैं।
 - II. निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-
 - क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के शेषोधनिकारी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - ख) नोट (सं) 10.6.2 जो कि आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत रु. 14.82 करोड़ की बनाई तथा सुरक्षित रखी गई विशेष आरक्षितियां तथा प्रबंधन द्वारा उसको आहरित न करने का निर्णय लिया गया तथा नोट सं. 10.6.3 जो कि लेखा बहियों के अनुसार निवेश मूल्यों में उतार-चढ़ाव एवं आयकर अभिकलन पर स्थाई अंतर के आधार पर रु. 281.79 करोड़ की आस्थगित कर देयता नहीं रखी गई।
 - ग) नोट संख्या 10.6.5 अपीलों में लंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - घ) बासल -1 और बासल-2 के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नितियों और उक्त परिच्छेद क. से ग. पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।
 - च) वित्तीय विवरणी का नोट 10.2.2, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि - प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देता के अस्थगन, परिशोधन तथा आगे ले जाने से संबंधित है, कर्मचारियों के दायित्व हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।



AUDITORS' REPORT

To,
The President of India,
New Delhi

1. We have audited the attached Balance Sheet of Punjab & Sind Bank as at March 31, 2012, the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches, Zonal Offices and Central Office Departments audited by us as part of allocation of work among the Statutory Central Auditors, 674 branches audited by other auditors and 334 returns in respect of unaudited branches not visited by us. These unaudited branches account for 2.72 per cent of the advances, 10.42 per cent of deposits, 2.10 per cent of interest income on advances and 8.37 percent of interest expenses on deposits. The branches audited by us and those by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. Subject to the limitations of the audit indicated in above paras and as required by the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and the limitation of the disclosure required therein, we report as under:
 - I. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
 - II. Attention is invited to:-
 - a) *Note No. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearance/ identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.*
 - b) *Note No. 10.6.2 in respect of Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961 of Rs.14.82 crore on the basis of management decision not to withdraw the same and Note No. 10.6.3 regarding non-creation of deferred tax liability of Rs.281.79 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per books of accounts and for income tax computation considering the difference to be permanent.*
 - c) *Note No.10.6.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.*
 - d) *Capital Adequacy as per Basel-I and Basel-II and other ratios disclosed in the Accounts by the Bank are subject to adjustments arising out of the Notes on Accounts, Accounting Policies and our remarks in para a) to c) above.*
 - e) *Note 10.2.1 regarding deferment, amortization and carry forward of pension and gratuity liability of the bank pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular No. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.*



4. हम यह सूचित करते हैं कि
- कं) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त परिच्छेद 3 (ii) में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है—
- (i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन-पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित है तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2012 के मामलों का उचित उल्लेख है।
- (ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2012 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
- ख) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ग) बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- घ) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार

(अनंत भाटिया)
साझेदार
एम.नं. 507832
एफआरएन : 003202एन

कृते अलका एण्ड सुनील
सनदी लेखाकार

(सुनील गुप्ता)
साझेदार
एम.न. 084119
एफआरएन : 006739एन

कृते जी.एस. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

जी.एस. गोयल
साझेदार
एम.न. 014428
एफआरएन :001415एन

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एस.बी. गुप्ता)
साझेदार
एम. नं. 089415
एफआरएन 001818एन

कृते ओ.पी.तुलसियान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(राकेश अग्रवाल)
साझेदार
एम. न. 500028
एफआरएन 500218एन

कृते आर.एम. लाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(आर.पी. तिवारी)
साझेदार
एम. न. 071448
एफआरएन 000932सी

दिनांक : 05.05.2012

स्थान : नई दिल्ली



4. We further report that:-
- a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank and *subject to our comments in Para 3(II) above*:
 - (i) The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at March 31, 2012.
 - (ii) The Profit & Loss Account, read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon reflects a true balance of profit for the year ended on March 31, 2012.
 - (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash flow for the year ended March 31, 2012.
 - b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - d) The returns of the accounts received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit except that in the case of some branches where particulars were inadequate, the information available at the Zones / Head Office has been relied upon.

For Bhatia & Bhatia
Chartered Accountants

(Anant Bhatia)
Partner
M. No.507832
FRN : 003202N

For Alka & Sunil
Chartered Accountants

(Sunil Gupta)
Partner
M. No. 084119
FRN : 006739N

For G.S. Goel & Co.
Chartered Accountants

(G.S.Goel)
Partner
M. No. 014428
FRN : 001415N

For S.B.G. & Co.
Chartered Accountants

(S.B. Gupta)
Partner
M. No. 089415
FRN : 001818N

For O.P.Tulsyan & Co.
Chartered Accountants

(Rakesh Agarwal)
Partner
M. No. 081808
FRN : 500028N

For R.M.Lall & Co.
Chartered Accountants

(R.P. Tiwari)
Partner
M. No. 071448
FRN : 000932C

Date: 05.05.2012

Place: New Delhi



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

ई-क्रेडिट शेरों पर लाभांश के भुगतान हेतु नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसिज़ (एनईसीएस)
द्वारा ई-क्रेडिट अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म
E-CREDIT MANDATE THROUGH NATIONAL CLEARING SERVICES (NECS)/BANK ACCOUNT DETAIL FORM FOR
PAYMENT OF DIVIDEND ON THE EQUITY SHARES

डिमेट रूप में धारित शेरों
के शेयरधारकों हेतु

For Shareholders Holding
Shares in Demat Form

प्रिय शेयरधारक,

Dear Shareholder,

शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवा में निरंतर सुधार लाने हेतु, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने डिपॉजिटरी सहभागी को अपने बैंक खाते का अद्यतित ब्यौरा निम्न प्रारूप में दें।

In our continuous endeavour to improve services to shareholders, we request you to provide the details to your Depository Participant on the following format

भवदीय / Yours faithfully,
कंपनी सचिव / Company Secretary

1.	डिपॉजिटरी का नाम / Name of Depository	
2.	डीपीआईडी/सीएल आईडी / DP ID/ CL ID	
3.	निवेशक(ओं) का नाम / Investor's Name	
4.	निवेशक का पता / Address of the Investor	
	संपर्क नंबर / Contact No.	
	ई-मेल आईडी / E- Mail ID	
5.	बैंक खाते का ब्यौरा / Particulars of Bank Account	
A.	बैंक का नाम / Name of the Bank	
B.	शाखा का नाम / Name of Branch	
	पता / Address	
	दूरभाष नंबर / Telephone No.	
C.	बैंक एवं शाखा का 9 अंकों का कोड जैसा कि बैंक द्वारा जारी किए गए माईकर चेक पर अंकित है: 9 Digit Code No. of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheque Issued by the Bank.	
D.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकदी उधार/अन्य (उल्लेख करें) Type of Account (Savings/ Current/ Cash Credit/ Others (Specify))	
E.	खाता संख्या (जैसा चेक बुक पर लिखा है) Account No. (As appearing in the Cheque Book)	

महत्वपूर्ण: कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए निरस्त खाली चेक या चेक की छायाप्रति उक्त ब्यौरे की पुष्टि हेतु संलग्न करें।

IMP: Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the above particulars.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया ब्यौरा पूर्ण एवं सही है।

I hereby declare that the details given above are complete and correct

दिनांक / Date:

स्थान / Place:

लाभार्थी(यो) के हस्ताक्षर
Signature of the Beneficial Owner(s)



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
HO : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

उपस्थिति पर्ची
ATTENDANCE SLIP

द्वितीय आम बैठक 23.06.2012
{SECOND ANNUAL GENERAL MEETING} : 23.06.2012

कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के प्रवेशद्वार पर उसे सौंप दें
[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall]

दिनांक : / Date :	समय: / Time:
स्थान: / Place:	
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative	
पंजीकृत फोलियो* / Regd. Folio*	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी / DPID & Client ID*
(यदि अभौतिकरण नहीं किया गया) [if not dematerialized]	(यदि भौतिकरण किया गया) / [if dematerialized]
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(द्वितीय वार्षिक आम बैठक) 23.06.2012

फार्म 'बी'
प्राक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

मैं/हम.....राज्य
के.....जिला..... का/की/के निवासी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद् द्वारा राज्य के
जिला के निवासी श्री/श्रीमतीको अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिला
.....के निवासी श्री/श्रीमती..... को शनिवार, दिनांक 23 जून, 2012 को प्रातः 9
बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण आम बैठक में जोकि ऐयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली -110010
में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्राक्सी
नियुक्त करता हूं / करते हैं।

..... माह के दिन 2012 को हस्ताक्षरित

पंजिकृत फोलियो न./ ग्राहक का आई.डी.न.

शेयरों की संख्या

.....

प्राक्सी के हस्ताक्षर प्रथम/ एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम व पता:

.....

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

HO : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{SECOND ANNUAL GENERAL MEETING} : 23.06.2012

FORM 'B' FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident
ofin the district of..... in the State of being
a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt resident
of.....in the district ofin the State of
or failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of
..... in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on
my / our behalf at the First Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on
Saturday the 23rd June, 2012 at 9.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010 and at
any adjournment thereof.

Signed this day of 2012

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

.....
Signature of Proxy

.....
Signature of the first named / sole shareholder

Name & Address:

.....

Please affix
Revenue
Stamp



प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्राक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - क) द्व्यक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया गया है।
 - ख) द्व्ययुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत होना चाहिए।
2. प्राक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।
3. प्राक्सी के साथ:
 - क) अटर्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् सोमवार 18 जून, 2012 को कार्य समय समाप्त होने से पूर्व (सायंकाल 5.00 बजे) या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांसफर ऐजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटर्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. यदि प्राक्सी प्रलेख फार्म 'बी' पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
6. बैंक में जमा प्राक्सी प्रलेख अप्रितसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
7. यदि प्राक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा।



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, **Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. **on or before the closing hours [5.00 p.m.] of Monday, the 18th day of June, 2012.**
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



महाप्रबंधक/ General Managers



श्री जी.एस. सेठी
Sh. G.S. Sethi



श्री आर. गोसाईं
Sh. R. Gossain



श्री डी.डी. नाग
Sh. D. D. Nag



श्री जी.एस. बिंद्रा
Sh. G.S. Bindra



श्री जी.एस. सचदेवा
Sh. G.S. Sachdeva



श्री आई.पी. सिंह
Sh. I.P. Singh



श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava



श्री पी.एस. घावरी
Sh. P.S. Ghawri



श्री एस.पी.एस. कोहली
Sh. S.P.S. Kohli



श्री वी.के. श्रीवास्तव
Sh. V.K. Srivastava

Book Post

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕ੍ਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, (ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ : "ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ", 21 ਰਾਜੇਂਦ੍ਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110008

Accounts & Audit Deptt. (Share Cell)

Head Office : 'Bank House', 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Visit us at : www.psbindia.com